एकादश माला, खंड 1, अंक 5

मंगलवार, 28 मई, 1996
7 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला - सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 5 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

दिनांक 28 मई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	नीचे से 5 तथा		
तथा 77	9, नीचेसे 6, नीचे से 15	श्री अलेमाओं वर्चिल	श्री वर्चिल अलेमाओं
16	6	वन्दमाजरा	वन्दूमाजरा
22	8	अपराह्न 12·00 बजे	अपराह्न 12·02 बजे
65	19	डा॰ प्रवीन वन्द्र सरमा	डा॰ प्रवीण वन्द्र शर्मा
92	नीचे से 6 नीचे से 11		
93	3, 10, नीचे से 14	श्री इलियास आजमी	श्री इलियास आजमी

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 5, मंगलवार, 28 मई, 1996/7 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

विषय	कालम
महाराष्ट्र सरकार एवं डाभोल पॉवर कंपनी के बीच विद्युत खरीद समझौते के बारे में	2—11
विपक्ष के नेता को मान्यता दिये जाने के संबंध में	11—14
मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव—जारी	
डा. मुरली मनोहर जोशी	17—24
श्री मुलायम सिंह यादव	24—29
श्री इन्द्रजीत गुप्त	29—37
श्री जी.जी. स्वैल	37—39
श्रीमती मीरा कुमार	39—43
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	43—48
श्री जसवंत सिंह	52—63
डा. प्रवीन चंद्र शर्मा	63—66
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	66—68
श्री कांशी राम	68—70
श्री प्रमथेस मुखर्जी	70—71
श्री जी.एम. बनातवाला	71—73
श्री जय प्रकाश	73—75
श्री सुल्तान सलाउद्दीन औवेसी	75
श्री शिबू सोरेन	75—77
श्री अलेमाओ चर्चिल	77—78
श्री महेन्द्र कर्मा	78—79
डा. जयन्त रंगपी	79—81
श्री पी.सो. थामस	81
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	82—108

लोक सभा

मंगलवार, 28 मई, 1996/7 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज मुझे आपसे एक विशेष अनुरोध करना है। हमारे पास बहुत ही सीमित समय है और हमें अपनी चर्चा 12.45 म.प. तक, जबकि प्रधान मंत्री को चर्चा का उत्तर देना है, समाप्त करनी है। आपकी अनुमति से मैं शुन्य काल तथा नियम 377 के अधीन मामलों को छोड़ना चाहता हूं लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिन्हें शून्य काल के दौरान उठाया जाना है। मेरा आज नियम 377 के अधीन मामलों को नहीं बल्कि केवल उन्हीं दो मुद्दो को अनुमति देने का प्रस्ताव है। हम सीधे ही विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कुछ नीतिगत मामलों पर मंत्रिमंडल द्वारा कल लिए गये निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाया है। अतः, मैं श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री पृथ्वीराज चव्हाण को इसे उठाने की अनुमति दूंगा और बाद में श्री राम नाईक को एक संवैधानिक मुद्दा उठाना है। मेरे विचार में ये दो मामले पर्याप्त हैं ताकि माननीय वित्त मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह सकूं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, आपने यह नहीं बताया कि श्री नाईक क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक को यह मामला उठाना है कि क्या अध्यक्ष सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण से पहले उसे विपक्ष का नेता बना सकता है। यही वैधानिक प्रश्न श्री नाईक को उठाना है। मैं वह स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। इसीलिए, मैं श्री नाईक को भी अनुमति दे रहा हूं। अब, श्री वर्मा बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, दोसा के नजदीक बम विस्फोट हुआ ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझ को मालूम है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

महाराष्ट्र सरकार एवं डाभोल पावर कंपनी के बीच विद्युत खरीद समझौते के बारे में

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिये यह हम चाहते हैं कि उनके नेता उन्हें बता दें। सत्ता पक्ष के लोगों का इस प्रकार का आचरण होना चाहिये की जब सत्ता पक्ष का कोई एम.पी. बोल रहा हो तो उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिये और उत्तर देने के लिये तैयार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कल हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि सरकार परदर्शी हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और उसका उदारवादी दृष्टिकोण हो। यह उनके भाषण का सार था। श्रीमन्, सिर्फ भाषण से ही समाज और राष्ट्र नहीं बनने वाला है। आज कितने पतन की ओर हम लोग जा रहे हैं, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : भाषण क्यों कर रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपकी सहायता चाहूंगा। अगर सत्ता पक्ष के लोगों को उनके नेता नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो चेअर उसे नियंत्रित करें ...**(व्यवधान)** इनके साथ तो 'चोर की दाड़ी में तिनका' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ... **(व्यवधान)** एनरॉन को तत्कालीन सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व सदन में स्वीकृति दी थी। मैं उस समय इस सदन का सदस्य नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था। लेकिन समाचार पत्रों के जरिये मालूम हुआ था कि आज इस सदन में सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों ने इन्ही लोगों पर कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया था और तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। जब इनको मालूम था कि इनकी सरकार आज कलैप्स होने जा रही है और कल पूरे सदन में इस बात का पता चल गया था कि इनके पास बहुतमत नहीं रह गया है तो इनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि इनरॉन के बारे में निर्णय लेना पड़ा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। मेरे विचार में इतना काफी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमारा देश लोकतंत्र पर आधारित है और बहुमत वाले दल को ही सरकार बनाने का अधिकार है और वही इस

कुर्सी पर बैठ सकती है लेकिन श्रीमन्, इनको वह बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है और इसीलिये इस विवादित विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इनको जल्दी स्वीकृति प्रदान करने की क्या आवश्कता पड़ी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, इतना पर्याप्त है। आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, हमें तो यह आभास हो रहा है कि सारे राष्ट्र में इस सवाल पर विवाद पैदा हो रहा कि इसमें भ्रष्टाचार की गंध आ रही है और सारे समाज में 1000 करोड़ रुपये के गोलमाल की चर्चा है। इन लोगों को इतना जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता और क्या हो सकती है? यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे सकती है लेकिन इस बगुला भगत सरकार को मतदान के जरिये जल्दी ही हटाने का काम करें। यह आपका राष्ट्र पर उपकार होगा। यही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब, श्री पृथ्वीराज चव्हाण बोलेंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र सरकार और डाभोल पावर कंपनी के मध्य संशोधित विद्युत खरीद समझौते को मंजूरी देने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय, जो कल 1.15 म.प. पर लिये गये थे, जबकि अभी लोक सभा में विश्वास-प्रस्ताव पर चर्चा की जानी शेष थी, में दिखाई गई जल्दबाजी की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। **...(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं भी यही मुद्दा उठाना चाहता हूं **...(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। मुझे बोलने दीजिये। **...(व्यवधान)** महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये... **(व्यवधान)** हम यह जानना चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार के लिए जिसे अभी लोक सभा का विश्वास मत प्राप्त करना था, मध्याह्न भोजना के समय बैठक करके इतनी जल्दबाजी में इस संशोधित विद्युत खरीद समझौते को मंजूरी देने की क्या आवश्यकता थी। इस संबंध में प्रतिकुल समाचार मिले हैं कि अमरीकी सरकार द्वारा दबाव डाला गया था; महाराष्ट्र में शिव सेना सरकार द्वारा दबाव डाला गया था। हम जानना चाहते हैं कि विश्वास-प्रस्ताव के समय विद्युत खरीद समझौते के मंजूरी देने और जिस प्रस्ताव पर आज मतदान किया जायेगा, उसमें क्या संबंध है?

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही विषय है, और मुझे भी बोलने की अनुमति दी जा सकती है. ....**(व्यवधान)**

महोदय, श्री जसवन्त सिंह, जो वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री हैं, की अध्यक्षता में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर भारत की संसद को एक रिपोर्ट पेश की है कि फास्ट ट्रैक पॉवर परियोजनाओं को काउंटर-गारंटी नहीं दी जानी चाहिये। दुर्भाग्य से मैं अत्यधिक रोष और दुःखी मन से सभा का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री के भाषण की ओर दिलाना चाहूंगा जिन्होंने कहा,

[हिन्दी]

"हमने करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुये।"

[अनुवाद]

भाषण देन के पश्चात्, वे मंत्रिमंडल की बैठक में गये और उस निर्णय को स्वीकृति दी, जो संविधान की भावना के विरूद्ध है। हालांकि वे यह कहते हैं कि "ब्रीफकेस कल्चर" में उनका विश्वास नहीं है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वह "गनी बैग कल्चर" में विश्वास करते हैं **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष जी मैंने जीरो आवर के लिए नोटिस दिया है...

अध्यक्ष महोदय : आज यह नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुन (महबूबनगर) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

वित्त मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचारों की सराहना करता हूं, जिनमें से कई - मेरे अच्छे मित्र हैं जैसे संसद की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता, सुप्रसिद्ध न्यायविद्, और स्वयं इस संस्था, संसद के प्रतीक श्री सोमनाथ जी हैं। सरकार जो कुछ करती है, यह केवल उसके प्रति विपक्ष की सजगता को दर्शाता है। यह संसदीय लोकतंत्र का सार है।

अतः, महोदय, अगर माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया है, तो उनकी इस चिंता की सराहना की जानी चाहिये। मुझे विपक्ष के सदस्यों की सभी जरूरतों को पूरा करने और सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि यह सरकार खुलापन, स्पष्टता और जवाबदेही के लिए वचनबद्ध है। **(व्यवधान)** व्यापक रूप से इसके तीन पहलू हैं; इसकी तथ्यगत स्थिति क्या है, सरकार का स्वरूप क्या है और काउंटर-गारंटी के प्रश्न पर इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मेरे विचार में विपक्ष की चिंता का यही कारण है

और इसी की तरफ उनका इशारा है। मैं उनकी इस चिंता की प्रशंसा करता हूं क्योंकि इससे हमें संपूर्ण मामले को स्पष्ट करने और सभा को संतुष्ट करने का अवसर मिला है।

महोदय, सर्वप्रथम मैं वास्तविक स्थिति के बारे में बात करूंगा। यह सही है कि कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा डाभोल पावर कंपनी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए विद्युत खरीद समझौते पर प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति दी है। पहली बात यही है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रारम्भ में पूर्व सरकार ने 30 दिसम्बर, 1992 को डाभोल परियोजना को स्वीकृति दी थी विद्युत खरीद समझौते पर 8 दिसम्बर, 1993 को हस्ताक्षर हुए थे और इस परियोजना के लिए एक समान काउंटर गारंटी देने के प्रस्ताव को तत्कालीन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12.8.94 को स्वीकृति दी थी। उसके पश्चात्, अप्रैल, 1995 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। महाराष्ट्र में सरकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के चरण-I पर चल रहे काम को रोकने का निर्णय किया और समझौते की शर्तों में सुधार के लिए आगे बातचीत शुरू की। उसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल पावर कार्पोरेशन के साथ पुनः बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। व्यापक स्तर पर पुनः बातचीत करके राज्य सरकार को सफलता मिली।

श्री सुरेश कलमाडी (पूणे) : आप तो इस परियोजना को समुद्र में फेंक देना चाहते थे। उसका क्या हुआ?

श्री जसवन्त सिंह : अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा।

राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर पुनः बातचीत करने के परिणामस्वरूप पूर्व हस्ताक्षरित समझौते में व्यापक सुधार हुए। ... **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : मंत्री महोदय, क्या आप एक मिनट के लिए रूकेंगे?

इन सभी प्रश्नों पर इस विद्युत परियोजना की उप-समिति में विचार किया गया था। वित्त सचिव ने साक्ष्य के दौरान कहा था कि काउंटर गारंटी देना राष्ट्र के हित में नहीं है। समिति में इन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी और एक सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यहां केवल प्रश्न इतना ही है कि क्या उस समय, जबकि सरकार विश्वास मत प्राप्त कर रही हो, इतना बड़ा निर्णय लेना उचित था और अगर सरकार को निर्णय लेना ही था, तो इतनी जल्दी क्या थी।

श्री जसवन्त सिंह : मैं वह स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। मैं लिये गये निर्णय के स्वरूप को स्पष्ट कर रहा हूं ...**(व्यवधान)** महोदय, आपको उन्हें रोकना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : इस सरकार का अधिकार ही क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ भी स्वयं प्रश्न के दायरे में है। आप इसे और जटिल क्यों बना रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मंत्रीमंडल ने जो कुछ किया, मैं उस स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं और असके पश्चात् मैं ये सभी बातें बताऊंगा। क्या निर्णय लिया गया था, यह निर्णय क्यों लिया गया था और समान कांउटर-गारंटी का मुद्दा क्या था ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इतनी जल्दी क्या थी? ...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी : हम यह जानना चाहते थे कि इसमें तात्कालिकता क्या थी? ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : इस सरकार का नैतिक अधिकार क्या है?

श्री जसवन्त सिंह : मैं निर्णय पर स्पष्टीकरण दूंगा और इसीलिए यहां यह बताना मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ओर मंत्रालय ने संशोधित स्वरूप की जांच की थी और महाराष्ट्र सरकार को अपनी अनुमति दी। इस परियोजना के संशोधित चरण-I को पूर्व सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की 30 अप्रैल, 1996 को हुई बैठक में स्वीकृति दी थी। इस सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसे पूर्व सरकार ने न लिया हो।

सितम्बर, 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई काउन्टर-गारन्टी के प्रयोजनार्थ विद्युत खरीद समझौते में परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा अनुरोध के पश्चात् हमने जो किया वह यह है।

महोदय, इस काउंटर गारंटी की शर्तों के अन्तर्गत विद्युत खरीद समझौते में किसी संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है ...**(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। केवल माननीय अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर दीजिए और कुछ नहीं। ...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : महोदय, इस सभा के पास एक ही उपाय है और वह है अनुच्छेद 74। संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के पुनः विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव वापस भेजने का

अधिकार प्रदान करता है। सभा के पास केवल यही तरीका है। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने केवल उसकी पुष्टि की है – कृपया मुझे इसे दोहराने दीजिए – इस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की केवल पुष्टि की है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आपके मिनिस्टर खड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री आचार्य जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर खड़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हममें माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने के लिए थोड़ा धैर्य होना चाहिए। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बाद में प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सभा सभी माननीय सदस्यों से कम से कम इस बात की उम्मीद रखती है।

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है किस नियम के अन्तर्गत?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया मुझे नियम पुस्तक दिखाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह कह रहा था कि मेरे विचार में इसमें विपक्ष की सावधनी का पता चलता है।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मै इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कौन कह रहा है कि मैंने अनुमति दी है? कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी प्वांइट ऑफ आर्डर रेज करने से पहले आपको रूल बताना चाहिये, कौन से रूल के अंडर आप रेज करना चाहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि अध्यक्ष के आदेश के बावजूद, मंत्री जी स्ट्रेट–अवे जबाव न देकर, हिस्ट्री बता रहे हैं जिससें आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है। यही मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : आपके आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिये ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को बोलने दीजिये। क्या कर रहे हैं, आपके मंत्री बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : कृपया मुझे अपनी बात दोहराने दीजिए – इस सरकार ने केवल इतना किया है कि संशोधित विद्युत खरीद समझौते की पुष्टि की है जिसे पूर्व सरकार ने, पहले से ही स्वीकृति प्रदान की हुई थी। महोदय, हमने इसकी पुष्टि क्यों की है? यह मामला महाराष्ट्र सरकार के पास लंबित नहीं है। यह मामला यहां पिछले तीन महीनों से सरकार के पास लंबित पड़ा है।

इस बात की जल्दी यह थी कि यदि यह निर्णय नहीं लिया जाता तो मामला निर्णयाधीन रह जाता जिससे राजकोष को नुकसान होता।

स्वतः ही यह मामला निर्णयाधीन चल जाता। इस विषय में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

दूसरा, भारत सरकार की वचनबद्धता 15,000 करोड़ पर ही है जो कि पिछली सरकार का समझौता था। उस वचनबद्धता में एक पैसा भी और नहीं जोड़ा गया है।

तीसरा, इस पृष्ठभूमि में और देश को नुकसान तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की हानि से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया था...**(व्यवधान)**

इसका एक और पहलू है अर्थात् काउन्टर गारंटी और सरकार के स्वरूप के संबंध में। यह सरकार कुछ सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध है। मैं समिति की कार्यवाही का हवाला नहीं देना चाहता हूं, जिसके बारे में मेरे माननीय मंत्री श्री बसु ने उल्लेख किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उस समिति में तीन वर्ष तक एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था और जो कुछ भी रिपोर्ट आई है वह सर्वसम्मति से दी गई थी। इस सभा की यह परम्परा है कि जो कुछ भी समिति में घटित होता है सामान्यतः उसका उल्लेख यहां नहीं किया जाता है। इसमें एक तकनीकी मुद्दा है...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह एक सर्वसम्मति से दी गई रिपोर्ट थी। इसमें क्या गलत है?

श्री जसवन्त सिंह : इस समिति के सभापति के रूप में, श्री निर्मल चटर्जी आप जानते हैं कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैं समिति की रिपोर्ट के बारे में जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि यह कब सभा पटल पर रखी गई थी। जहां तक कि काउन्टर के नियम का संबंध है, इस सरकार ने साफ-साफ कहा है कि हमारी सरकार को काउन्टर का नियम स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह जिम्मेवारी हमें पिछली सरकार से मिली है और हमारी सरकार काउन्टर गारंटी की जिम्मेदारी भी निभा रही है जो कि पूर्णतः पिछली कांग्रेस सरकार की थी। इसलिए हमने पिछली सरकार से उनकी वचनबद्धताओं को भी उत्तराधिकर में पाया है। हम जब उत्तराधिकार में मिली वचनबद्धताओं तथा समझौतों से सहमत नहीं होते हैं, तो भी हमें उनकी पुष्टि करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार निरन्तर अस्तित्व में रहती है और भारत सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए समझौतों को न तो रद्द कर सकती है और न ही उन्हे वापस ले सकती है केवल इसलिए क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा है।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी की सराहना करता हूं कि यह एक महान् निर्णय था, और यह निर्णय भारत के हित में लिया गया था।

सरकार के स्वरूप के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। एक प्रसिद्ध विधि वेत्ता ने यह प्रश्न उठाया था। वह यह बात अधिक जानते हैं कि संविधान विश्वास मत हासिल करने वाली सरकार के बीच अथवा जिसने कुछ भी गलत न किया हो, के बीच कोई भेद नहीं करता है। यह सरकार स्वामित्व के प्रश्न के प्रति पूर्णतः जागरूक है। महोदय मैं यह मानता हूं कि यह निर्णय राष्ट्र के हित में है। यह एक ऐसा निर्णय है जो कि हमने पिछली सरकार की वचनबद्धताओं की पुष्टि करने के लिए किया है। यही हम चाहते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : महोदय काउन्टर गारंटी पर लिए गए प्रश्न के निर्णय के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तिम तिथि अगले महीने थी। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि अन्तिम तारीख अगले महीने थी तो अभी क्या जल्दी थी। ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जो कुछ भी किया गय है, हमें उस बारे में न तो कोई हैरानी हुई है और न ही हम चौके हैं, इस सरकार से यही उम्मीद है। लेकिन चूंकि उन्होंने हमारी सरकार के निर्णय के बारे में उल्लेख किया है और वह उसको कार्यान्वित करने के बहुत इच्छुक हैं इसलिए मैं दलित ईसाई के बारे में अध्यादेश जारी करने के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को मत उठाइए। मेरे विचार में चर्चा समाप्त हो गई है। जी हां, श्री नाईक।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे इस सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने दें और माननीय सदस्यों को अवश्य याद होगा कि पिछली सरकार के कोई अध्यादेश नहीं लाई थी। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह समाप्त हो गया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया चाहा हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए। कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना।

श्री श्रीकान्त जेना (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया, गया था...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री चव्हाण ने जो प्रश्न उठाया था वह इस मामले के गुण-दोष पर आधारित नहीं है। प्रश्न यह है कि, जल्दी क्या थी? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह अध्याय बन्द कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने यह अध्याय बंद कर दिया है, श्री नाईक, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

विपक्ष के नेता को मान्यता दिये जाने के संबंध में

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा उठाना चाहता हूं जो हमारे नियमों और संसदीय शिष्टाचार और परम्पराओं से संबंधित मुद्दा भी है। यह मुद्दा विपक्ष के नेता की नियुक्ति के बारे में है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (केन्द्र पाड़ा) : महोदय, क्या कोई सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय के बारे में प्रश्न उठा सकता है? यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के निर्णय के बारे में है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए, वह प्रश्न पुछ रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप प्रश्न पुछिए मैं उसे स्पष्ट करूंगा।

श्री राम नाईक : महोदय, यह विपक्ष के नेता की भूतलीय प्रभाव 16 मई से नियुक्ति के बारे में है। इस सभा के सदस्यों ने 22 मई को शपथ ग्रहण की है। महोदय, कोई भी व्यक्ति विपक्ष का नेता केवल तभी बन सकता है जब वह सभा का सदस्य बन जाता है। अतः मैं आपका ध्यान कौल और शकधर की पुस्तक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है। मैं आपका प्रश्न अच्छी तरह से समझ गया हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे ऐसा करना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे इसकी जरूरत है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बिलकुल ठीक है कि क्या अध्यक्ष के निर्णय को सभा में उठाया जा सकता है। इसके बावजूद मैंने आपको इसकी अनुमति दी है।

श्री राम नाईक : महोदय, यदि प्रक्रिया गलत थी तो मुझे यह बात आपके ध्यान में लाने का पूरा अधिकार है और उस दृष्टि से मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, इससे गलत परम्परा स्थापित होगी।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, कोई भी व्यक्ति केवल तभी सभा का सदस्य बनता है जब वह संविधान के अनुसार सभा में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। अनुच्छेद 99 में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।"

अतः महोदय, राष्ट्रपति जी ने सभा का कार्य संचालित करने के लिए एक सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब प्रश्न यह है कि विपक्ष का नेता कब नियुक्त किया जा सकता है? विपक्ष का नेता केवल तभी नियुक्त हो सकता है जब वह शपथ ले ले। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने शपथ कब ली? उन्होंनें 22 मई को शपथ ली... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर मौजूद हूं। आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं?

श्री राम नाईक : महोदय, उन्होंने 22 मई को ही तो शपथ ग्रहण की है। जब सदस्यों को शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया जा रहा था तो तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि सबसे पहले प्रधान मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद विपक्ष के नेता शपथ लेंगे। इसका मतलब यह है कि विपक्ष का नेता शपथ ग्रहण से पूर्व नियुक्त किया गया था।

अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। शपथ ग्रहण करने की प्रथा यह रही है कि सबसे पहले प्रधान मंत्री शपथ लेते हैं और उसके केबिनेट मंत्री और उनके पश्चात् सभा के नेता शपथ ग्रहण करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राम नाईक : यहां पर वह प्रथा नहीं अपनाई गई। 22 मई को शपथ ग्रहण के बाद उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता था। उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से 16 मई से जबकि किसी ने भी शपथ ग्रहण नहीं की थी, नियुक्त किया गया है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि जब तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की तक तक वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते हैं।

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि मंत्री द्वारा शपथ लेने और विपक्ष के नेता द्वारा शपथ लेने में अन्तर है। राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्री नियुक्त किये जाते हैं। विपक्ष के नेता वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं जानता हूं कि आपने उन्हें नियुक्त नहीं किया है क्योंकि आपने अध्यक्ष का कार्यभार उसके बाद संभाला है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : विपक्ष के नेता की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय ने नहीं की है। उन्होंने उसे मान्यता दी है...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, यह बड़ा संगत प्रश्न है कि क्या पिछली तारीख अर्थात 16 मई से विपक्ष के नेता की नियुक्ति हो सकती है और मैं इस दृष्टि से यह प्रश्न उठा रहा हूं। मुझे आशा है कि परंपराओं को ध्यान में रखते हुए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की एक दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं, संविधान और नियमों को ध्यान में रखते हुए और जो भी प्रथाएं प्रचलित रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक जायज सवाल है जिसे आपके ध्यान में लाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। इस सभा के दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष के नेता को सभा के नेता के रूप में जाना जाता है। वह सभा का नेता कब बनता है? वह सभा का नेता तब बनता है जब वह देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ले लेता है। अध्यक्ष प्रधान मंत्री को स्वतः ही सभा के नेता के रूप में मान्यता दे देता है।

प्रधान मंत्री जब शपथ-ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने एक सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मेरी बात सुनिये। मैं अपना निर्णय दे रहा हूं, कृपया आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिये। आपने यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं क्योंकि इस देश की जनता के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अतः, ज्यों ही प्रधान मंत्री शपथ ग्रहण कर लेते हैं, अध्यक्ष उन्हें इस सभा के नेता के रूप में स्वीकृति प्रदान कर देता है तथा संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने से पहले प्रधान मंत्री को इस सदन के नेता के रूप में मान लिया जाता है। विपक्ष के नेता के लिए भी यही बात लागू होती है। दसवीं लोक सभा में क्या हुआ था? यद्यपि इसके लिए मेरे पास अनेक तर्क हैं, परन्तु मैं आपको यह तर्क नहीं देने जा रहा हूं।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दसवीं लोक सभा में क्या हुआ था? हमारे सामने पूर्वोदाहरण विद्यमान है। मैं आपको बताता हूं। दसवीं लोक सभा में पी.वी. नरसिंह राव की सरकार ने 21 जून, 1991 को शपथ-ग्रहण की थी। 27 जून, 1991 को भाजपा-जोकि सत्तारूढ़ दल के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी-ने इस आशय का एक पत्र लिखा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके दल का नेता निर्वाचित किया जा चुका है तथा उन्हें प्रधान मंत्री द्वारा शपथ-ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 21 जून, 1991 से विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकृति दी जाये और इस पत्र पर डा. एल.एम. पांडे ने हस्ताक्षर किये हुए थे। अध्यक्ष ने उन्हें सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान कर सही ही किया था। इस संबंध में दसवीं लोक सभा एवं ग्यारहवीं लोक सभा की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की आर्थिक दशा का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मुझे दो मिनट बोलने का समय दे दीजिए।...**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कोरी जाति की दलित महिला को पूरे गांव में नंगा करके घुमाया गया। उसको मारा, पीटा गया। यह पहली घटना नहीं है, जब से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी है तब से वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासियों तथा उनकी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अतः मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार को बरखास्त करके वहां के हरिजन और आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। गृह मंत्री महोदय, उमा जी क्या कह रही हैं, कृपया उस पर ध्यान दीजिए।

माननीय सदस्यगण, मुझे नियम 357 के अधीन एक और सूचना को निबटाना है। यह सूचना माननीय सदस्य, श्री मल्लिकार्जुन ने दी है।

डा. मल्लिकार्जुन (महबूबनगर) : महोदय, इस माननीय सभा की बैठक चल रही है अतः मैं हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कथित समाचारों के बारे में स्थिति सुस्पष्ट करना अपना नैतिक दायित्व समझता हूं। महोदय, सितम्बर, 1995 में 877 ई. के.एम. सिंधुवीर

पनडुब्बी को पुनः बनाने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि वार्ता पूरी हो चुकी थी; वार्ता शुरू हुई थी। अन्ततः, यह फाईल 27 मार्च, 1996 को मुझे प्रस्तुत की गई थी।

वित्त मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : कृपया एक मिनट, मेरी बात सुनिये। वह जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।...**(व्यवधान)** वह इस सभा में समाचार में प्रकाशित वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं...**(व्यवधान)** आप मेरी बात सुनिये।

डा. मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह सभा समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों के संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अतः, डा. मल्लिकार्जुन जी हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सभा समाचार-पत्र में जो है, उसके संबंध में यह सभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप चिन्ता न करें।

डा. मल्लिकार्जुन : आप कृपया एक वाक्य तो सुन लीजिये। 27 मार्च को यह फाइल मुझे प्रस्तुत की गई थी। मैंने इस पर निर्णय को टाल दिया था क्योंकि उस समय चुनावों की घोषणा हो चुकी थी तथा नई सरकार को ही इस पर निर्णय लेना चाहिए।...**(व्यवधान)** जब मैंने यह पाया उक्त पनडुब्बी के पुनर्निर्माण का मूल्य निर्धारित करने संबंधी समझौता वार्ता अन्तिम नहीं है, तो मैंने समझौता वार्ता समिति को इसके मूल्य की समीक्षा करने के लिए कहा तथा कहा कि इसके मूल्य में 12 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आपने जो कहा है; उस पर यह सभा हस्तक्षेप करे।

श्री जसवन्त सिंह : एक समाचार-पत्र में इसका उल्लेख किया गया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं श्री सोमनाथ जी के साथ भी सहमत हूं।

डा. मल्लिकार्जुन : जब मैंने समाचार-पत्र देखा, तो मैंने कहा कि मैंने समझौता वार्ता समिति को इसका मूल्य संशोधित करने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। बस काफी हो चुका। समाचार-पत्र जो लिख रहे हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

गृह मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं। प्रारम्भ में ही इस सभा की अनुमति प्राप्त कर चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दमाजरा (पटियाला) : मैंने लिखित रूप में सूचना दी है। पंजाब के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : टीक है, पांच मिनट के लिए और रुकिये। यदि सचिवालय ने इसके पाठ को अनुमोदित कर दिया है तो मैं उसका सम्मान करूंगा, यद्यपि प्रारम्भ में ही मैंने यह कहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी :आखिरकार, आपने निर्णय तो लिया ही है। आपने कहा है कि दो अथवा तीन महीने के बाद इस पर चर्चा शुरू की जायेगी। यह क्या हो रहा है? इससे इस देश में जो स्थिति है, उस पर विश्वास होता है। देश में बहुमत वाली सरकार कार्यरत नहीं है।. ..**(व्यवधान)** यहां यह क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से मैंने सत्र शुरू होने पर प्रातः ही यह अनुरोध किया था कि समय का फायदा उठाने के लिए सहयोग दें। अब हमें उस बात पर डटे रहना चाहिए। उस समय सभा ने मेरी घोषणा का विरोध नहीं किया था। आप सभी नेताओं को उस निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। गृहमंत्री महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकृत कर चुका हूं। इस विषय को आज नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप सभा की सर्वसम्मत राय के विरूद्ध नहीं जा सकते। सभा इस बात से सहमत हो चुकी है कि इस विषय को नहीं लिया जायेगा। सभा प्रारम्भ में ही इस बात से सहमत हो चुकी है कि इस विषय को नहीं लिया जा सकता। फिर ऐसी समस्या क्यों पैदा कर रहे हो? कृपया बैठ जाईये।

पूर्वाह्न 11.48 बजे

मंत्रि परिषद में विश्वास का प्रस्ताव-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम मंत्रि परिषद में विश्वास के प्रस्ताव पर पुनः चर्चा शुरू करेंगे।

गृह मंत्री महोदय, डा. जोशी।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में अध्यक्षपीठ अथवा अन्य किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) :अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव विचाराधीन है। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में तथ्यों का उल्लेख किया और इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ सदन के समक्ष रखा कि 1996 के इस जनादेश का क्या मतलब है। उस जनादेश के दो पहलू हैं। पहली बात तो यह कि जो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस था, उसको जनता ने बहुमत ही नहीं दिया, बल्कि दूसरे नम्बर की लार्जेस्ट पार्टी रखा।

एक माननीय सदस्य : वह तो हो गया, आगे बोलो।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आगे ही बोल रहा हूं। साथ ही साथ जनादेश का दूसरा पहलू यह था कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किथा।

यद्यपि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रित किया और प्रधान मंत्रीजी ने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, तब उसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति महोदय इस बात के बारे में कोशिश करें, प्रयत्न करें कि एक ऐसी सरकार बनाई जाये जो इस जनादेश के आधार पर देश का शासन कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और बड़ी ईमानदारी के साथ प्रयत्न किया कि कार्यक्रमों के आधार पर, नीतियों के आधार पर एक सर्वानुमति का निर्माण किया जाये। हमने इस बारे में पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया। प्रधान मंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें भी और जो सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण आपके समक्ष रखा गया, उसके माध्यम से भी यह प्रयत्न किया गया कि कार्यक्रमों के आधार पर हम सर्वानुमति का निर्माण करें और देश के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिसे सब लोग मिलजुल कर चलायें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि बजाय इस जिम्मेदारी को, इस निष्ठा को, वेल्यु बेस्ड पालिटिक्स को समझने के इस प्रकार के आरोप लगाने की चेष्टा की जा रही है।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

मेरे मित्र बंगाल से आये हुए एक बहुत प्रसिद्ध न्यायविद सोमनाथ चटर्जी ने कल कहा कि श्री वाजपेयी बहुत छोटे समय के लिए, अल्पावधि के प्रधान मंत्री के रूप में स्मरण रखे जायेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं श्री वाजपेयी स्मरण रखे जायेंगे एक सुनीति की निस्वार्थ राजनीति के लिए, वेल्यु बेस्ड पालिटिक्स के लिए और कार्यक्रमों के आधार पर सर्वानुमति का निर्माण करने के लिए स्मरण रखे जायेंगे। मुरासोली मारन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिसने कार्यक्रमों के आधार पर, सर्वानुमति का निर्माण करने की चेष्टा की। लोगों को घूस देकर उनका मतान्तर करने की चेष्टा नहीं की। हम किसी खरीद-फरोख्त के तरीके में नहीं गये। हमने कोशिश की कि कार्यक्रम के आधार पर लोगों में सर्वानुमति का निर्माण करें। लेकिन आज क्या कोशिश हो रही\है कि 1996 के जनादेश को उलटा जा रहा है, उसको हास्यास्पद बनाया जा रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि कुछ सेकूलर फोर्सेज के लिए जनादेश मिला है। कौन-सी सेकूलर फोर्स हैं, किन सेकूलर फोर्सेज के लिए जनादेश मिला है? कौन इनमें सेकुलरिज्म के आधार पर चुनाव लड़ा है। कुछ दल या तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, कुछ दल भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव लड़े और एक दूसरे से आपस में लड़कर चुनाव लड़े। कल श्री जार्ज फर्नाडीज ने आपके घोषणा-पत्रों से पढ़कर बहुत साफ-साफ सुनाया था कि आपकी सेकुलरिज्म के बारे में क्या अवधारणा है। कांग्रेस के लिए आपने सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा और आपके बारे में कांग्रेस ने क्या कहा। उसके बाद कौन-सी सेकूलर फोर्स मिलकर इकट्ठी आई हैं। क्या मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सरकार बनाना सेकुलिरिज्म है? क्या उन पार्टीज का जिन्होंने देश का विभाजन कराया, उनके साथ मिलकर काम करना सेकुलरिज्म है? क्या शहबानो के मामले में जिन लोगों ने जैसा रुख अपनाया वह सेकुलरिज्म है?...**(व्यवधान)** जरा सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आपको केरल में मुस्लिम लीग के बारे में कोई जानकारी है? वह पंथ निरपेक्ष दल है। पंथ निरपेक्ष पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी की संज्ञा मत दीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुझे मालूम है। कृपया सुनिये। सेकुलरिज्म पर, पंथ-निरपेक्षता पर और माइनोरटीज्म पर बहस होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब माइनोरटीज्म है? क्या सेकुलरिज्म को मतलब अल्पसंख्यकवाद है या सेकुलरिज्म का मतलब सही मानों में पंथ-निरपेक्षता है। आवाज उठाई गई कि हिन्दुत्व का क्या मतलब है। हिन्दुत्व का मतलब उच्चतम न्यायालय ने साफ-साफ कर दिया है। हिन्दुत्व जीवन की एक पद्धति है और जीवन की एक शैली है। इसलिए इस शैली के बारे में किसी को किसी सम्प्रदाय और मजहब के बराबर रखना गलत बात होगी। मैं तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुत्व, इंडियननैस और भारतीय्ता इन तीनों शब्दों में केवल शब्दों का अंतर है, भाषा का अंतर है, कोई और अंतर नहीं है।

इस मामले में हिन्दू का मतलब क्या है और हिन्दुत्व का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ-साथ श्री खान जो स्वर्गीय खान अब्दुल गफ्फार खान के सुपुत्र ये...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : मैं व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 356 में यह उल्लिखित है :

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने पुतकों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतकों की उकता देने वाली पुनरूक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बंद करने का निदेश दे सकेगा।"

...**(व्यवधान)**...जिसका उल्लेख श्री वाजपेयी कर चुके हैं, वह उसे ही दोहरा रहे हैं। श्री वाजपेयी इन सभी बातों का उल्लेख कर चुके हैं, यह उकता देने वाली पुनरुक्ति एवं असंगत बातें हैं...**(व्यवधान)**. ..अतः, कृपया इन्हें भाषण बन्द करने का निदेश दीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा हूं :—

[अनुवाद]

> "सच तो सच ही है—श्री वली खां द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इण्डिया' पार्टीसन'

[हिन्दी]

जो स्वर्गीय खान अब्दुल गफ्फार खान के सुपुत्र थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के पृष्ठ 150 पर यह जो उद्धरण है जो श्री सर सैयद अहमद खां के विषय में है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं:—

[अनुवाद]

उदाहरण के तौर पर, मखतूम जादा हसन महमूद द्वारा संकलित पुस्तक के पृष्ठ 339 पर पुनः उद्धृत सर सैयद अहमद खां द्वारा 27 जनवरी,1884 का गुरदासपुर में दिये गये भाषण में सर सैयद अहमद खां ने कहा है :

> "हमें (अर्थात् हिन्दू एवं मुसलमान) हार्दिक एवं आत्मिक रूप से एक बनने तथा एक होकर कार्य करने की कोशिश करनी चाहिये।

कुछ ऐतिहासिक एवं युक्तिसंगत तर्कों का विन्यास करते हुए वे आगे यह कहते हैं :

> "पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकों एवं परम्पराओं में, आपने यह पढ़ा सुना देखा होगा तथा आज भी देखते होंगे, एक देश में रहने वाले सभी लोग 'एक राष्ट्र' के रूप में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान की विभिन्न जनजातियों को 'एक राष्ट्र' की संज्ञा दी जाती है तथा इसी प्रकार विविध जत्थों की ईरान की जनता को 'फारसी' की संज्ञा दी जाती है, यद्यपि विचारों एवं धर्मों की विविधता है, फिर भी वे एक राष्ट्र के सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। याद रखें कि हिन्दू और मुसलमान शब्द धार्मिक अन्तर के लिए प्रयोग किये गए हैं, अन्यथा इस देश में रहने वाले सभी लोग इस विशिष्ट दृष्टि से एक ही राष्ट्र से सम्बद्ध हैं।"

1884 में लाहौर में दिए गए एक अन्य भाषण में सर सैयद अहमद खां ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को सुलझाते हुए जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "इन विभिन्न आधारों पर मैं भारत में रहने वाले इन दो समुदायों के एक ही शब्द अर्थात् हिन्दू कहकर पुकारता हूं जिसका अर्थ यह है कि वे हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं।"

उन्होंने ऐसा कहा है, यदि आप अपने आपको हिन्दु पुकारते हैं. ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : जोशी जी, एक सैकेण्ड.. .**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप बैठिये। हिन्दी अथवा इंडियन वह केवल विभिन्न रूप में एक ही शब्द एक ही तत्व के अर्थ हैं। कृपा करके बैठिये। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप कीजिये। जब मेरी बारी है तो आप ध्यान से सुनिये। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। प्रधान मंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप में इस बात की व्याख्या की थी कि यह इस देश की मूल धारा को प्रतिबिम्बित करता है। हिन्दुत्व अध्यात्मिक सहिष्णुता का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग है।

[अनुवाद]

यह आध्यात्मिक सह-अस्तित्व में अत्यंत उदार बनाने वाला अनुभव है।

[हिन्दी]

यह इस देश की महानता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस बात को साफ-साफ कर दिया है और इसलिए हिन्दुत्व के मामले में अब किसी प्रकार का किसी को भी कुछ लेने देने का सवाल नहीं है।... **(व्यवधान)**...दूसरी बात यह है...**(व्यवधान)**

दूसरी बात यह है कि अब पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और माइनारेंटीरिज्म को भी समझ लिया जाये। भारतीय जनता पार्टी का

विश्वास है कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं रखेंगे और सब को न्याय देंगे। हमारी सरकारें जहां रही हैं, वहां कोई भी घटना इस प्रकार की नहीं हुई है और अल्पसंख्यक आयोग के सामने कोई शिकायत नहीं है और सच पूछिये तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के सर्वमान भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने स्वयं यह सिफारिश की थी कि इस अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाये। आज सवाल यह है कि अल्पसंख्यक आयोग स्वयं अपना विस्तार करना चाहता है। हम उसको विस्तृत रूप देना चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक मनुष्य यदि उसके अधिकारों का कहीं पर हनन हो तो वह उसके सामने आकर खड़ा हो सके। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? यह कहां सम्प्रदायवाद का सवाल है? यह तो सारे नागरिकों को समान दर्जा देने का और उन सबके मानवाधिकारों की रक्षा करने का सवाल है और इसलिए...**(व्यवधान)** और इसलिए मानवाधिकार आयोग निर्धारित करना चाहिये और हम मानवाधिकार आयोग बनाने के पक्षधर हैं। मैं समझता हूं कि विश्व का हर एक व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय जगत् से लेकर किसी भी राज्य सरकार तक का व्यक्ति मानवाधिकारों के संरक्षण का हामी होगा। हमारी सरकार ने और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस देश के प्रत्येक दलित का, प्रत्येक महिला का और प्रत्येक अल्पसंख्यक का चाहे वह भाषायी हो, चाहे वह पांथिक हो या किसी प्रकार का हो, हम उसका संरक्षण करेंगे। यह इस बात का सबूत है कि हम मानवाधिकारों का संरक्षण करना चाहते हैं। आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?

मध्याह्न 12.00 बजे

आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। आपको इसमें भी साम्प्रदायिकता नजर आती है।...**(व्यवधान)** आपको इसके अन्दर भी...**(व्यवधान)** आप का एक ही मुद्दा है...**(व्यवधान)** इसलिए आप जरा देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं...**(व्यवधान)** आप कहते हैं कि आप के सैक्युलरिज्म में एकता है। आप कहते हैं कि सैक्युलर फोर्सेज एक हैं, लेकिन मैं देखता हूं, अखबारों में खबरें निकल रही हैं, कोई कहता है कि कमेटी में शामिल करो, तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि इनको शामिल किया, तो हम काम नहीं कर सकेंगे। इनको कमेटी में शामिल करोगे, तो ये कांग्रेस कमी पालिसियों को ही चलायेंगे। कैबिनेट में अमुक को शामिल नहीं करेंगे, अमुक को शामिल करेंगे। कोई कहता है कि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी, तो हम नहीं रहेंगे...**(व्यवधान)** एक साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर कार्डिनेशन कमेटी बनेगी और इसमें श्री नरसिंह राव जी रहेंगे और...**(व्यवधान)** यह तो कांग्रेस को रिमोट कन्ट्रोल का ही मौका है...**(व्यवधान)** आपको बहुत मौके मिल चुके हैं...**(व्यवधान)** यह कहा जा रहा है कि वे तो प्रोक्सी से ही कांग्रेस की सरकार चलायेंगे। हम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप का कार्यक्रम बन गया है कितने दिन हो गए हैं, रोज खबरें निकलती हैं कि हमारा कार्यक्रम एक हफ्ते में बनेगा। कभी पता लगता है कि शाम को बनेगा, कभी पता लगता है कि सुबह बनेगा। आपका कार्यक्रम क्या है? कौन से आपके आर्थिक कार्यक्रम हैं और किन मुद्दों पर आप एक हैं?...**(व्यवधान)** हां, बना है। हम तो जानते नहीं हैं, आपके घर में होगा।...**(व्यवधान)** कोई कार्यक्रम में आपका मतैक्य नहीं है।

अपराह्न 12.00 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण का सवाल है। उत्तर प्रदेश में चार सरकारें रहीं। 7.6.80 से 19.2.82 तक एक सरकार कांग्रेस की रही उसमें कम्युनल रायट्स में मुस्लिमों के मारे जाने का मन्थली एव्रेज आठ था... **(व्यवधान)** इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है ... **(व्यवधान)** जिसकी पीछे सरकार रही...**(व्यवधान)** दूसरी सरकार 25.6.88 से 4.12.89 तक रही, इसमें मुस्लिमों के प्रत्येक महीने में मारे जाने वालों का औसत तीन था। फिर एक सरकार रही, जिसके मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, जो 5.12.89 से 23.6.91 तक रही, इसमें मुसलमानों के मारे जाने का मासिक औसत 17 था...**(व्यवधान)** मैं जानना चाहता हूं, कौन सा अर्थमैटिक...**(व्यवधान)** फिर 24 .91 से 6.12.92 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें केवल औसत एक था और वह भी इसलिए कि रायट एक हुआ था...**(व्यवधान)** लोग सामने आकर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के संरक्षक हैं। मैं सारे राज्यों के आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े देना चाहता हूं।

दलितों की बात कही गई। यह सरकार बड़ी गरीबों की हमदर्द है और गरीबों के लिए काम करना चाहती है। उसमें हमारे सामने बैठे हुए इस पार्टी का भी समर्थन ले रहे हैं, जो गरीबों की, दलितों की बात कह रहे हैं। मैं आपको अब गरीबों की बात बताता हूं। इस देश में इन्होंने गरीबों की हालत क्या की है...**(व्यवधान)** 1987-88 में हमारे देश में पूरे गरीबों की संख्या 39 परसेंट थी और 1993-94 में भी यह 39 ही परसेंट रही। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन फर्क क्या है, 1987-88 में रूरल गरीबी, देहाती गरीबी, 39 परसेंट थी और शहरी गरीबी 40 परसेंट थी। 1987-88 में गांव अमीर था और शहर गरीब था। 1993-94 में रूरल गरीबी, देहाती गरीबी, 40 प्रतिशत हो गई थी और शहरों की गरीबी घट कर 36 प्रतिशत हो गई, यानि गांव अब पिछले...**(व्यवधान)** रूरल पावर्टी बढ़ गई है...**(व्यवधान)**

बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)** आप जरा मेरी बात सुन लीजिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। पिछली सरकार के जमाने में रुपये का अवमूल्यन हुआ, विदेशी कर्जा बढ़ा, लाखों लोगों को पीने का पानी नहीं है, देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने देश की सुरक्षा रखने के लिए सभी का सहयोग मांगा है। देश के निर्बल और दुर्बल लोगों का संरक्षण करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने सारे देश का सहयोग मांगा है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने सभी का सहयोग मांगा है। देश में नीति-निष्ठ व्यवस्था, संविधानिक व्यवस्था के लिए सभी का सहयोग मांगा है। एक नयी परिस्थिति के अंदर उन्होंने एक नये तरीके की राजनीति का श्रीगणेश किया।...**(व्यवधान)** आजादी के बाद आज पहली बार इस लोक सभा के अंदर जो एक नयी परिस्थिति पैदा हुई, उस परिस्थिति का निराकरण करने के लिए एक सर्वानुमति का रास्ता, मिलजुलकर काम करने का रास्ता, एक-दूसरे से सहयोग का रास्ता उन्होंने निकाला। कल बताया गया था कि हम केन्द्र को मजबूत करके राज्यों को कमजोर करना चाहते हैं, यूनिफोर्मिटी लाना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। मजबूत केन्द्र एक बात है और लचीला केन्द्र दूसरी बात है। हम दुर्बल केन्द्र नहीं चाहते हैं फलैक्सिबल केन्द्र चाहते हैं, केन्द्र और राज्यों के संबंध मधुरता के साथ चाहते हैं। सरकारिया कमीशन के आधार पर उन संबंधों की व्याख्या ठीक से करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक दुर्बल केन्द्र चाहते हैं। मैं लीडर ऑफ अपोजीशन से जानना चाहूंगा कि क्या वे वीक केन्द्र के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी व्यवस्था की पक्षधर है जिसमें केन्द्र और राज्य एक दूसरे को मजबूत बनाएं।...**(व्यवधान)** न कोई किसी की डिक्टेटरशिप में काम करे और न कोई किसी दूसरे को दबाए। केन्द्र और राज्य दोनों मिलाकर इस देश के प्रशासन को चलाने के लिए बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करें, और इसमें जितने राज्य मजबूत होंगे केन्द्र उतना ही मजबूत होगा। जितना केन्द्र मजबूत रहेगा उतना ही वह राज्यों की सहायता अधिक कर सकेगा। उनके संबंधों में लचीलापन होना चाहिए।

[अनुवाद]

हम दुर्बल केन्द्र नहीं बल्कि लचीले केन्द्र के पक्ष में हैं।

[हिन्दी]

वीक केन्द्र इस देश के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा करेगा। पिछली सरकार ने दुर्बल केन्द्र की नीति अपनाई जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है।

देश किस प्रकार विनाश के कगार पर चला गया है, अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो गई है? इसलिये मैं सदन के समक्ष इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ऐसी राजनीति के लिये आप सबसे अनुरोध करता हूं कि देश में सर्वानुमति की राजनीति के आधार पर और विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर इस देश को आगे बढ़ायें जिससे देश में एक नई राजनीति का श्रीगणेश हो सके। मैं प्रधान मंत्री जी को इस बारे में बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ एक नई राजनीति का श्रीगणेश किया है। इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष सम्मुख विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं।...**(व्यवधान)** सभापति महोदय, आपने देख ही लिया है कि हम से साम्प्रदायिक शक्तियों को कितनी परेशानी है। हमारा कोई कार्यक्रम हो या न हो लेकिन एक कार्यक्रम अवश्य है और वह कार्यक्रम है कि जब जर्मनी में साम्प्रदायिक शक्तियां लोकतंत्र के रास्ते पर चल करके आईं थीं...**(व्यवधान)** इसलिये हम लोगों का कोई कार्यक्रम हो या न हो जोशी जी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक कार्यक्रम है कि हिन्दुस्तान में कम्युनलिज्म पैदा नहीं किया जा सकता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा यह पहला कार्यक्रम हो। हम इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अपने दूसरे कार्यक्रम स्थगित कर सकते हैं। हम हिन्दुस्तान में हिटलरशाही को किसी तरह से पनपने नहीं देंगे।...**(व्यवधान)** नैतिकता का सवाल तो आपने यहां देख ही लिया। माननीय अटल जी से हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो नैतिकता का सवाल उठाते हैं।...**(व्यवधान)** उन्होंने कहा कि इस सरकार को बचाने के लिये वह कोई भी पाप नहीं करेंगे। आपने पूरा पाप किया। आपने परसों हरियाणा के गैस्ट हाउस के पास कोई मीटिंग नही की थी? मुझे इस बात का फख है कि हमारे सभी दलों के नेताओं ने आपके प्रलोभन में...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इनकी बात का आप जवाब दे सकते हैं। आपका भी बोलने का नम्बर आयेगा।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी पहली बार इस सदन में आये हैं। वह जो भी कहें, जैसा भी कहें...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अजीज (सीतापुर) : वह क्या कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपने नेता की बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, उधर से कैसी टोका-टोकी हो रही है...**(व्यवधान)** मैं इस बात का खंडन कर दूं कि हरियाणा के गैस्ट हाउस की तरफ मैंने मुंह भी नहीं किया, वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महादय, हम प्रधान मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जहां तक नैतिकता का सवाल था... **(व्यवधान)**...सभापति महोदय, इनको पता है कि हमारी बात का इनके पास कोई उत्तर नहीं है और ये इनके साथियों का आचरण फासीवाद का नमूना है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री जी, क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। प्रधान मंत्री जी मैं आपसे अपील कर रहा हूं। हर एक सदस्य को बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री चटर्जी जी, मैं बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं कि हर सदस्य को यहां बोलने का अधिकार है और आपको भी अपने सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का निवेदन करना चाहिए कि सदन में शांति हो।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे मालूम है कि मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति उत्तेजना पैदा करती है मगर इनको रोका-टोका मत करिये, आप सब लोग बैठ जायें।...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां तक राष्ट्रपति जी के निमंत्रण का सवाल था, उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 12 मई को अपना प्रस्ताव भेज दिया था और टीवी अखबारों में आ गया था जिसकी प्रतिलिपि 13 मई को महामहिम राष्ट्रपति जी को दी थी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी और बीजेपी द्वारा समर्थित सरकार का भी कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करेगी।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकार) : महोदय, नये सदस्य के पहली बार बोलते समय विघ्न नहीं डाला जाता। सदन में यही परम्परा रही है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, आपको मालूम है कि जहां तक जनादेश का सवाल है तो यहां सदन में बैठे हुये 3/4 सदस्यों का जनादेश इस विश्वास मत की इस तस्वीर को प्रकट करता है। केवल 20 प्रतिशत लोग ही जानबूझकर असमंजस की स्थिति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री जी क्या कहते हैं? अगर हमारा प्रस्ताव पास हो जायेगा तो सरकार चलायेंगे और अगर पास नहीं होगा तो हमदर्दी मिलेगी। सभापति महोदय हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को तोड़ने वाले हाथ कितने ही बड़े क्यों न हों यह महान् राष्ट्र उनके हाथों को इतना निकम्मा कर देगा कि न रहेगा हाथ और न रहेगा हाथ में लड्डू...**(व्यवधान)**... माननीय वाजपेयी जी आप को पता होना चाहिये कि 50 साल पहले हिन्दुस्तान के तीन हिस्से हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांगला देश हो गये। अगर बांगला देश के लोग यहां आते हैं या पाकिस्तान के लोग यहां आते हैं या यहां के लोग पाकिस्तान या बांगला देश जाते हैं ...**(व्यवधान)**

आज हमारी कोशिश है कि यह महासंघ बने। इसकी एक प्रक्रिया और आप जैसे लोगों को इससे इंकार करने की क्या जरूरत है? हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैसे पचास साल पहले हम एक थे, उसके बाद दो भाई लड़ गए तो हम अटल जी से पूछना चाहते हैं कि. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। उनको भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर दक्षिण) : ये जो कुछ कह रहे हैं बराबर नहीं हैं। ये कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)** इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए

[अनुवाद]

वह पाकिस्तान जाकर तो देखें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, हम आपके माध्यम से अटल जी से जानना चाहते हैं कि अगर दो भाई आपस में लड़ गए. .**(व्यवधान)** अटल जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आपके हमारे मतभेद हैं तो क्या हमारे लड़के को आप अपने घर से निकाल देंगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसी तरह से बंग्लालेश और पाकिस्तान हिन्दुस्तान के भाई हैं। हम उनसे मधुर संबंध बनाएंगे और एक प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक वातावरण बनाएंगे और उस वातावरण में हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलाकर एक मजबूत महा संघ बनेगा। भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की एक मजबूत शक्ति होगा। क्या आप हिन्दुस्तान को मजबूत नहीं करना चाहते हैं? अगर हिन्दुस्तान को मजबूत बनाना है तो बंग्लादेश तथा पाकिस्तान से हिन्दुस्तान को मधुर संबंध बनाने पड़ेंगे।...**(व्यवधान)** आपने 12 दिन में कौन सा काम किया है?...**(व्यवधान)** आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने जो आपके समर्थक थे, उन्होंने जब आपसे इस्तीफा मांग लिया है तो आपकी नैतिकता का तकाजा था कि आप तुरन्त इस्तीफा देते। आप 194 से कम हो गए और हम 171 से 192 पर पहुंचे और 321 से 362 तक पहुंच गए। आपकी नैतिकता कहां है? इसलिए आप जो विश्वास मत की भीख मांग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उससे बेहतर यह होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हम जानते हैं कि आपके सामने ऐनरॉन का सवाल आया है।...**(व्यवधान)** हमारी सरकार तीन-चौथाई के बहुमत से बनेगी। वह इसकी समीक्षा करेगी। ऐनरॉन में सीधा-सीधा करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आपको निर्णय करने की इतनी जल्दवाजी क्यों? आपकी सरकार को बहुमत नहीं मिला है, आपकी ऐडहॉक व्यवस्था है और ऐडहॉक व्यवस्था में जहां बहस चल रही हो, और आपका बहुमत न हो, वहां आपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। क्या जरूरत थी? यह सीधा करोड़ों का भ्रष्टाचार है।...**(व्यवधान)** आपने आरोप लगाया था और कहा था कि ऐनरॉन का समझौता हम अरब सागर में फेंक देंगे। इनका दोहरा चरित्र है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।... **(व्यवधान)** मान्यवर, इनके चुनाव घोषणापत्र में क्या लिखा है-समान नागरिकता, 370 और मंदिर निर्माण। इसके बाद ये बदल गए और फिर कहते हैं कि अभी मन्दिर निर्माण, काशी और मथुरा एजेण्डा पर नहीं है। अभी नहीं हैं तो क्या कभी नहीं हैं। अगर हिम्मत है माननीय अटल जी में तो कहें कि मथुरा, काशी और मंदिर निर्माण का एजेण्डा कभी नहीं है। कहिए।...**(व्यवधान)** ये दांत नहीं छिपाए जा सकते हैं आप कितनी भी कोशिश करें। ये दोहरे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने संसद की बात को नहीं माना। उच्चतम न्यायालय की बात को नहीं माना और जो हिन्दुस्तान का सर्वोच्च राजनीतिक मंच है राष्ट्रीय एकता परिषद, उसमें इन्होंने वायदा किया कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे पर उसकी हिफाजत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। आपको पता होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई अपील नहीं है।...**(व्यवधान)** इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि इन्होंने 12 दिन में क्या किया? 21 मई से हत्याओं का सिलसिला जारी है। 21 मई को समाजवादी पार्टी के लखनऊ के नेता इरफान अहमद की हत्या कर दी गई।

21 मई को रामपुर में फिरासत अली और 21 मई को विजय सचान पर हमला जो कि समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह यादव, एटा के भाई की हत्या की गई। 23 मई को मान्यवर, राजवीर दीक्षित जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता थे, हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार लड़ा था, उस उम्मीदवार ने हत्या की, जो जेल के सिकचों में है, हमारे खिलाफ उम्मीदवार लड़ा था।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए हमने कहा कि जर्मनी में इस तरह से फासिस्टवाद आया था हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं होने दिया जायेगा, यह हमारा आपसे कहना है। आपसे हम कहना चाहते हैं गृह मंत्री जी कि आप जार्ज साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। जार्ज साहब के बारे में हमें यह कहना है कि जार्ज साहब ने जिंदगी में कई बार करवट ली है। बहुत अच्छा बोलते हैं समाजवादी नेता हैं और उनके करवट बदलने के हमने कई रूप देखे हैं। पहला हमने 1963 में देखा। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीत कर आये थे, तब कहा था।. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : फिर दोबारा करवट बदल कर आये। फिर मोरार जी देसाई के जमाने में सबसे बढ़िया भाषण दिया। कल जो भाषण दिया था वह ज्यादा बढ़िया भाषण दिया था लेकिन करवट बदल गये।...**(व्यवधान)** इसलिए हम प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि यह...**(व्यवधान)** (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया

गया।)...**(व्यवधान)** कह रहा था कि वह वित्त मंत्रालय चला रहा है। गृह मंत्री जी सारी पत्रावलियों को फाइलें बना रहे हैं। नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप बना-बना कर फोटोस्टेट कापी कर रहे हैं। क्या. ..**(व्यवधान)** फाइल बनाई,...**(व्यवधान)** इंदिरा जी ने कहा था... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उधर रोक लगी थी...**(व्यवधान)** पी. एम. हाउस में बैठ करके, गृह मंत्रालय में बैठ करके...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को आबंटित समय खत्म हो चुका है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक 370 धारा का सवाल है। 370 धारा तो कम है हम कश्मीरियों के लिए और अधिकार चाहते हैं...**(व्यवधान)** यह अलग मामला है। कश्मीर का स्टेट अलग है। कश्मीरियों ने उस वक्त हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था जब इस देश से मुसलमान 1947 में पाकिस्तान में जा रहे थे,...**(व्यवधान)**अगर इन्होंने 370, समान आचार संहिता, और मंदिर निर्माण का मुद्दा छोड़ दिया होता...**(व्यवधान)** अब आप गाय का सहारा लेते हैं। आप जाइये इनको ले जाइये और गाय का सहारा मत लीजिए। अब सरकार हमारी है। इस शब्दों के साथ हम भारत माता से यह प्रार्थना करते हैं जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, उनको इतनी ताकत दे कि इन फासिस्टवादी ताकतों को नेस्तनाबूद कर सकें और इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जाइये इनको ले जाइये और कोई सहारा मत लीजिए। अब सरकार हमारी है। इन शब्दों के साथ हम भारत माता का अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें कुछ नामों का उल्लेख किया गया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, आपके पास मेरे लिए कितना समय बचा हुआ है? क्या पांच मिनट?

सभापति महोदय : कुछ भी हो, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सदन की विवशताएं जानते ही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, मैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको एक अवसर मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, मैं सदन के इस पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप तो थोड़ा चुप रहिये। वे लोग तो बोलने नहीं देंगे लेकिन आप क्यों शामिल हो रहे हैं उसमें।

[अनुवाद]

नहीं, नहीं। यह बहुत ही मुश्किल है। जब कुछ माननीय सदस्यों के मन में अध्यक्ष पीठ के प्रति कोई आदर नहीं है, जब वे अपने ही मंत्रियों को बोलने नहीं देते हैं और जब वे खुद अपने ही सदस्य के भाषण में व्यवधान डालते रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी।

महोदय, इस लम्बी चर्चा में, जो कल से चल रही है, सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने देश के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को बखूबी से उठाया है। मैं इस विषय पर दूसरे दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं और इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां पर एक या दो माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अभी-अभी इस मुद्दे को माननीय गृह मंत्री जी ने उठाया है। वह एक विचाराधारा सम्बन्धी दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

यह विचारधारा की लड़ाई हो रही है, और कुछ नहीं है। आपने सही कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है।

[अनुवाद]

यह परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। एक विचारधारा तो वह है जो सबसे श्रेष्ठ होगी और देश पर शासन करेगी और दूसरी वह विचारधारा है जिसे शीर्ष पर आने से रोकना होगा क्योंकि हमारा विचार है कि यह विचारधारा देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। यहां पर यही प्रमुख मुद्दा है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : हमने आपातकाल के दौरान आपका असली रूप देखा था। आप उनके साथ मिल गये थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मुझे बाद में, सदन के बाहर, अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपकी विवेकपूर्ण बातों को सुनने के लिए काफी उत्सुक हूं, पर यहां नहीं, बाहर सुनूंगा।

महोदय, इसमें एक बात है, जिसे अब मुझे कह देना चाहिए क्योंकि कहीं पर, यहां पर नहीं बल्कि किसी जन सभा में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने खुद ही कहा था—कि बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे कोई षडयंत्र होने का आरोप लगाया जा रहा है और वह इसका पुरजोर खण्डन करते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई षडयंत्र आदि नहीं रचा गया मुझे उस दिन की याद आ रही है जब इस सदन में, बाबरी मस्जिद को गिराये जाने के एक दिन बाद काफी शोरगुल हुआ था। निस्सन्देह, सदन का सामान्य कार्य नहीं हो सका था। उस दिन सम्पूर्ण सदन में हड़बड़ाहट मची हुई थी।

माननीय प्रधान मंत्री, जो कि उस समय प्रधान मंत्री नहीं थे, इस सदन में उपस्थित थे। यदि मेरे पास अब समय होता तो मैं सदन की कार्यवाहियों से उद्धृत करता। उन्होंने उन लोगों की पुरजोर निन्दा की जो इस विध्वंस के लिए जिम्मेदार थे।

उन्होंने कहा था, उन लोगों ने अपने-आप ऐसा काम किया है। उनको वहां जाकर मस्जिद को तोड़ने के लिए किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उन्होंने यह अवैध काम किया। मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। इसके लिए उनकी खिंचाई करनी चाहिए और उन्हें दण्डित करना चाहिए।" यह सदन की कार्यवाहियों के कार्यवाही-वृत्तान्त में दर्ज है। परन्तु यह दल और इसके नेता दोगली भाषा बोलते हैं। उसके दूसरे दिन अथवा दो दिनों के बाद कुछ अन्य नेता मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक रूप से कहने लगे, "जो कुछ हुआ, हमें खुशी है। हमें उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने यह काम किया है।" एक नेता ने ऐसा कहा था क्या मैं उनका नाम लूं?...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : उनका नाम बताइए।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपका नाम नहीं लिया है। आप क्यों उछल रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार : आप में उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। आप क्यों उछल रहे हैं?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अनुभवी नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी बात कही थी। यह बात मेरे मित्र वाजपेयी की इस सदन में कही बातों के बिलकुल विपरीत थी। उन्होंने कहा था, कि "हमें उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने यह काम किया है। हमें उन पर गर्व है और उनको बधाई देते हैं।" अतः हम जानना चाहते हैं कि सही कौन है। इस दल या इन दलों की सही बात क्या है? दूसरे, हमने इस सदन में श्री वाजपेयी जी का एक रूप देखा है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से इस तरफ के सदस्यों से भी और उस तरफ के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि इन्द्रजीत बाबू इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वे एक-एक चीज को जानते हैं। मैं सदन के नेता से और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मैं जो कह रहा हूं वह भी सुनिए। मेरी बात भी आपको सुननी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री जी ने भी आपसे अनुरोध किया है। मैं समझता हूं कि आपके दल के नेता ने पहले ही यह अनुरोध किया है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है और आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने से रोकें।

मैं आपसे पुनः यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर शान्तिपूर्ण ढंग से चर्चा हो और श्री इन्द्रजीत गुप्त को बिना किसी व्यवधान के बोलने दिया जाये।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने मित्र, श्री शरद यादव से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष महोदय को सभा की कार्यवाही चलाने दें। यहां सभी वक्ता बन जाते हैं। बोलने वाले काफी संख्या में हैं। सभी सभा की कार्यवाही चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां एक निर्वाचित अध्यक्ष है। कृपया उनका सम्मान करें।

महोदय, मेरे मित्र श्री वाजपेयी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे विचार से हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने उनका एक चेहरा यहां एक वाद-विवाद के दौरान देखा है। सभी संचार माध्यम, प्रेस, और सभी व्यक्ति निश्चित रूप से उनकी गम्भीरता, उनके शान्तचित्ता, प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अपील, उनके युक्ति संगतता आदि से बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि कई अवसरों पर श्री वाजपेयी का एक भिन्न रूप भी है। यहां समस्या है। मैं उनका स्मरण कराना चाहता हूं कि 1983 में असम में चुनाव के दौरान, चुनाव जिनको मुश्किल से चुनाव कहा जा सकता है क्योंकि इतनी अधिक अशान्ति थी, मतदाता आकर मतदान नहीं कर सके, समस्त वातावरण **गर्माया** हुआ था।

अशान्ति, दंगों और जातिय मुठभेड़ों आदि का इतना अधिक डर था। श्री वाजपेयी असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मेरे पास यहां एक पुस्तक है जिसमें यह बताया गया है कि जब वे असम में चुनाव सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस अत्यधिक गर्म माहौल में, उन्होंने निम्नलिखित कहा था :

> "यहां विदेशी आये हैं, और सरकार कुछ नहीं करती। यदि वे पंजाब में आये होते तो लोगों ने उनके टुकड़े-टुकड़े करके फैंक दिया होता।"

महोदय, उस समय असम में एक जिम्मेवार नेता द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना कि उनके टुकड़े करके भेज देना चाहिए उत्तेजक भाषण के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता सकता हूं कि उसके शीघ्र पश्चात, असम में नीली हत्याकांड हुआ था। मैं निवेदन करता हूं कि श्री वाजपेयी ने इस तरह के उत्तेजक भाषण देकर यह माहौल बनाने में सहायता की थी। यह उस भाषण से भिन्न है जो

उन्होंने कल यहां दिया था, जो अन्य प्रयोजनों के लिए था। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उस समय कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी?...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कांग्रेस सरकार भाड़ में जाये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।...**(व्यवधान)** लेकिन आप कहां जा रहे हैं?...**(व्यवधान)** महोदय, मुझे इस की जानकारी है कि भा.ज.पा. के अधिकांश सदस्य अथवा वे सभी...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अरे बाबा आप अपने गले को कितना प्यार करते हैं, कितनी आवाज करते हैं। आप किसी को सुनना भी नहीं चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, यदि मैं गलत नहीं हूं—यदि गलत हूं, तो वे मुझे सही करेंगे—वे सभी एक दो अपवाद हो सकते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, किसी न किसी समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रशिक्षण भी लिया है...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, यदि ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छा है, आप्र ने प्रशिक्षण नहीं किया। इसलिए, यदि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में नहीं है तो कृपया उठिए...**(व्यवधान)** कृपया स्वयं की पहचान कीजिए...**(व्यवधान)**...इससे कोई फर्क नहीं पड़ता...**(व्यवधान)** महोदय, भा.ज.पा. का वैचारिक गुरू आर.एस.एस. है। मेरे विचार से वे इससे इन्कार नहीं करेंगे। मेरे पास स्वर्गीय श्री गोलवलकर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पुस्तक से कुछ पंक्तियां ही उद्धृत करता हूं :

> "हिन्दुस्तान में गैर हिन्दु लोगों को या तो हिन्दू संस्कृति तथा भाषा को स्वीकार करना चाहिए-मुझे यह नहीं पता कि कौन सी हिन्दू भाषा-और हिन्दु धर्म का आदर करना सीखना चाहिए और केवल हिन्दु जाति तथा संस्कृति का गुणगान करना चाहिए। अर्थात उन्हें न केवल इस भूमि और इसकी सदियों पुरानी परम्पराओं के प्रति अपना असहिष्णुता और अकृतज्ञता का दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए, बल्कि प्यार का सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। अर्थात्, उन्हें विदेशी बना रहना छोड़ना चाहिए अथवा इस देश में हिन्दु राष्ट्र के अधीनस्थ रह सकते हैं, किसी चीज का दावा न करते हुए, कोई विशेषाधिकारों का दावा नहीं करना चाहिए, किसी वरीयता व्यवहार की बात ऊगल, यहां तक कि नागरिक के अधिकारों का भी।"

... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले जो कुछ कहा था वह इसके अनुरूप नहीं है, यह उसके अनुरूप नहीं है जो मोटे अक्षरों में है। यह श्री गोलवर कर जैसे महान व्यक्ति ने लिखा है जिसे आर.एस.एस. का एकं बड़ा बौद्धिक गुरु समझा जाता है। हम इसी के विरूद्ध लड़ रहे हैं। हम इस तरह के दृष्टिकोण और विचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं कि एक संस्कृति और इस देश का सामान्य बोध को स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए। यह देश केवल बहुलवाद के आधार पर ही जीवित रह सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। भारत बहुलवाद के आधार पर जीवित है और बहुलवाद के बिना इस देश के टुकड़े हो जायेंगे, इसके टुकड़े हो जायेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से, वाद-विवाद का उत्तर देते समय बहुलवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहता हूं, इस देश की रचना में बहुलवाद, हमारे समाज, संस्कृति, धर्म, भाषाओं, परम्पराओं तथा इतिहास में, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों में इस देश का निर्माण किया है जिस पर हमें गर्व है कि हमारा इस प्रकार का देश है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि यह देश किसी तरह के दैविक अथवा धार्मिक स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान नहीं बने हैं। हमारा देश पाकिस्तान अथवा बंग्ला देश नहीं है जिन्होंने यह घोषणा की है कि उनका इस्लामिक देश है लेकिन यदि कुछ लोग यह प्रचार करे, कि मानों उसके उत्तर में, कि हम **हिन्दु राष्ट्र** स्थापित करे, तो यह अच्छा नहीं होगा...**(व्यवधान)** हिन्दु राष्ट्र क्या है? कृपया हिन्दु राष्ट्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इस देश में, यहां न केवल हिन्दु ही रहते हैं। न केवल हिन्दु ही नागरिक हैं; लाखों लोग यहां रहते हैं जो हिन्दु नहीं है। क्या आप उनको समान नागरिक समझते हैं अथवा क्या आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं? आप को यह स्पष्ट करना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि समस्त देश आप के विरूद्ध क्यों है और आपका समर्थन करने के लिए कोई भी आगे क्यों नहीं आया...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : 1962 में चाईना का हमला हुआ।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

लेनिन के अनुसार विश्व में साम्यवाद का रास्ता मास्को से पीकिंग, नई दिल्ली पेरिस तथा यूरोप के अन्य औद्योगिक देशों से जाता है। यह उनका मार्ग था...**(व्यवधान)**...अतः, 1962 में, उन्होंने असम

सीमा पर साहित्य वितरित किया कि इस देश के श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए चीन की मुक्ति सेना आ रही है। यह है आपकी पार्टी. ..**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने लोगों को नियन्त्रित कर सके? मैं यह जानना चाहता हूं। आपकी इतनी बड़ी तथा मजबूत पार्टी है; आपके पास अवश्य ऐसे कुछ नेता होंगे जो अपने लोगों को नियन्त्रित कर सके...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

हम तो नहीं चिल्लाते।...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आप किताब पढ़िए।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम तो नहीं चिल्लाते लेकिन आप तो बात-बात पर चिल्लाते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गुप्ता, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यहां ये शब्द नहीं कहे जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या इस तरह बोलना और इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करना अच्छा है? और इस प्रकार मेरे अन्य पुराने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज, के लाभ के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या वे उपस्थित हैं अथवा नहीं। उसके लाभ के लिए मैं एक बहुत छोटा और संक्षिप्त उद्धरण महात्मा गांधी से देना चाहता हूं। हमारे महात्मा गांधी से काफी वैचारिक भिन्नताएं हैं। कई बातों से हम उनसे सहमत नहीं है; वे हमसे सहमत नहीं हैं; हम उनसे सहमत नहीं है। लेकिन एक विषय है जिसके संबंध में , मेरे विचार से, मुझे यह स्वीकार करते हुए भय लगता है कि हमें उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। यदि हमने उस विषय पर उनके विचारों को चुनौती दी है, तो हमने गलती की है। आज, मेरे विचार से यदि आवश्यक हो तो हमें यह प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हम उनकी उस शिक्षा पर डटे रहेंगे, जिस पर मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से भी यह चाहता हूं कि वह विचार करें।

गांधी जी ने क्या कहा था?

श्री फर्नान्डीज न केवल समाजवादी ही हैं, बल्कि एक खास किस्म के समाजवादी हैं, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त समाजवादी हैं। गांधी जी ने कहा था,

> "समाजवादी मित्रों ने [illegible] के बारे में क,ख,ग भी नही समझा था। समाजवा[illegible] क्यों नहीं देख सकते कि जब तक वे साम्प्रदायिकता के अष्टभुजी शिंकजे में जकड़े हुए हैं, तब तक [illegible] में समाजवाद नहीं आ सकता।"

मेरे विचार से उन्होंने इससे ज्यादा सच्चे शब्द कभी नहीं कहे। हमने उनकी बात को कभी भी ज्यादा ग[illegible] से नहीं लिया। आज जब देश संकट का सामना कर रहा है, हमें ग[illegible]जी के इन शब्दों को याद करना चाहिए...**(व्यवधान)** हम समाज[illegible] आदर्शों के प्रति वचनबद्ध हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : मार्क्सवाद पर मंडल छा गया।...**(व्यवधान)**

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : गुप्ता जी, यू.पी. के मुज्जफ्फरनगर में मुलायम सिंह के राज में जो घटना घटी, उसका आपके समाजवाद में क्या स्थान है?...**(व्यवधान)** क्या आप भी वही करेंगे जो मुलायम सिंह ने किया?...**(व्यवधान)** आपने अपने विचारों को मुलायम सिंह और लालू के हाथों गिरवी रख दिया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गुप्त जी, कृपया अपनी बात जारी रखिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उन लोगों से बहस नहीं करता जिन्हें हमारी पार्टी से निकाला जा चुका है तथा जो दलबदलू हैं। मैं दलबदलुओं से बहस नहीं करता। मैं उन लोगों से बहस नहीं करता जो पांच-पांच अथवा दस-दस बार अपना दल बदलते रहते हैं। ऐसे लोग ध्यान दिये जाने के योग्य नहीं हैं।

अतः, मैं यह कहना चाहता हूं-ऐसा एक वक्ता पहले कह चुके हैं-कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समुदाय किसी अल्पसंख्यक संकीर्णता की वजह से कष्ट झेल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रमुख समुदाय के मन में यह तथाकथित अल्पसंख्यक संकीर्णता किसने पैदा की, जबकि इसके कोई मूल आधार नहीं हैं?

महोदय, मुझे याद है कि जर्मनी में हिटलर यहुदियों के बारे में ऐसे बातें करते रहते थे जैसे कि उनके देश की सभी बुराइयों के लिए, वे ही जिम्मेदार हैं; यहुदियों ने ही हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है; हमें यहुदियों से सतर्क रहना चाहिए। यह पुरानी लड़ाई थी-जर्मनी में

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नाजी समाजवाद की पुकार थी तथा यह पुकार लाखों यहुदियों को गैस चैम्बर में भेजने तथा उनकी सामूहिक हत्या किये जाने से समाप्त हुई। आप अल्पसंख्यकों के बारे में बातें करते रहिये; अल्पसंख्यक ही हमारे देश में बुराईयों के लिए उत्तरदायी हैं तथा मेरे विचार से यही भारी खतरे की घण्टी है। निस्संदेह, इससे हम एक स्थिति की ओर आमुख हो सकते हैं, जिसके कि हम आदि नहीं हुए हैं तथा जिसे कि हम सहन करने को भी तैयार नहीं हैं।

महोदय, ये कुछ संगत बातें हैं। मैं अनेक विषयों पर बोल सकता था, परन्तु मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। ऐसा करने से समय व्यतीत हो जायेगा क्योंकि प्रधान मंत्री महोदय से अपना उत्तर प्रारम्भ करना अपेक्षित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपने इन साथियों को बधाई नहीं दे सकता क्योंकि इन्होंने किसी के प्रति कोई सम्मान व्यक्त नहीं किया है।

अपराह्न 12.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनके मन में अध्यक्ष महोदय के प्रति भी आदर नहीं है। यदि सभा की कार्यवाही इसी तरीके से चलती रही, जैसे कि हमने आज देखा है, तो मैं इसके भविष्य के प्रति अत्यंत दुखित हूं। महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव की कीमत उतनी भी नहीं है जितनी कि उस कागज की, जिस पर यह लिखा है। इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया जाना चाहिए और मैं निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने साथियों के साथ मतदान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल जी, आप केवल तीन मिनट में अपनी बात रखिए। हम पहले ही निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं। अतः मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : इतनी अधिक खलबली एवं वाक्-शक्ति को सामूहिक रूप से इतना अधिक प्रदर्शित किये जाने के बाद, मैं यह उम्मीद करता हूं कि मैं इस सभा में कुछ शान्ति, दूरदर्शिता एवं साधुवाद बहाल कर पाऊंगा। इस सभा में मैं सभी राष्ट्रीय दलों को इतने अधिक अन्तर से हराकर निर्वाचित होकर आया हूं जो कि शायद आनुपातिक दृष्टि से विश्वभर में सबसे अधिक है।

महोदय, प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी, अनेक वर्षों तक मेरे मित्र रह चुके हैं तथा भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत-से अच्छे मित्र हैं। लेकिन खुशीपूर्वक नहीं बल्कि आक्रोशपूर्वक मुझे यह ही कहना चाहिए कि-काफी आत्मपरीक्षण एवं आलोचना के बाद-मैं यहां एक ऐसी पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर आया हूं, जिसे कि अब मैं लोकतांत्रिक मंच के नेताओं अर्थात् संयुक्त मोर्चे की देवदूतीय एवं अखंड पार्टी मानता हूं, जहां कि हम बैठक आयोजित करके विचार-विमर्श करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री वाजपेयी मेरे अनेक वर्षों तक मित्र रहे हैं। अतः मैंने यह सोचा कि मैं उनकी विचारधारा से वाकिफ हूं। लेकिन, आज मैं उनकी विचारधारा को नहीं जानता। उन्होंने सत्ता सम्भाल कर बेतुकी बात की है। मैं यह उम्मीद करता था कि वह अपने आपको इस राष्ट्र के नेता के रूप में प्रदर्शित करेंगे तथा यह कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी सरकार कोई राष्ट्रीय छवि स्थापित करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने हिन्दुत्व के चोले का दान देना शुरू कर दिया तथा अपनी सरकार को तथाकथित **गाय-पट्टी** पर आधारित करना शुरू कर दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। शायद यही कारण है कि उन्होंने हमें न केवल यह याद करवाया है कि वह कहा है-194 समर्थकों की संख्या पर ही अड़े रह गये तथा इससे अधिक किसी भी साथी के दिल को नहीं जीत पाये-बल्कि सच तो यह है कि उन्होंने अपने अनेक साथियों को अलग-थलग कर दिया। सबसे बुरी बात तो यह है कि श्री वाजपेयी जी कुछ ही मिनटों में पदच्युत हो जायेंगे। वह इतिहास के पन्नों में दबे किसी नेता के रूप में रह जायेंगे तथा इतिहास दोहराया नहीं जायेगा।

भाजपा के मेरे साथी, विशेष तौर पर, श्री प्रमोद महाजन यह कह रहे थे कि इसके बाद देश में एक और चुनाव होगा। मुझे इसका भय नहीं है। मैं तो आने वाले कल को भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं तथा मैं वायदा करता हूं कि मैं आपको इससे भी दो गुणे अन्तर से हराऊंगा।

ऐसा कहने के बाद, मैं अत्यंत खेदपूर्वक यह कह रहा हूं कि श्री वाजपेयी जी ने देश को बहुत क्षति पहुंचाई है। उन्होंने इस देश का ध्रुवीकरण किया है। उन्होंने देश को गौ-पट्टी एवं गैर-गौ-पट्टी में विभाजित कर दिया है। इस देश में यही घटित हो रहा है। मैं उनके इस ढोंग को नहीं समझा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि श्री वाजपेयी ने यह ढोंग क्यों रचा। राष्ट्रपति का अभिभाषण खोखली उक्तियों एवं सद्भावनाओं का एक पुलिंदा है जिन्हें वह कार्यरूप देना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी पार्टी के सभी मूल सिद्धांतों को भूल गये हैं। वह केवल एक बात के प्रति निष्ठावान हैं कि गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। मैंने यह कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में-मैं भी उसी वर्ग से संबंधित हूं जिससे कि आप--गोमांस वहां की अधिकतर जनता के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन है।

अपराह्न 1.00 बजे

यदि आप ऐसे लोगों का रोक देंगे...**(व्यवधान)**...वे हम पर लज्जित होंगे और हम उन पर लज्जित होंगे...**(व्यवधान)**... वे अपनी प्रभुता पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कभी भी थोप नहीं सकते। मुगल शासकों ने असम में सेना भेजकर ऐसा करने की कोशिश की थी तथा हर बार उन्हें ब्रह्मपुत्र के किनारे से वापिस लौटा दिया गया। वे पूर्वोत्तर की जनता पर अपनी जीवन शैली जबरदस्ती नहीं थोप सकते।

महोदय, मेरे विचार से आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति गलत है। हम इस देश में पशुओं पर आर्थिक अध्ययन कर सकते हैं। मेरा यह कहना है कि इस देश में पशुओं की 80 प्रतिशत जनसंख्या अलाभप्रद है। इस देश में बहुत कम पशु सही प्रकार का अथवा सही मात्रा में दूध देते हैं। इनमें से अनेक पशु घास एवं पत्तों को चबाये जाते हैं तथा इस देश की भूमि को अनउपजाऊ बना देते हैं और फलस्वरूप इस देश में मरुस्थल बढ़ रहा है। इनमें से कुछ पशुओं को शुष्क पशुओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, जबकि यह पशु शुष्क पशु के रूप में प्रयोग किये जाने के काबिल नहीं रहते। इन सभी पशुओं का आप क्या करेंगे? क्या आप इनकी देखभाल करेंगे? आप उन्हें इस देश की सारी वनस्पति को चवाते रहने देंगे। आप इनके साथ क्या करेंगे? ऐसा करना अलाभप्रद है।

मैं सोचता हूं कि यह अच्छा ही है कि वर्तमान सरकार कुछ ही क्षणों में सत्ता से बाहर हो जायेगी। अगर वे विश्व में हो रहे आर्थिक बदलावों के तारतम्य में कोई आर्थिक नीति अपनाते हैं तो वे इस तरह के सुझाव नहीं दे सकते हैं। आपको सुधार करना ही पड़ेगा और सर्वप्रथम आपको अपने मवेशियों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। अपने मवेशियों का ध्यान रखो और उनसे लाभ प्राप्त करो। इस प्रकार के अवारा पशुओं का वे क्या करेंगे। आप उन्हें मारो या खा जाओ, परन्तु कुछ तो करो।

इंग्लैंड़ में बड़े पशुओं के मांस से उत्पन्न 'मैड काऊ' रोग की समस्या बनी हुई है। ब्रिटेन के उस देश में मवेशियों को मारना तथा मारने की लागत वहन करना भी एक समस्या बन गयी है। ऐसी स्थिति में, यहां पर क्या करेंगे। उनको इस बारे में विचार करना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, यदि भा.ज.पा. इस प्रकार से कार्य करेगी तो भूटान से लेकर नागा तक सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग मानसिक रूप से उनसे पृथक हो जायेंगे। कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। ये वहां पर बहुत अधिक प्रयासों के बाद अपना प्रभाव जमा पाए हैं। परन्तु, इस बार वह भी समाप्त हो जायेगा। कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। उनका पश्चिम बंगाल में कोई प्रभाव नहीं है। उनका आन्ध्र प्रदेश और दक्षिण में कहीं भी कोई प्रभाव नहीं है। सम्पूर्ण देश को दो हिस्सों अर्थात गाय की पूजा करने वाले क्षेत्र और गाय की पूजा न करने वाले क्षेत्र में विभाजित किया जा रहा है। परन्तु, गाय की पूजा करने वाले क्षेत्र में भी मुस्लिम, निम्न जाति और अन्य वर्ग के लोग इनका विरोध करेंगे। इसलिये, आपका यह सोचना कि सत्ता से हटने पर आपको सहानुभूति मिलेगी, बिल्कुल गलत है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगले चुनावों में आपको बहुत ही कम सफलता मिलेगी। आपको वर्तमान संख्या जितनी सीटें भी नहीं मिलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इजाजत से भाजपा के सांसदों की तरफ से आपको सुनाना चाहती हूं।

निकलना खुल्द से आदम का सुनते आये थे
लेकिन बहुत बे-आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

आज भाजपा सरकार की विदाई का दिन है।...**(व्यवधान)**... आपके सांसद ज्यादा आये। हालांकि आपको केवल 23 प्रतिशत वोट मिले हैं फिर भी राष्ट्रपति जी ने आपको...**(व्यवधान)**... श्री राजीव गांधी जी पंचायती राज बिल लाये थे जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया था। इन लोगों ने उसका विरोध किया था और उसको पास नहीं होने दिया था। एक महिला खड़ी हुई है और यह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये महिला विरोधी हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : बिल्कुल गलत।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं यह कह रही थी कि राष्ट्रपति जी ने उनको बुलाया था क्योंकि ये गिनती में ज्यादा सांसद हैं। उनका यह निर्णय सर्वथा न्यायसंगत था। संविधान की परम्परा और मर्यादा के अनुकूल था। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन उंगली इस बात पर उठ रही है कि भाजपा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार क्यों किया। कायदा तो यह था कि जिस तरह 1989 में श्री राजीव गांधी जी जिन्हें इसी तरह का निमंत्रण मिला था और उस समय हमारे पास इससे ज्यादा सांसद थे। इसके बावजूद बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। यही अन्तर कांग्रेस और भाजपा में है। हम लोग सिद्धान्त की पुख्ता चट्टान पर खड़े हैं और आप लोग पद लोलुपता के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं। आप लोग सिद्धान्तपरक और मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं लेकिन जब ताजपोशी का वक्त आया तो आप लोग इतने बेताब हो गये कि आज सारे देश ने देखा है कि आपकी कथनी में और करनी में कितना अन्तर है। सारे देश ने देखा है कि आपके चेहरे पर से किस तरह से नकाब खिसक गया है। आप लोग कह रहे थे कि येन केन प्रकारेण आप कई साल तक सरकार चला लेंगे। आपने चारों तरफ प्रचार किया था, पूरा प्रयास किया था कि कांग्रेस को तोड़ लेंगे। एक तिहाई कांग्रेसी आपकी तरफ चले जायेंगे। पूरे देश के व्यापारियों को यहां बड़े बक्से में नोट भर-भरकर पांच सितार होटलों में ठहराया गया था और सारे देश ने देखा कि ये जो सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं, वे फिसल गये और जिस कांग्रेस पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वह स्वयं अडिग हैं। अटल जी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे मन में इनके लिए अगाध श्रद्धा है लेकिन अटल जी की त्रासदी यह है कि जहां इनका मन आकाश गंगा की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वहां इनके पैर साम्प्रदायिकता की राजनीति के कीचड़ में फंसे हुए हैं और यही विडम्बना इनकी नियति है। यही विडम्बना इनकी पहचान है और अब तो यही विडम्बना भविष्य में इनकी पहचान बन जायेगी कि 15 दिन के लिए ही सही, जब सामने कुर्सी दिखी तो यह उस पर बैठने का लोभ संवरण

नहीं कर सके। इनके मन में बड़ी पुरानी लालसा थी।...**(व्यवधान)** बहुत दिनों से महत्वाकांक्षा की उत्ताल तरंगे मन में हिलोरे ले रही थीं और जैसे ही मौका आया बाढ़ तोड़ कर बह निकली। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, आदरणीय आडवाणी जी बहुत दिनों से घूम रहे थे रथ पर सवार हो कर...**(व्यवधान)**

श्रीमति भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, वे यहां नहीं है, उनका नाम नहीं ले सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार : रथ पर चढ़ कर बोल रहे थे, रथ पर चढ़ कर घूमना आरोप नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगा रही हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए न, इसमें आपको ही फायदा होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती मीरा कुमार : रथ पर चढ़ कर घूम रहे थे और आडवाणी जी सोच रहे थे कि यह प्रधान मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगा।... **(व्यवधान)** किन्तु हवाला के चौरस्ते पर वह रथ उलट गया। उसके बाद आडवाणी जी का स्थान अटल जी ने ले लिया और मृग-मरीचिका की जो दौड़ थी, वह जारी रही। दौड़ते-दौड़ते आज यहां आ गए हैं और यह सोच कर यहां आ गए हैं कि यहां पानी है, लेकिन यहां पानी नहीं है। यहां बालू ही बालू है और यहां प्यास नहीं बुझेगी।

महोदय, अगर मुझ से कहा जाए कि इस तेरह दिन की सरकार को एक शीर्षक दिया जाए, तो मैं इसे शीर्षक दूंगी - "भ्रान्ति-विलास"। उनको गलतफहमी ही नहीं है कि सरकार बना लेंगे बल्कि इस खुशफहमी को, मिठास और खुशबू और खुमार को ये तेरह दिनों से मन में संजोए हुए हैं और भ्रान्ति विलास में लिप्त हैं। डभोल पावर प्रोजैक्ट पर इन्होंने फैसला ले लिया...**(व्यवधान)** मैं वही करने जा रही हूं, हमने स्कूल में इतिहास में पढ़ा था कि भिश्ती को एक दिन की बादशाहत मिल गई थी तो उसने चमड़े का सिक्का चला दिया था और इनको जब तेरह दिनों का मौका मिला तो मंत्री परिषद् के सदस्यों ने समझा कि इन्हीं का राज आ गया है और दूरगामी परिणाम वाले फैसले ले डाले। मूलभूत फैसले अपने मंत्रालय में ले लिए। एनरॉन फैसले से संबंधित, डाभोल फैसले से संबंधित यह बहुधर्मी देश है। पर अगर सहिष्णुता छोड़ दी गई, उदारता छोड़ दी गई, धर्म-निरपेक्षता को तिलांजलि दे दी गई, तो यह धू-धू करके जल जाएगा।

कल मैंने अटल जी का भाषण सुना। बड़ा उदास भाषण था, व्याकुल हृदय से भाषण दिया था और बड़ी देर तक सफाई दे रहे थे कि जो भा.ज.पा. है, वह साम्प्रदायिक पार्टी नहीं है, धर्म-निरपेक्ष पार्टी है। हमारे यहां, आपके यहां और सब के यहां सत्यनारायण जी की कथा होती है...**(व्यवधान)** उसके बाद प्रसाद बंटता है। उस प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि उसको इतना ही ग्रहण करना चाहिए कि कंठ से नीचे न उतरे। अगर कंठ से नीचे उतर जाएगा, तो वह अपवित्र हो जाएगा। इन्होंने धर्म-निरपेक्षता को सत्यनारायण की कथा के प्रसाद की तरह ग्रहण किया है। जो कुछ है, कंठ तक सीमित है। कांग्रेस की तरह धर्म निरपेक्षता को इन्होंने आत्मा में आत्मसात नहीं किया है।

ये सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, तो बाकी धर्म वाले कहां जाएंगे। ये मुसलमानों के विरोध में बोलते हैं तो मुसलमान क्या करें? क्य वे दूसरे दर्जे की नागरिकता ले लें या हिंद-महासागर में डूब जाएं? अयोध्या में क्या हुआ? शिलान्यास के नाम पर लाशों का अम्बार लगा दिया। यह फासिस्ट रवैया आपका नहीं चलेगा। ये गोडसे की विचारधारा आपकी नहीं चलेगी। यहां धर्मनिरपेक्षता ही चलेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार : आप राम के बहुत बड़े भक्त हैं। यहां राम के नारे लगा रहे है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर सचमुच में आप राम के भक्त हैं तो राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। देश के गांवों में, देश के शहरों में, जहां गरीबों की बस्तियां हैं, वहां आज भी अछूत शबरी रहती है। क्या उनका झूठा आप खाएंगे? उनके झूठे बेर खाएंगे...**(व्यवधान)** जो देश के दलित हैं, जो देश के शोषित हैं उनको तो आप चौथे दर्जे पर रखते हैं, उनसे आप अछूत का व्यवहार करते हैं। आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं। हिन्दुत्व में वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया है...**(व्यवधान)** क्या आप किसी हरिजन को अपने कुटुम्ब का सदस्य मानने को तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं। आपका वसुधैव कुटुम्बकम, आपका हिन्दुत्व एक तरफ मंदिर निर्माण और दूसरी तरफ गौवध, इन दोनों सिरों में झूलता रहता है। बस यही है आपका हिंदुत्व...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

श्रीमती मीरा कुमार : सर, एक चीज रह गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। कई अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

एक शेर सुनाकर खत्म कर दो।

श्रीमती मीरा कुमार : गालिब का एक शेर सुना रही हूं। इनको बड़े अरमान थे और इन्होंने बड़ी मेहनत की थी तथा आर.एस.एस.. के लोगों को भी इन्होंने लगाया था कि चुनाव किसी तरह से जीतना

है, दिल्ली पर कब्जा करना है और 300 से ज्यादा सीटें लेनी हैं।... **(व्यवधान)** इनके मन की तो मन में ही रह गई। इनके मन में बहुत पीड़ा है।...**(व्यवधान)** गालिब ने एक शेर लिखा है जिसे मैं सुनाना चाहती हूं। **"हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान (चाहे डाभोल के, चाहे एनरॉन के) लेकिन फिर भी कम निकले।**

अध्यक्ष महोदय : थैंक यू।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : अध्यक्ष जी, अटल जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। अभी संसद के चुनाव कांग्रेस के राज में हुए। कांग्रेस का राज भ्रष्टाचार का राज था।...**(व्यवधान)** इसीलिये सभी लोग कांग्रेस को निकालने के लिये ताकत के साथ इकट्ठे हुए। सारी की सारी रीजनल पार्टियों की तरफ से और वे पार्टियां भी 'सो कॉल्ड नैशलनल पार्टिज' जैसा कि कल मुरासोली मारन जी ने कहा था कि नैशनल पार्टॉज अब कोई रह नहीं गई हैं, सभी रीजनल पार्टीज बन गई हैं, मैं उनसे सहमत हूं। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का बहुत बड़ा विभाजन हुआ और उनकी तादाद 267 से घट करके 136 रह गई यानी कि आधी रह गई। देश के लोगों ने उनकी नीतियों के कारण उन्हें यह सजा दी। आज वे विरोधी दल में बैठे हैं। वह बहुत देर से देश में राज करते चले आ रहे हैं। उनको राज करने की आदत हो गई है। जानते हैं कि कैसे राज किया जाता है? अब वह सीधा राज नहीं कर सकते हैं। अब वह बैक डोर से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और बैक डोर से राज करना चाहते हैं। वह बहुत सारे मित्रों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

शरद पवार जी मेरे पुराने मित्र हैं। उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में बहुत शान्ति आई है और वह कांग्रेस के कारण आई है, यह कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिये, हाल क्या हुआ? कांग्रेस का हम सब लोग विरोध कर रहे थे। हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी भी उनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने वहां से आतंकवाद खत्म किया। यही इनका इशारा था। अगर आतंकवाद इन्होंने खत्म किया होता तो इनकी जो दुर्गति पंजाब में हुई है, वह न होती। उनके पास इस गई संसद में पंजाब से 13 में से 12 सदस्य थे। आज इनके पास दो रह गये हैं। एक मेरी बहन जी बैठी हुई हैं और दूसरे साथी वहां बैठे हुए हैं। यह इनका हाल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि लोगों ने उनको रिजैक्ट कर दिया। क्यों रिजैक्ट किया? इसलिये रिजैक्ट किया कि पंजाब के लोग जानते हैं कि वहां आतंकवाद कौन लेकर आया था? आतंकवाद का जिम्मेदार कौन था? कांग्रेस आतंकवाद की जिम्मेदार थी। इन्होंने आतंकवाद बढ़ावा दिया। इसलिये लोगों ने इनको रिजैक्ट किया।

अध्यक्ष महोदय, यह अभी की बात नहीं है कि हमें धोखा दिया। यह हमेशा से ऐसा करते आये हैं। आजादी के समय से ही उनकी यह बात देखने को मिल रही है। जब देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बनाये जा रहे थे तो पंजाबी भाषा को मानने से इन्कार कर दिया था और कहा कि पंजाबी भाषा के आधार पर सूबा नहीं बनेगा। अकाली दल इसके लिए 10 साल आन्दोलन करना पड़ा। 1966 तक कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन करना पड़ा। 1966 में इन्होंने फिर पंजाबी स्टेट मंजूर की। 1966 में पंजाबी सूबा बना ले न उसे लंगड़ा बना दिया गया। हमें सजा देने के लिये चंड़ीगढ़ बाहर रख दिया और कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके बाहर रख दिये। ऐसे हमारे साथ विवाद होता रहा।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, समय थोड़ा है। इसलिये मैं छोटी-छोटी बातें ही कहूंगा। इस देश में एमरजेंसी लग गयी। हमें पकड़ा नहीं गया था लेकिन हम चाहते थे कि लोकतंत्र इस देश में रहना चाहिये। अकाली दल ने फैसला किया कि मोर्चा लगाया जाये और हमने मोर्चा शुरू कर दिया। इस देश में बड़ी बड़ी पार्टियां थीं लेकिन किसी ने मोर्चा नहीं लगाया। 19 महीने तक अकालियों की गिरफ्तारियां होती रहीं। हमारे सब बड़े लीडर्स जेल में थे। हमारे 46 हजार लोग जेल गये थे। जब तक एमरजेंसी टूट नहीं गयी, हमारा मोर्चा चलता रहा। देश में लोकतंत्र वापस आया। उसकी सज़ा हमें आप्रेशन ब्लू स्टार के रूप में मिली। दरबार साहब पर हमला किया गया। यह हमला सिपाहियों से नहीं, टैंको और तोपों से किया गया और अकाल तख्त की इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस आप्रेशन में सैंकड़ों लोग मारे गये अस्थान नष्ट हो गये जिसका अफसोस तक नहीं किया गया। यह जरूर कहा गया कि मलहम लगाई जायेगी लेकिन मलहम लगाने के लिये गया कोई नहीं। और आज हम माननीय वाजपेयी साहब को धन्यवाद देते हैं कि वे परसों अमृतसर गये, दरबार साहब के दर्शन किये। उनका वहां पर स्वागत किया गया। दरबार साहब से आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही नहीं हुआ...**(व्यवधान)**... आप मेरी बात तो सुनिये। मैं अब नवम्बर, 1984 की बात कर रहा हूं। उस समय क्या हुआ? यहां दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वही हुआ जो नादिरशाह के जमाने में किया गया था। जब नादिरशाह यहां आया तो कत्लेआम किया गया था और जब नवम्बर, 1984 में दिल्ली में कत्लेआम हुआ तो उसमें कौन कौन इन्वाल्व हुये थे? उस समय देश मे हजारों लोग मारे गये और खासतौर पर दिल्ली में 5 हज़ार लोग मारे गये। इस बात को इस हाऊस में एडमिट किया गया लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने लोगों के मरने का अफसोस जाहिर करने के लिये यहां न तो रिज़ोल्यूशन ही पास किया गया और न ही दो मिनट के लिये हाऊस में मौन धारण ही किया गया। इसलिये हम लोगों को विवश होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ा। यह सदन छोटे-छोटे वाकयात के लिये साईलेंस आब्जर्व करता है लेकिन हजारों लोगों के कत्ल का इनको अफसोस नहीं हुआ। जिन लोगों के घर लूटे गये, जला दिये गये और दिल्ली में केवल 500 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गयी और खुलेआम मासूम लोग कत्ल किये गये, उन लोगों के लिये इस हाऊस ने मौन नहीं किया। इससे बुरी बात और क्या हो

सकती है? आज दस साल से ऊपर हो गये हैं, लोगों को इन्साफ नहीं मिला है। जिन लोगों को आईडैंटिफाई कर लिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, कमीशन बने जिन्होंने कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स को आयडैंटिफाई किया लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमें थोड़ी सी हमदर्दी मिली पासवान जी जैसे लोगों से और उनके मकान में भी लोग घुस गये और घर को जला डाला। इन्होंने पहचान लिया कि कौन लोग थे और उनमें कांग्रेस के लोग ही थे। इसके अलावा थोड़ी बहुत मदद अगर किसी ने तो वे बीजपी के लोग थे जिन्होंने सिखों को बचाया, कैम्प लगाये और राहत पहुंचाई। आज इतने सालों के बाद भी हम लोगों को इन्साफ नहीं मिला। हमारे कई बड़े लीड़र्स गिरफ्तार किये गये, उनको जेल में भेजा गया लेकिन इन लोगों को इन्साफ आज भी 10 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं मिल पाया है। अब हम लोग यहां आये हैं तो मांग करते हैं कि हमें इन्साफ मिलना चाहिये क्योंकि हम भी इस देश के रहने वाले हैं और अपनी मर्जी से फैसला करके इस देश के साथ आये थे।

बहुत बड़ा नुकसान कराकर हम इस देश के साथ आए थे। हमारे साथ इंसाफ तो होना चाहिए। इंसाफ की भीख हम मांगते रहे लेकिन इंसाफ आज तक हमें नहीं मिला। इस बात को दस साल हो गए हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। हमें इनसे लड़ना पड़ा, हमें इन्हें पंजाब में हराना पड़ा। आतंकवाद की जो बात की गई है, आतंकवाद इन्होंने फैलाया, हालात इन्होंने बिगाड़े। जब जब मौका मिला इन्होंने हालात बिगाड़े। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसे हालात पंजाब में बहुत देर से चलते रहे हैं। यह आज की बात नहीं है।

सबसे पहले रीजनल पार्टी की सरकार पेप्सू में बनी। पेप्सू अब पंजाब का हिस्सा है। रीजनल पार्टियों की पैदाइश वहां से हुई।

[अनुवाद]

मैं श्री मारन को बताऊंगा कि 1952 में वहां क्षेत्रीय सरकार बनी थी।

[हिन्दी]

सरदार राड़ेवाला जो अकाली दल के अध्यक्ष थे, वह चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन छः महीने भी उसको चलने नहीं दिया गया। छः महीने बाद धारा 356 लागू की गई और सरकार खत्म कर दी गई। उसके बाद एक बार नहीं, छः बार पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी है और छः बार दो साल से ज्यादा उसको चलने नहीं दिया गया। इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? इससे ज्यादा ज्यादती देश में किसी और प्रांत में नहीं हुई है। देश में किसी और पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ है जो हमारे साथ हुआ यह हम बरदाश्त करते रहे हैं। मैं आपके ज़रिये सारे सदन को बताना चाहूंगा कि उस वक्त से ऐसा ही चलता रहा है। जब हालात बहुत बिगड़े हुए थे तब संत लोंगोवाल जी ने बहुत बहादुरी की बात की। उन्होंने राजीव गांधी के साथ ऐकार्ड किया। संत हरचंद सिंह ने राजीव-लोंगोवाल ऐकार्ड कराया। वह ऐकार्ड इस सदन में भी आया! दूसरे सदन में भी गया। दोनों सदनों ने उसको यूनैनिमसली पास किया, उसको अप्रूवल दिया और उसका हश्र क्या हुआ? संत जी की हत्या कर दी गई उस ऐकार्ड की वजह से और उस ऐकॉर्ड की एक क्लोज भी आज तक लागू नहीं की गई। यह लिखित फैसला कांग्रेस ने हमारे साथ किया। उसका हश्र यह हुआ। फिर पंजाब में ह्यूमन राइट्स का जो हाल होता रहा है वह आपको पता है। उसका हाल आप अखबारों में पढ़ते रहे हैं। मुझे समय कम होने की वजह से पूरी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। वहां ह्यूमन् राइट्स ऐक्टिविस्ट थे श्री कालड़ा, उनका पता नहीं चल रहा है, वह गायब हो गए पता नहीं कहां ले जाये गए। हम उनके लिए बार-बार दरख्वास्त करते रहे हैं कि जहां भी हों उनको खोज निकालो। आज तक जवाब नहीं मिला है। वह जीता है या मार दिया गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ पता नहीं है।

हम इस तरफ क्यों हुए हैं? हमारी बहुत सी बातें इनके साथ नहीं मिलती हैं। हमारी रीजनल पार्टी होने की वजह से हम बात करते हैं स्टेट आटोनॉमी की। हम मोर पॉवर्स टु द स्टेट की बात करते रहे हैं। हम फैडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने बहुत समय गुजारा है जनता दल के साथ भी। हम इनकी सहयोगी पार्टी रहे। हम सरकार में भी इनके साथ रहे, बाहर भी रहे, इनके साथ हमदर्दी रही। लेकिन इन्होंने हमारे साथ थोड़ी हमदर्दी जताई जो दूसरों से हमें नहीं मिली। वे हमदर्दी जताई कि इन्होंने कहना शुरू किया कि 1984 के दंगा दोषियों को सजा होनी चाहिए। यह काम इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने पंजाबी लागू की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जल्दी खत्म करना चाहता हूं आपको। ...**(व्यवधान)** मुझे दुख है। मै कभी कभार पार्लियामेंट में बोला हूं। रोज बोलने वाले भी गलती कर जाते हैं।

मैं कह रहा था कि इनके साथ हमारी काफी देर से पटती चली आ रही है। पंजाब में दो सरकारें बनीं जिनमें बीजेपी शामिल थीं। उस समय जनसंघ नाम था। ये हमारे साथ शामिल होते रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन आए थे जिसको अभी लड़कर हम लोग आए हैं, इसमें हम चण्ड़ीगढ़ की सीट पर बीजेपी की मदद कर रहे थे।

अकाली दल चंड़ीगढ़ में बी.जे.पी. की मदद कर रहा था। चार पार्लियामेंट की सीटों में हमारी मदद पंजाब में कर रहे थे। दिल्ली में इनकी मदद हम कर रहे थे। इसलिए कोई नई बात लेकर हम नहीं आये हैं। यह इलेक्शन के बाद की बात नहीं है। इलेक्शन के बाद की दोस्ती भी नहीं है। इलेक्शन के बाद कोई बात हमसे ऐसा करके ये नहीं ले आये। हमने पहले ही कह दिया था। कामयाब होते ही हमने कह दिया था, हम इनके साथ होंगे। प्रेसीडेन्ट साहब को भी लिखकर दिया था। तो मैं अर्ज कर रहा था हमारी जो कुछ अब यह जो मदद हो रही है। रीजनल पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है। यह कोशिश में है अब एक प्वाइंट प्रोग्राम रहा है सीटों का, सब मिलाकर एक प्वाइंट

प्रोग्राम है, किसी तरह से बी.जे.पी. को खत्म करो। इनको हटाने का प्रोग्राम लाओ। अभी यह हट भी जायें फिर क्या होगा। यह तो हम सब लोगों ने सोचा है। पता ऐसा लगा है कि 14 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे सारे मित्रों की 14 पार्टियां सरकार बनाने के लिए इकट्ठी हो रही हैं। अभी सरकार बनाने के लिए सी.पी.एम. इनको पीछे से मदद दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम पीछे से मदद करेंगे। इन्होंने तो हमेशा ही बहुत मदद की है। पहले चौधरी चरण सिंह की मदद की थी। उस वक्त मैं हाउस में था, मैं मिनिस्टर था। हमें पता है कैसे चौधरी साहब को छीनकर हमसे ले गये थे और चौधरी साहब के साथ क्या हुआ वह भी हम देखते रहे। 24 दिन सरकार चली थी। 24 दिन के बाद लात खींच ली गई और ये फिर भी होता रहा। चंद्रशेखर जी यहां बैठे हुए हैं यही उनके साथ किया जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी। ये प्राइम मिनिस्टर थे। डी.एम.के. की सरकार तोड़ने के बात चल रही थी। मैंने उन्हें सुझाव दिया था, मैंने यह कहा कि यह इलेक्टिड सरकार है, ड्यूली इलेक्टिड सरकार है। बहुत बड़ी मैज्योरिटी इनके पास है। कांग्रेस के कहने से ऐसा न करें। आपकी लात खींच लेंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त ने...**(व्यवधान)** इमरजेंसी में हम इकट्ठे जेल में रहे थे। इनकी टांग खींच ली गई। तो ऐसा होता रहा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फिर आज ये इकट्ठा तो कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री चंद्र शेखर (बलिया) : मैं आप ही की कृपा से जीता हूं। इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। अगर इससे आपको आत्मसंतोष होता है, आप बड़े महान लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बरनाला जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। पंजाब का जिक्र करते हुए मेरा नाम इनको याद नहीं आया। लेकिन इस समय उन्हें नाम याद आया। मैं समझता हूं कि उस समय वह राज्यपाल थे और मैं उनसे शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं कि उस समय जो बातें हुई थीं वे बातें न करें तो अच्छा है। क्योंकि मैं उस पुरानी व्यथा को दोहराना नहीं चाहता। नहीं तो बरनाला जी आपका चेहरा कुछ बहुत अच्छा दिखाई नही पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बरनाला जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

तो मैं यह कह रहा था कि इकट्ठा तो कर रहे हैं, अच्छा है इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कितनी देर चलेगा यह नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इनकी आदत तो जायेगी नहीं। आदत बहुत मुश्किल से जाती है। तो बैकडोर से इनको कैसे काबू करेंगे अब ये इनको थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। मैं जब आपको बधाई दे रहा था तो मैंने यह बात कही थी कि हम सबको देश के लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है और बहुत बढ़िया-बढ़िया लीडर सभी पार्टियों के आये हैं। अब एक सरकार नहीं रहेंगी। दूसरी बनाने की बहुत बढ़िया बात नहीं हो रही है। कोई बैठकर सोचे आखिर देश को कोई राज चाहिए। कोई नहीं चाहता कि पांच साल से पहले इलेक्शन हो और कोई नहीं चाहता, देश के लोग भी नहीं चाहते कि रोज-रोज इलेक्शन हों। देश के लोग भी चाहते हैं हमने इलेक्ट करके भेजे हैं, कुछ न कुछ बनाएं। कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात सोच ले। अब आप बैठे हैं, सूझ वाले लोग बैठे हैं। मैंने सवाल किया तब मैंने पहले यह बात कही थी कि मुझसे अखबारों ने सवाल किया कि क्या आप बी.जे.पी. को समर्थन नहीं करते। मैंने कहा ये बात नहीं है। मैं कहता हूं उनको खत्म करने की बात आप सोच रहे हैं। मैंने ये कहा है इसके बाद भी कुछ सोच ले कि क्या करना है। देश के लोगों को भी ऐसी कोई सरकार चाहिए जो सब मिल-बैठकर सरकार चला सकें। आज यहां बातें हो रही हैं। मेरे दोस्त मुलायम सिंह जी ने की है कि पाकिस्तान के साथ देश को मिलाओ, बंग्लादेश के साथ मिलाओ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं भी ऐसी बात चाहता हूं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है।

लेकिन जहां दूसरे देशों को इकट्ठा करने की बात आप कर रहे हैं, उससे पहले हम खुद इकट्ठा होकर बैठ जाएं। आप ऐसा माहौल बनाईये। यदि ऐसा हो जाए तो ये लोग भी कोई आउटकास्ट नहीं हैं। इन्होंने पहले भी मदद की है, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, आप भी उसमें शामिल थे, पासवान जी भी हमारे साथ थे, ये सभी लोग शामिल थे, चन्द्रशेखर जी की पार्टी भी उसमें शामिल थी। सब साथ थे और वह साथ निभा था, काफी निभा था। उसके बाद, 1989 में फिर इन्होंने जनता दल को समर्थन दिया। इसलिये ये समर्थन देते रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही किसी की लात नहीं खींची जैसे कांग्रेस वाले खींचते रहे हैं।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर जरा सोच लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री सुरजीत सिंह,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे सभी दलों के सदस्यों की संख्या के अनुसार चलना है, मैं चर्चा में भाग लेने के इच्छुक कई माननीय सदस्यों की भावना से अवगत हूं। मैं उनको मौका देने का प्रयास करूंगा। मुझे प्रत्येक दल के सदस्यों की सरकार के अनुरूप चलना है। आपको अवसर मिलेगा। आपको अपने दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अवसर मिलेगा। आपको बार-बार हाथ नहीं उठाना चाहिये। श्री जसवन्त सिंहजी,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल 10 मिनट शेष हैं। श्री जसवन्त सिंहजी।

वित्त मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : मैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप बैठ कर भी मुझे अच्छी तरह से सुन सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ कर मुझे ज्यादा अच्छी तरह सुन सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी तरफ से श्री जसवन्त सिंह अन्तिम वक्ता हैं। यहां पर कई छोटे दल भी हैं, जैसे असम गण परिषद, बहुजन समाज पार्टी और आपका दल। यह सभा को निर्णय लेना है कि उनको अवसर दिया जाए अथवा मतदान कराया जाए। मेरे विचार से छोटे दलों को दो-दो मिनट का समय दिया जाना उचित होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिये। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक साथ बीस लोग बोल रहे हैं। मैं किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा हूं।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : आपने कल घोषणा की थी कि दोपहर 1.30 बजे मत विभाजन होगा।

सात घन्टे की समय सीमा भी समाप्त हो गयी है। नौ घन्टे हो गए हैं। आपको चर्चा रोक कर मत विभाजन कराना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मत-विभाजन सम्भवतः दोपहर 1.30 बजे हो पायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : माननीय प्रधान मंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री बीजू पटनायक : अब माननीय प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं?

अध्यक्ष महोदय : अगर संयुक्त मोर्चा कह देता है कि उनकी ओर से कोई अन्य बोलने वाला नहीं है, तो मैं माननीय प्रधान मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये कह सकता हूं। क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई बोलने वाला शेष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हां, माननीय प्रधान मंत्री तुरन्त उत्तर दे सकते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री कांशी राम बोलना चाहते हैं तो उनको मैं अवसर देना चाहता हूं। अगर वह नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं माननीय प्रधान मंत्री को आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय प्रधान मंत्री से वाद-विवाद समाप्त करने के लिए कहिए और फिर मत विभाजन कराइये।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 190 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नियम 190 के अधीन आपका दायित्व है कि वाद-विवाद न्यायसंगत और निष्पक्ष हों। मैं मत विभाजन कराने के उतावलेपन को भली-भांति समझ सकता हूं। परन्तु, कई छोटे दल भी हैं और उनको भी समयावधि के अन्दर बोलने का अवसर मिलना चाहिये। माननीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से मेरे दल मुस्लिम लीग, का उल्लेख किया था। एक अनुशासित सदस्य के रूप में मैं अपनी बारी का इन्तजार कर रहा हूं। अब अगर छोटे दलों को नजरअन्दाज किया जाता है तो मेरे विचार से नियम 190 के अधीन उनके साथ अन्याय होगा। समयावधि के अन्दर ही अवसर मिलना चाहिये। हम सभी निर्णायक घड़ी के लिये आतुर हैं और इसमें पूरा-पूरा सहयोग देंगे। इसके साथ-साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम 190 के अधीन वाद-विवाद निष्पक्ष होना चाहिये और इसमें प्रत्येक छोटे से छोटे दल को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये। इस बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, मैंने भी यही सोचा है। आपने जो कुछ कहा, वह बिल्कुल उचित है और मेरे विचार में छोटी पार्टियों को समायोजित करने में थोड़े धैर्य से काम ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, अभी लगभग कितने और वक्ताओं को बोलना है, तथा मतदान कब शुरू होगा ताकि हममें से कुछ सदस्या मध्याह्न भोजन के लिए जाकर वापिस आ सकें। मेरे विचार में, इससे तनाव कुछ कम होगा। आप कृपया मेरे मित्र को मंत्री के रूप में विदाई भाषण देने का अवसर प्रदान करें। कृपया उन्हें रोकिये मत।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जो वोटिंग का सिस्टम है, उसमें भी दो घण्टे लगेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आज यह चर्चा और मतदान का काम पुरा हो जाना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि वे इसे आज छह बजे और फिर परसों तक जारी रखने का प्रयास करेगें। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए और उन्हें यह वचन देना चाहिए कि वे समय के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया आज ही पूरी हो जायेगी। अगर आवश्यक हुआ, तो हम देर तक बैठेंगे। लेकिन पहले उन्हें यह वचन देने दीजिये। **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) **:** अध्यक्ष महोदय, प्रमुख दलों, जैसे कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को पहले ही बोलने के लिए बुलाया जा चुका है और अब केवल छोटे के प्रतिनिधियों को बोलना है। आप हमारी मुस्लिम लीग पार्टी सहित अन्य छोटे दल को बुलाएं। उसके पश्चात् आप प्रधान मंत्री के उत्तर देने के लिए कह सकते हैं और मतदान करता सकते हैं। हम भी बड़ी उत्सुकतापूर्वक मतदान का इंतजार कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) **:** अध्यक्ष महोदय, कृपया मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित कीजिये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम कोई मध्याह्न भोजन का समय नहीं चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। जब मैं अपने स्थान पर खड़ा हूं, तो आप इस प्रकार खड़े नहीं हो सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह हमने निर्णय किया है कि हम एक घंटे का समय बचाने कि लिए शून्य काल और नियम 377 के अधीन मामलों को नहीं लेंगे। लेकिन फिर मुद्दे इस प्रकार से उठाये गये कि हमें शून्य काल में लगभग एक घंटा लगाना पड़ा। इसी कारण हम कार्य-सूची से थोड़ा पीछे रह गये हैं।

मैं माननीय सदस्यों की समस्याओं और मुश्किलों को समझता हूं। काफी सदस्यों को भूख लगी हुई है। मुझे उसका ध्यान है। लेकिन, साथ ही मुझे दलों को भी समान अवसर प्रदान करना है। मेरे विचार में हम मतदान के लिए 3.30 म.प. का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसी दौरान, कुछ सदस्य मध्याह्न भोजन के लिए जाकर वापिस आ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो बेसब्री मुझे अपने दोस्तों की वोट के लिए देखने को मिली और जैसे ही आपने कहा कि वोटिंग साढ़े तीन बजे होगी, तो सारा हाउस खाली हो गया। उसको देख कर मैं समझ नहीं पाया कि यह बेसब्री वोट की है, कुर्सी की है या खाने की है?

मैंने सरदार सुरजीत सिंह बरनाला की बहुत नपे-तुले शब्दों में हुई तकरीर को बड़े ध्यान से सुना और जो उन्होने कहा, वह वाकई मेरे मर्म को छू गया। जो कुछ उन्होंने कहा, उससे बहुत कुछ निकलता है। मुझे याद आता है कि मैं उन दिनों में भी संसद का सदस्य था और बहुत कोशिश करने के बाद, मुझे सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि अक्तूबर और नवंबर, 1984 के दंगों में दिल्ली में 3000 लोगों का कत्ल हुआ। इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। मुझे एक फौजी होने का फर्ज मालूम है।

अपराह्न 1.55 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

मैंने खास करके पूछा था कि ऐसे कितने फौजी हैं जो कि यूनिफार्म में मारे गये। बहुत महीनों की मशक्कत और कोशिश के बाद मुझे फिगर मिली।

[अनुवाद]

अट्ठाईस भारतीयों को, जो वर्दी में थे, मात्र इसलिए मारा गया क्योकि वे सिक्ख थे।

[हिन्दी]

यह आपकी जिम्मेदारी थी। मेरे अज़ीज दोस्त जो मुझसे हर हिसाब से बड़े हैं, कामरेड इन्द्रजीत ने कहा कि यह आईडियोंलौजी की लड़ाई है। यह सही बात है कि यह आईडियोलौजी की लड़ाई है। मैं कई बार सोचता कि कामरेड इंद्रजीत अपनी आईडियोलौजी को पूरी जिन्दगी निभाने के बाद कैसी संगत में जाकर बैठ गए हैं। शरद पवार जी प्रधान मंत्री का उल्लेख करके कह रहे थें कि जिन्दगीभर का ब्रह्मचर्य, लेकिन कामरेड इंद्रजीत, आपके जिंदगीभर का ब्रह्मचर्य कहां जा रहा है? आपने असम का उल्लेख किया।

[अनुवाद]

मेरे नेता और माननीय प्रधान मंत्री ने मुझे असम भेजा। जब मेरी नजर असम गण परिषण संसदीय दल के नेता और मेरे एक अच्छे मित्र श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य पर पड़ती है तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है कि वह भी आपके 'आपरेशन' के शिकार थे। वह अपने गांव में घायलावस्था में पड़े थे। आपके संगठन का अथवा किसी अन्य संगठन का कोई व्यक्ति असम को अथवा असम के दर्द समझने के

लिए नहीं था। कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने एक पुस्तक से कुछ उद्धरण दिए हैं। उस समय असम की वेदना को बांटने के लिए अगर कोई राष्ट्रीय नेता था, तो वह वर्तमान प्रधान मंत्री ही थे क्योंकि उन्होंने ही मुझे असम जाने के लिए नियुक्त किया था। मुझे यह भली प्रकार याद है।

[हिन्दी]

श्री बैश्य साहब भूल गए। मैं उनके गांव उनको संभालने गया। ये कांग्रेस के अत्याचार के विक्टिम थे। आप आईडियोलौजी की बात करते हैं।

[अनुवाद]

मेरे द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के सदस्य मित्र, मुझे नहीं मालूम कि अब वे कहां बैठे हैं, वे तो आपके साथ बैठे हैं।

[हिन्दी]

परसेनटेज और सीटें गिनाते हैं। मैं आपको 1983 के असम के इलैक्शन की याद दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

बराक घाटी के सिवाय औसत मतदान 3 प्रतिशत हुआ था। असम गण परिषद के मेरे मित्र को याद है कि 3 प्रतिशत मतदान के आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। असम की सत्तानवे प्रतिशत जनता इसके विरूद्ध थी।

[हिन्दी]

आपको परसैनटेज की अब याद आती है। मैं आपको 1992 का पंजाब का इलैक्शन याद दिलाना चाहता हूं। उसमें कांग्रेस पार्टी को 8 प्रतिशत समर्थन मिला और वह सरकार बनाती है। आप हमको सीख देते हैं। परसैनटेज, सीट और मैनडेट – आपको भूख है, तड़प है। जैसे सुरजीत सिंह बरनाला ने कहा, इस कुर्सी से हट जाने की तड़प है। इसलिए आप इनको आगे करते हैं। असम के लिए मेरे नेता ने मुझे नियुक्त किया। उन दिनों जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रविन्द्र वर्मा, जो अब राजनीति से थोड़े परे हो गए हैं... **(व्यवधान)** मुझे आप लोगों पर अचम्भा होता है।

राम विलास जी यहां नहीं हैं। श्रीकान्त जी, आपको देखकर अचम्भा होता है। आप बुरा मत मानिए। आपके आज के पार्लियामैंट्री आर्डर में मेरे एक और अजीज दोस्त, जो आज कांग्रेस के मुख्य सचेतक हो गए हैं, जब हम देखते हैं कि आप उनसे जाकर इंसट्रक्शन्स लेते हैं तब मेरे मन में कहीं ने कहीं कचोट होती है। ये इंस्ट्रक्शन्स आप लेंगे और अभी से लेनी शुरू कर दी है। सुरजीत सिंह बरनाला सही फरमाते हैं। हम देखेंगे कि ड्राईवर ये होगें और आपके पांवों तले न तो ब्रेक होगी, न ऐक्सीलिएटर और न ही स्टीयरिंग होगी।

अपराह्न 2.00 बजे

ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं, गाड़ी आपके हाथ में होगी, चलाइए, हमको कोई गिला नहीं है। लेकिन उस गाड़ी का नाम हिन्दुस्तान है और जो कुछ होगा हिन्दुस्तान की करोड़ों की जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

जिस द्वेषपूर्ण भावना से आप भारत सरकार की इस संपूर्ण कार्यवाही को ले रहे हैं, उससे मुझे आघात लगा है। ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके शासन करने के दावे का आधार क्या है?

श्री जसवन्त सिंह : शासन करने के दावे के आधार के बारे में मैं आपको बताऊंगा... **(व्यवधान)** मैं दस मिनट तक आपकी बात सुनूंगा। लेकिन आप मुझे कुछ मिनट का समय तो दें।

श्री संतोष मोहन देव : आप एक अच्छे वक्ता हैं। आप ज्ञानी भी हैं। लेकिन आपको सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये. **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। हम आपके नेता को परेशान नहीं कर रहे हैं। जब आपके प्रधान मंत्री बोलेंगे तो हममें से कोई भी उनके भाषण के दौरान बाधा नहीं पहुंचाएगा। जब आपने कहा कि असम में तीन प्रतिशत मतदान हुआ था और पंजाब में आठ प्रतिशत मतदान हुआ था, तो इस स्थिति में इसका कोई विरोध नहीं किया गया था। आज आपको 20 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। हम सभी को 80 प्रतिशत मत मिले हैं। कांग्रेस को 28 प्रतिशत मत मिले हैं। अतः हम आपसे शिक्षा लेना नहीं चाहते। आप अपने वक्तव्य के माध्यम से सभा को गुमराह कर रहे हैं। आप दावा करते हैं कि आप असम के प्रभारी हैं। आपने इस सभा में इसी ओर बैठकर अपने भाषण में जो कुछ कहा, मैं उसे उद्धत नहीं करना चाहता। बाद में आपने उसे संशोधित करते हुए कहा कि असम गण परिषद् सरकार को कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। हम उसके बारें में जानते हैं। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं था। प्रश्न यह है कि असम गण परिषद् ने भी कुछ किया है। वे अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए, हम उनका समर्थन करते हैं। वे राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य (मंगल डोई) : महोदया, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं अपने अन्तः मन से बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आपकी भी बारी है। क्या आप कृपया उसी समय बोलेंगे?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य : माननीय मंत्री महोदय, श्री जसवन्त सिंह जी ने जो कुछ कहा है मैं उसी संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। श्री जसवन्त सिंह जी के प्रति अत्याधिक सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि श्री वाजपेयी जी ने असम आन्दोलन

के दौरान हमारी काफी मदद की थी। हम असम के लोग श्री जसवन्त सिंह और श्री वाजपेयी जी के बहुत आभारी हैं। इस बारे में को शंका नहीं है। 1985 के चुनावों में असम के लोगों ने असम गण परिषद को लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता के लिए निर्वाचित किया था। असम के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक क्षेत्रीय दल असम गण परिषद ने वहां सत्ता संभाली थी। वर्ष 1990 में भा.ज.पा. ने असम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की थी। उन्होंने केन्द्र सरकार से असम में सैनिक शासन लागू करने का भी अनुरोध किया था। मैं यही बात सभा को बताना चाहता हूं। धन्यवाद।

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदया, एक और मुद्दा है। श्री जसवन्त सिंह जी ने असम गण परिषद दल के संबंध में कुछ उल्लेख किया है। हमें एक बात स्पष्ट करनी है। मुद्दा यह है कि भा. ज.पा. का अभी भी धर्म के नाम पर बंगलादेश से आ रहे विदेशियों के संबंध में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है जिसने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में इस छोटे राष्ट्रक को नुकसान पहुंचा है। हम सभी त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीयता को कायम रखा है। बंगलादेश से एक विशिष्ट समुदाय के आगमन के कारण यह समुदाय समाप्त होने जा रहा है। अब वे केवल 12 प्रतिशत हैं। अधिकतर अन्य राज्यों में यदि हम इस धार्मिक भेदभाव की अनुमति देते हैं तो छोटे-छोटे राष्ट्र को उनकी अपनी भूमि पर ही उनके अधिकार नहीं मिल पायेंगे। केवल इसी कारण हम भा.ज.पा. को समर्थन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा एक धर्म निरपेक्ष दल है। वे भारत में राष्ट्रीयता के प्रश्न पर बात कर रहे हैं। यदि छोटे-छोटे राष्ट्रीयताओं को ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीयता का गठन कैसे किया जा सकता है। हमारे दल और भा.ज.पा. में यही मुख्य अन्तर है।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझूं की आपके दल का वक्तव्य समाप्त हो गया है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं महोदया।

श्री जसवन्त सिंह : मेरे विचार से माननीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का असम और उत्तरी-पूर्व क्षेत्रों के साथ दीर्घ मेल-जोल के बारे में जो मुद्दा मैंने रखा है वह साबित हो गया है। यहां तक कि मेरे मित्र मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता ने मेरे मित्र श्री श्रीकान्त जेना और श्री राम विलास को आदेश दिया है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है...**(व्यवधान)** हमारा एक स्तर है जिसे बनाए रखना है।

श्री जसवन्त सिंह : माफ कीजिए ...**(व्यवधान)**... मुद्दा प्रतिशतता के संबंध में था। ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जसवन्त सिंह जी बोल रहे हैं, तो भी आप बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं केवल 1996 के जनादेश के बारे में कहना चाहता हूं। मै मानता हूं कि वर्ष 1996 के जनादेश ने स्पष्ट रूप, अथवा असंदिग्ध रूप से कांग्रेस को नकार दिया है और यदि पंजाब, असम, केरल, में उनको कम सीटें मिलना और उनकी संख्या में कमी होना, जैसा कि पहले कहा गया है कि अब उनकी संख्या 136 हो गई है, तब भी वे यदि यह कहते हैं कि हमें जनादेश मिला है तो हम उन्हें झुठला नहीं सकते हैं। मैं मानता हूं कि 1996 का जनादेश निश्चय ही भा.ज.पा. के पक्ष में है और यह निश्चय ही परिवर्तन के लिए है, तथा यह असांमजस्य क्या है। यह असामंजस्य 1996 के जनादेश और संसद के गणित के बीच है। ऐसा अक्सर निर्वाचित लोकतंत्र में होता है कि इस प्रक्रिया में यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रथम स्थान प्राप्त कर्ता को विधानमंडल के हिसाब से बहुमत प्राप्त न हो परन्तु इस बहुमत का न मानना मतदाताओं की भावना के प्रतिकूल होगा। यह सूनने वाली बात है, साथ ही हमें जो स्थिति प्राप्त हुई है उसका सार भी यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा वह क्यों कहा उनकों कितना जनादेश मिला। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में क्यों? सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मतदाताओं के प्रति यह हमारा दायित्व था, उन करोड़ो लोगों के प्रति यह हमारा दायित्व था जिन्होंने हमारे पक्ष में मत दिया है, उन 23.9 प्रतिशत मतदाताओं के प्रति यह हमारा दायित्व था जिन्होंने हमें मत दिया। यह उस जनादेश का सम्मान करने के लिए किया गया। महोदया, जिसके बाद कारण जानना, तर्क करना, प्रयास करना, और कार्यक्रमों के आधार पर संतुष्ट होना सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी है। हमने ठीक यही करने का प्रयास किया है।

मैंने, यहां पर अनेक सदस्यों द्वारा जो अधीरता दिखाई जा रही है वह देखी कि सभा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और हमें सीधे ही मतदान करना चाहिए। महोदया, यदि यह सभा, यदि यह संसद, यदि यह सभा मूल्यों पर चर्चा न करे, संभवतः आप हममे सहमत न हों, संभवतः मैं कामरेड श्री इन्द्रजीत गुप्त के पक्ष या उस विचार-धारा का व्यक्ति नहीं हूं - यदि ऐसा होता तो हम दोंनो साथ-साथ बैठे होते— लेकिन यदि यह सभा चर्चा नहीं करती है, तो भारत में कौन सी सभा इस पर चर्चा करेगी और यदि यह सभा केवल मतदान करने के लिए है तो इसे एक थाने के रूप में तबदील क्यों नहीं किया जाता? मतपेटियों को अनेक .... क्यों नहीं भेजा जाता **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेगें?

महोदया, जी हां, साधारणतः ऐसा ही होना चाहिए। निश्चय की यह चर्चा तथा बहस की जानी थी लेकिन इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम यहां किसी विशेष अथवा निश्चित उद्देश्य से बैठे हैं। माननीय राष्ट्रपतिजी ने विश्वास मत प्राप्त करने के निर्देश के

साथ श्री वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री बनने का निमंत्रण दिया है अथवा प्रधान मंत्री नियुक्त किया है। जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे आपके पास बहुमत हो अथवा नहीं हो राष्ट्रपति जी स्वयं कुछ नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रपतिजी के अनुसार – चाहे मैं सहमत हूं अथवा नहीं, यह भिन्न बात है सभा एक ऐसा स्थान है जहां बहुमत अथवा अल्पमत साबित किया जाता है। मैंने वह कार्य कभी नहीं किया। आप, श्री वाजपेयी जी, प्रधान मंत्री जी तत्काल ही निश्चित समय सीमा में बहुमत साबित करें।

वही हम कहते रहे हैं। हम एक दूसरे के विचार जानते हैं। हम एक-दूसरे के घोषणा-पत्र के बारे में जानते हैं। इस देश के लोग जो कि संसदीय निर्वाचन की सारी प्रक्रिया से गुजरे हैं, वे भी जानते हैं कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है। हम अपने घोषणा पत्रों को दोहराने अथवा उनमें किए गए परिवर्तनों का उल्लेख करने के लिए यहां एकत्रित नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति जो स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको सरकार चलाने के लिए सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है क्योंकि बहुमत संसदीय लोकतंत्र का सार है। अब हमें यहां बताया जा रहा है कि बहुमत का कोई अर्थ नहीं है, 20 प्रतिशत जनादेश का ही महत्व है। इसलिए हमें मतदान के लिए और सभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा रहा है। तत्पश्चात् आप राष्ट्रपतिजी के पास जाएं और उन्हें कहें कि आपको बहुमत प्राप्त हो गया है, फिर पांच वर्ष तक शासन करें। यदि आपको बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप किसी को भी अपने दल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं कर पाए। क्या यह हमारी गलती है? क्या आपको यहां टिकाए रखना हमारा काम है जबकि हमने आपके विरूद्ध चुनाव लड़ा है?

श्री जसवंत सिंह : जो कुछ भी माननीय सदस्य सोमनाथ जी ने कहा है, मैं उसे मानता हूं लेकिन कुछ-कुछ। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ऐसा होना चाहिए। गणराज्य के माननीय प्रधान राष्ट्रपति जी ने 31 मई तक का समय दिया है। हम उसका पालन कर रहे हैं। आप उस समय सीमा में भी काफी अधीरता दिखा रहे हैं।

[हिन्दी]

सदन के बहुत बड़े सदस्य हैं, प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं, वे तो बहुत आगे चले गये। मुझे पता नहीं किस बात से प्रेरित होकर आगे चले गये। मेरे अजीज दोस्त जो आपके साथ आये हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया हमें इस बात का फैसला करने दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कोई परामर्श नहीं दे रहा हूं, आपको हमें अनापेक्षित परामर्श देने की आवश्यकता नहीं हैं। हम अपने बारे में स्वयं सोच सकते हैं। हम सही हैं या गलत इस बात की चिन्ता आप नहीं कीजिए। आप केवल बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए। आपका केवल यही कर्त्तव्य है।..**(व्यवधान)**

सभापति महोदया : आप सभी ने थोड़ी पहले मतदान के एक समय विशेष पर सहमति जतांई थी। इसीलिए मैं यह कह रही हूं कि समय भी आपका है और निर्णय भी आपका है। अतः मुझे विश्वास है कि आप अपने निर्णय पर कायम रह कर सहयोग करेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) **:** परन्तु वह बार-बार व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने मुझें बोलने का मौका दिया है। मैं केवल उनकी अनुमति से बोला था..**(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कृपया चीखिए मत इससे कुछ और समय नष्ट होगा। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध कर रही हूं कि उन्हें आवंटित समय का पालन करें और बीच में व्यवधान न पहुंचाएं ताकि हम समय के अनुसार चल सकें। छोटे दलों से भी मेरा यह कहना है कि उन्हें भी निर्धारित समय का पालन करना होगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं अति विनम्रता से आपके निर्देश का पालन करता हूं। मैं अपने मित्र श्री सोमनाथ जी को बोलने का मौका दे रहा था। वह कुछ कहना चाहते थे। यदि मैं उन्हें बोलने का मौका नहीं देता तो यह अत्यधिक अशिष्टाचार होता। निःसन्देह वाद-विवाद की गहमागहमी में हमने एक दूसरे के लिए आवश्यक शिष्टाचार नहीं छोड़ा है। हो सकता है हम किसी मुद्दे पर सहमत न हों।

तथापि, यह कहा गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री इस सभा के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं।

[हिन्दी]

वे बहुत आगे चले गये। मुझे कहते हुए भी खेद होता है। अगर आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहां प्रधान मंत्री की कुर्सी पर है, तो वे पार्टी के आदेश पर आये हैं। हमारी पार्टी ने उनसे निवेदन किया था। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब माननीय चन्द्र शेखर प्रधान मंत्री की कुर्सी पर आये तो वे अपनी पार्टी तोड़कर आये। उनसे हाथ मिलाया था जो आपके प्रमुख राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी थे। मुझे बड़ा खेद होता है, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्तित्व आज हमें ऐसी सीख दे रहा है। मैं इस बात पर नहीं जाता, लेकिन मुझे कल इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि चन्द्र शेखर जी जैसी शख्सियत इस तरह की बात कहते हैं। हम उनसे सीख लेने को हमेशा तैयार हैं। सोमनाथजी से मैं रोज सीख लेता हूं। मैं आगे बोलता हूं।

[अनुवाद]

मैं मुख्य विपक्षी दल के मुख्य वक्ता का एक और उदाहरण देता हूं। मुझे यह बात बड़ी विचित्र लगी कि वह उस क्षेत्र के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

[हिन्दी]

जब शरद राव पवार उर्दू की शायरी में उलझे तो वह कहां मोटा मराठी एक्सेंट और कहां उर्दू की नफासत। तो वे क्यों इस उलझन में पड़ गये? इसके पीछे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति उनको वहां धक्का देकर ले आई है। अब शरद राव पवार के बारे में सारी दुनिया जानती है कि उनको महारत किस पर है और महारत जहां है, वह उनके दाहिनी तरफ जो बैठे हैं, उनको ज्यादा होनी चाहिये। देखिये, शरद पवार जी को याद दिलाऊं कि 1982 से 1986 तब जब वे कुर्सी पर पहले चढ़े तो वह भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर चढ़े थे। ..**(व्यवधान)** हमारे कंधों पर चढ़कर आप कुर्सी पर बैठे तब तो हममें कोई अवगुण नहीं है और जब हमें जनता यहां बैठने को कहे तो आपको साम्प्रदायिकता का भूत दिखने लगे।

[अनुवाद]

मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। मैं 1990 के उन महत्वपूर्ण दिनों को स्पष्ट तौर से याद करता हूं और मुझे यकीन है कि मेरे मित्र श्री श्रीकान्त जेना जी को वो दिन याद होंगे। माण्डा के राजा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस समय फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के सदस्य थे ने इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में सभा में अपना बहुमत खो दिया था। मुझे मालूम नहीं है कि तत्काल विश्वास मत प्राप्त करने की यह नैतिकता उस वक्त कहां थी जिसके बारे में श्री सोमनाथ कल से एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। कृपया हम पर इतने प्रहार मत कीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि तत्काल विश्वास मत प्राप्त करने का सभा का सिद्धान्त उस समय कहां था। वह कहां चला गया? यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आज वही राजा साहब माण्डा आप सबके नेता बने हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह मेरे मित्र श्री चिदम्बरम के स्वतः स्वीकृत नेता हैं। मुझे देश में बदलते परिदृश्य पर कभी-कभार आश्चर्य होता है। इस सबका कारण यह दो सूत्रीय कार्यक्रम है कि "मुझे सत्ता दो भारतीय जनता पार्टी को रोको।" 1990 में जब मांडा के राजा का इस सभा में बहुमत नहीं रह गया तो उन्होंने काफी समय लिया था। उन्होंने काफी समय लिया, उन्होंने सभा में मतदान करवाया, उन्होंने त्याग-पत्र देने से पहले सभा में अपनी हार होती हुई देखनी चाही। वह मेरे मित्र, कलकत्ता के प्रसिद्ध अधिवक्ता कहां थे? ..**(व्यवधान)** उस समय इन नैतिकताओं के लिए आपने दुहाई क्यों नहीं दी? मैं अपनी बात जारी रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें त्याग पत्र देने दीजिए।

सभापति महोदया : श्री जसवंत सिंह जी आपको आवंटित समय बीत रहा है। वास्तव में आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप दूसरों की बात मत सुनिए।

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं कैसे नहीं सुन सकता हूं जबकि मेरे माननीय मित्र, बोलपूर से निर्वाचित माननीय सदस्य बोल रहे हों? मैं उनकी बात कैसे नहीं सुन सकता हूं। मुझे उनकी बात सुननी होगी। मुझे विश्वास है कि आप मन में सहानुभूति रखते हुए ..**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : चित्तौडगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य जो अधिक समय तक वित्त मंत्री नहीं रहेंगे, मैं चाहता हूं कि आपको इस दल में अपना समय नष्ट न करके दूसरी सरकार में होना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं कार्यों को जारी रखने के बारे में केवल एक शब्द कहूंगा क्योंकि सरकार के स्वरूप का उल्लेख किया गया था। यद्यपि यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं फिर भी मैं समझता हूं कि मुझे इसे दोहराना चाहिए। संविधान उस सरकार जिसे विश्वास मत प्राप्त करना है और जिसे विश्वासमत प्राप्त नहीं हुआ में कोई भेद नहीं करता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार पर बंदिशें हैं और उन बंदिशों का माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस सरकार ने ईमानदारी से पालन किया है। मैंने कश्मीर का उदाहरण दिया। हमारा कांग्रेस से मुख्य राजनीतिक मतभेद है। हमारा विचार है कि कश्मीर में चुनाव कराने का यह उचित समय नहीं है। हमने कहा था कि कश्मीर में चुनाव कराने के बारे में हमारी आपत्ति के बावजूद हम चुनावों में भाग लेंगे, हमने वह निर्णय माना। हमने कश्मीर में चुनाव कराने के निर्णय का सम्मान किया। पिछले निर्णयों को कार्यान्वित करने की दिशा में एक अन्य निर्णय केवल यह है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को चलने दिया जाए। महोदय, मैंने केवल दो पहलुओं से एक अपील की। मुख्य विपक्षी दल के मुख्य वक्ता, माननीय सदस्य बारामती निर्वाचन क्षेत्र के हैं और यह बात बड़ी विचित्र है क्योंकि जब कोका-कोला ने देश में प्रवेश करना था, उसे अचानक बारामती के निकट बहुत सारी भूमि आबंटित की गई। कोका-कोला केवल बारामती के निकट ही भूमि खरीद सकी।

सभापति महोदया : जसवंत सिंह जी, कुछ भी हो, वह यहां पर नहीं हैं। आप उनके नाम का उल्लेख क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यह आपकी अंतिम बात होगी।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बंदिशों का अनुमोदन करेंगे क्योंकि मैं वास्तव में उस तथ्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का भारतीय वायु सेना के विमान से वाराणसी से पुणे ले जाया गया। यदि मैंने इसका उल्लेख नहीं किय तो इसका कारण यह है कि मैं सांठगांठ के काम में विश्वास नहीं करता हूं। यदि सांठगांठ से यह दोष वहां नहीं चल सकता है तो सांठगांठ से यह दोष बेचारे कल्पनाथ जी के साथ कैसे चल सकता है? मुझे इसके

लिए खेद है। माननीय पवार जी ने पिछली सरकार द्वारा प्रदर्शित आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के विषय में कुछ कहा था। मैं केवल चार-पांच मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले तीन वर्षों में वित्तीय घाटा सभी प्राक्कलनों को पार कर चुका है। अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 1996-97 का अंतरिम बजट 62 हजार करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत रहा है। ये मत नहीं है। ये तथ्य हैं। यदि ये तथ्य हैं तो यह श्री शरद पवार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, बारामती निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य जो कि वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ हैं लेकिन ऐसे मामलों में उनका ऐसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना अदूरदर्शिता होगी। महोदया, आज इस सरकार के कारण सरकारी ऋण औसतन 3000 करोड़ रुपए प्रतिमाह की दर से बढ़ रहा है। 3000 करोड़ रुपए प्रतिमाह सरकारी ऋण लेने की दर स्वतंत्रता के सबसे निकृष्टतम दर है। भारतीय रिजर्व बैंक से अत्यधिक तदर्थ ऋण लने के कारण देश में मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा गैर-खाद्य क्षेत्र, व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्रों के लिए जहां ऋण की आवश्यकता होती है, ऋण की उपलब्धता के कमी आ रही है। गत पांच वर्षों में उन द्वारा मिथ्या नाम से पुकारे जाने वाले आर्थिक सुधारों जिन्हें कि वे प्रमुख उपलब्धि के रूप में संपादित करते हैं—से एक क्षण के लिए हमारे मूलभूत ढांचे की संकटपूर्ण स्थिति प्रदर्शित होती है। उनकी तथाकथित आर्थिक सुधार नीति के फलस्वरूप गत पांच वर्षों में विद्युत उत्पादन में एक मेगावाट तथा सड़क निर्माण कार्य में एक किलोमीटर की भी वृद्धि नहीं हुई और एक भी नए विमानपत्तन का विकास नहीं हुआ है। महोदया, उत्तरदायित्व की सर्वोच्च भावना से यह बात इस सभा को सूचित करता हूं कि देश की विद्युत उत्पादन की स्थिति बहुत ही खराब है। ऊर्जा समिति से प्राप्त प्रतिवेदन को मेरे लिए प्रिय साथी इस बात से सहमत होंगे—प्रारम्भिक पंक्ति में लिखा है, 'ऊर्जा ही सुरक्षा है'। विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालती है तथा इसके लिए यदि कोई दोषी है, तो वह आप अर्थात् कांग्रेस दल है और अपने ही देश को जोखिम में डालने का यह विवेकहीन रास्ता चुना है।

सभापति महोदया : क्या अब आप अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : मेरे पास कहने के लिए अनेक अन्य बातें हैं। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ऐसा करना ही न्यायोचित है क्योंकि आप बहुत उदार रही हैं। मैं अपनी, अपनी सरकार तथा यहां उपस्थित हम सभी तथा हमें समर्थन दे रहे दलों की ओर से बोल रहा हूं। यह उनकी उदारता है कि उन्होंने हमें सिद्धांतों के आधार पर समर्थन दिया है—मैं यह महसूस करता हूं कि यह वाद-विवाद अथवा चुनावों के बाद इस प्रकार गठबंधन करना अथवा बिना किसी कार्यक्रम के इकट्ठे होकर सामने आना वास्तव में ही गोल करने के बाद खेल के नियमों में परिवर्तन करने वाली बात है। भारत के मतदाता गोल कर चुके हैं और हम साफ तौर पर उसके विजेता हैं। गोल किये जाने के बाद, इस प्रकार दलों का इकट्ठा होना, सरदार साहब ने 17-18 पार्टियों का जिक्र किया है।

मैं बोलपुर से निर्वाचित माननीय सदस्य से यह पूछता हूं कि यदि यह ऐसा अदभूत जमावडा है, तो फिर आप अपने ही दल के अत्यंत विख्यात भारतीय नागरिक एवं अत्यंत प्रतिष्ठित और महान देश भक्त मुख्य मंत्री को क्यों रोका? आपने अपने ही दल के मुख्य मंत्री को उत्तरदायित्व ग्रहण करने से क्यों रोका? आपने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि आप स्वयं को उस व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, जोकि आप कर रहे थे। क्यों? महोदया, क्यों? कांग्रेस दल इतना उच्च क्यों है? जो श्री शरद पवार करेंगे, वे उससे भयभीत हैं तथा यदि उनकी सरकार बन गई, तो क्या होगा! श्री शरद पवार को श्री नरसिंह राव - संसद के गलियारों में इस प्रकार की अफवाह फैली हुई है-से छुटकारा मिल जायेगा...**(व्यवधान)** मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई है। मेरे विचार से, आपको श्री शरद को ऐसा अतिशीघ्र बता देना चाहिए..**(व्यवधान)**

महोदय, मुझे अन्ततः एक बात और कहनी है। यह एक गम्भीर बात है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें।

महोदया, मुझे खेद है कि मैं आपको महोदय कह कर संबोधित करने की गलती दोबार फिर कर रहा हूं। यह शब्द एकलिंगी है तथा मुझे विश्वास है कि आप जबान की अथवा जबान फिसलने की इस गलती को महसूस नहीं करेंगी।

महोदया, संसदीय प्रणाली अथवा निर्वाचित लोकतंत्र अपने आपमें एक समझौता है। राजनैतिक दल विचारों के आधार पर आपस में समझौता करते हैं। हम लघुतम समापवर्तक के समीकरण पर पहुंचते हैं। राजनैतिक दल लघुतम समापवर्तक के समीकरण के आधार पर कार्य करते हैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत में आम सहमति के लघुतम समापवर्तक को खोजने की कोशिश है। मेरा निष्ठापूर्वक यह दृढ़ विश्वास है-मैं यह किसी पक्षपातपूर्ण भावना से नहीं कह रहा हूं-कि 1980 अथवा 1990 के दशकों में इस देश में आम सहमति के इस लघुतम समापवर्तक को खोजने के कभी भी ऐसे निष्ठ प्रयास नहीं किये गये हैं।

मैं सरदार सुरजीत सिंह बरनाला की सराहना करता हूं। मेरा उनके द्वारा दिये गये सुझावों के ब्यौरों पर मतभेद हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वह विनम्र निवेदन करते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जब वह राष्ट्रीय सरकार की बात करते हैं, तो वह आम समीकरण की खोज हेतु, उसके स्वरूप एवं इसकी वास्तविकता की बात नहीं करते हैं। आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं। 18 अथवा 20 अथवा जो भी संख्या है के समूह को आप उस आम सहमति की दृष्टि से कैसे अस्वीकार कर रहे हैं। आप माननीय प्रधान मंत्री के व्यवहारिक हल निकालने के इस प्रयास को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं; जिससे भारत को लाभ हो सकता है।

महोदया, मेरे मन में एक और विचार है। हम अपने देश में श्री सामनाथ जी को पहली बार एक ऐसे रूप में देख रहे हैं, जिसमें कि हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। सभी चुनावों के पश्चात् जो भी स्थिति सामने आई हो, भारत में मतदाताओं के निर्णय चाहे वह कितना भी कटु अथवा अस्वीकार्य क्यों न रहा हो-को हमेशा स्वीकार किया जाता रहा है। हमने अपने पड़ौसी देशों में ऐसा होते देखा है; मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। हमने अपने पड़ोसी देशों में ऐसा होते देखा है, संक्षेप में यह कि मतदाताओं के निर्णय को अस्वीकार करना तथा उस अस्वीकार किये जाने के आधार पर ही आगे बढ़ना।

अपराह्न 2.29 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब हम कुछेक को बिल्कुल अलग मानकर मतदाताओं के निर्णय को अस्वीकार करने के उस स्थल की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए, मतदाताओं के निर्णय को मात्र इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह रास्ता राजनैतिक दृष्टि से आपके लिए असुविधाजनक है। ऐसा रास्ता अपनाना भारत के लिए उचित नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों के अनुभव से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस रास्ते में जोखिम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से यह अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि अभी भी अपनी भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचिए तथा प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए और अपने मन को राजी कर लीजिए कि प्रस्तावित व्यवस्था आप भारत के हितों की रक्षा करने हेतु अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तथा तभी आप जैसा उचित समझें रास्ता अपना लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीन शर्मा जी कृपया तीन मिनट में अपनी बात रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास केवल पन्द्रह मिनट का समय शेष बचा है। समय बर्बाद न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि समय बर्बाद न कीजिए। यदि आप इसी तरह खड़े रहेंगे, तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं अपनी तथा असम गण परिषद पार्टी के संसद सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने का मन बनाया है तथा मैं प्रारम्भ में ही, इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

आज, असम राज्य और शायद इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में सभा में काफी उल्लेख किया गया है। हमें इस बात पर गर्व है कि सभा ने इस बात पर ध्यान दिया है कि असम भी भारत का एक राज्य है। इस सम्बन्ध में अनेक मुद्दे उठाये गये हैं, विशेष तौर पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी ने यह मुद्दा उठाया है कि असम राज्य में काफी घुसपैठ को चुकी है तथा जब की जनता के रहन-सहन की स्थिति एवं इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। मुझे अत्यंत खेदपूर्वक यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि वह इन दो अत्यंत विवादस्पद मुद्दो को हल करने के लिए कोई कार्य-योजना नहीं बना पाये हैं। माननीय श्री जसवंत सिंह ने भी 1983 एवं 1985 के दौरान असम में हुई घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन मैं अत्यंत खेदपूर्वक यह उल्लेख करना चाहता हूं कि 1985 में अस्तित्व में आई एक क्षेत्रीय पार्टी तथा व्यापक जनादेश से निर्वाचित सरकार को सम्भवतः भाजपा एवं इस सभा में उपस्थित भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर के सक्रिय सहयोग से यह तर्क देते हुए कि एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था तथा उसे सात दिनों के अन्दर-अन्दर छुड़वाना था, गिरा दिया गया था।...**(व्यवधान)** अब, आप अपनी बात तभी कहिये जब मैं अपनी बात समाप्त कर लूं।

अब, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र एवं असम की जनता के लिए बोलने का निश्चय किया है और मोटे तौर पर देश की जनता के बारे में बोलने का मन बना लिया है। इस चुनाव का फैसला सुस्पष्ट है। मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं। चुनावों का निर्णय यह है कि विभिन्न दलों का अलग-अलग घोषणा-पत्रों द्वारा अस्तित्व में आना, जोकि संविधान में उल्लिखित एवं घोषित अवधारणा के बिल्कुल अनुरूप है। भाजपा का घोषणा-पत्र एवं श्री वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का कार्यकरण उससे हट गया है। एक राष्ट्र एक जनता के सिद्धांत की अवधारणा से हमें तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को धक्का लगा है। इसी वजह से भाजपा की यही विशिष्ट दार्शनिकता हमें स्वीकार्य नहीं है। भारत देश विभिन्नता में बसा है तथा दुर्भाग्यवश, वे एक राष्ट्र एवं एक जनता की बात कर रहे हैं तथा वे यह भूल चुके हैं कि इस देश में अलग-अलग संस्कृति वाले अनेक लोग रहते हैं। इस विषय पर भी, हमारे काफी मतभेद हैं। यह फैसला सुस्पष्ट है कि यह न तो भाजपा के पक्ष में है और न ही देश का शासन किन्हीं राष्ट्रीय दलों द्वारा चलाये जाने के पक्ष में। यह फैसला सुस्पष्ट रूप से उन दलों के पक्ष में है, जिन्हें संविधान में दृढ़ विश्वास है तथा जो लोग धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं जनहित के पक्षधर हैं। भाजपा अपने घोषणा पत्र में ग्रामीण जनता के हित सम्बन्धी कार्यक्रमों को शामिल नहीं कर पाई है। अतः, हम असम के लोगों को जोकि अधिकतर गांवों में रहते हैं भाजपा के घोषणा-पत्र में ग्रामीण जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अथवा कार्य-योजना नजर नहीं आई है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर हमारा भाजपा से काफी मतभेद है। मैं नहीं जानता कि मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए अथवा नहीं-लेकिन इससे चुनावों से पहले, चुनावों के समय एवं चुनावों के बाद हमें थोड़ा

सा छक्का लगा है। इसका उल्लेख भी किया जा चुका है। भाजपा की लम्बी चौड़ी निरर्थक नीति है तथा उसकी यह नीति असम की जनता को मान्य नहीं है। वे देश पर दिल्ली से ही शासन करना चाहते हैं; वे असम की जनता पर दिल्ली से हुक्म चलाना चाहते हैं, हम इसे पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए तथा उन्हें भी जनहितेषी समझा जाना चाहिए। अब, बड़ी संख्या में पार्टियां अस्तित्व में आ गई हैं। ये सभी पार्टियां जनादेश को स्वीकार करने के लिए एकत्रित होकर सामने आई हैं तथा यह जनादेश संघवाद के लिए है। हममें से कुछ इसे चाहे पंसद करे अथवा नहीं, देश निकट भविष्य में संघीय सरकार की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः, हम संघीय सरकार के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि संघीय सरकार के माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। भाजपा अनेक अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह केन्द्रीय शक्ति है।

परन्तु हम केन्द्रीकरण का समर्थन करने वाली शक्तियों का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग हमारी अपनी सरकार की भागीदारी से किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : सरमा जी, अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा. प्रबीन चन्द्र सरमा : महोदय, मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने के लिए कुछ और समय दिया जाए।

गत पांच दशकों से असम की जनता के मन मे यही भावना रही है कि उनका शोषण किया गया है और ऐसी भावना का शमन करना होगा। केन्द्र सरकार को अपने कार्यक्रमों द्वारा इन भावनाओं का शमन करना होगा। असम की जनता के मन में यह भावना है कि उनके साथ असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है। उनके मन में ऐसी भावना को निकालना होगा। ऐसा भी महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक और अन्य विभिन्न मामलों के संदर्भ में असम को नजर अंदाज किया गया है। असम के विकास के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद असम देश के निर्धनतम राज्यों में से एक है। इसी कारणवश हम महसूस कर रहे हैं कि असम की जनता का उचित परिदृश्य में देखना चाहिए।

हाल ही में निचले असम में एक घटना घटी। देश के माननीय गृह मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने इस घटना का उल्लेख किया है। 15 मई, 1996 को श्री प्रफुल्ल कुमार मोहन्ता के नेतृत्व में असम सरकार का गठन हुआ और 13 मई को दंगे शुरू हो गये थे। मुख्य मंत्री ने सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियां सहित स्वयं मैं, माननीय संसद सदस्य श्री अरूण कुमार शर्मा, एक मंत्री महोदय, श्री बिरज कुमार शर्मा तथा दुर्गादास बोरो ने विभिन्न शिविरों का दौरा किया जिसमें पीड़ितों को रखा गया था और हमने वहां उनकी दुर्दशा देखी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके पीछे कुछ तत्वों का हाथ है परन्तु देश के माननीय गृह मंत्री जी इसे समझ नहीं पाये। यह बहुत ही असमंजस स्थिति है। इस नाजुक स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों का असम छोड़ कर चले जाने से आग में घी डालने जैसा काम हुआ। असम के पास केवल सशस्त्र बलों की 41 कंपनियां रह गई थी जबकि चुनाव के दौरान असम में 250 कम्पनियां थी और चुनाव से पहले आन्तरिक कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य के पास 200 कंपनियां थी। चुनाव से पहले राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 200 कंपनियां थी। तथापि, अनुरोध किये जाने के बावजूद, भारत सरकार ने असम क्षेत्र की रक्षा के लिये और सशस्त्र बलों को भेजने से इंकार कर दिया। माननीय गृह मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया कि वह 21 को असम जाना चाहते थे पर उनको इसकी अनुमति नहीं दी गई। यह सच नहीं हैं। वास्तव में, श्री मोहन्ता जी ने स्वयं 22 तारीख को उनसे असम आने का निवेदन किया। यह सच नहीं है कि उनको असम आने के लिए नहीं कहा गया।

मैं कतिपय अन्य मामले की उठाना चाहता था परन्तु समय का अभाव हैं। मुझे आशा है कि इस सदन में हमें अपनी बातें स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इन शब्दों के साथ, मैं निष्कर्षतः यह कहूंगा कि इस समय हमें कवि, दार्शनिक एवं हमारे प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमें आशा है कि भाजपा अपनी कमियों त्रुटियों को महसूस करेगी और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं? श्री चार्ल्स जी, मैंने आपको कुछ देर रूकने के लिए कहा था।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से श्री वाजपेयी जी के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान एवं स्नेह है, फिर भी हमारे दल का यह विचार है कि केन्द्र में भाजपा की सरकार होना देश की साम्प्रदायिक सद्भावना, एकता एवं अखण्डता के लिए खतरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री वाजपेयी जी उदारवादी व्यक्ति है परन्तु यह विदित है कि उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं विश्व हिन्दू परिषद नियंत्रित करेंगे जो कि पर्दे के पीछे से भाजपा को निर्देशित करते हैं। अतः, उनके नेतृत्व में देश कई समस्याओं का सामना करेगा। क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी? वह एक महत्वपूर्ण दिन था। स्वामी विवेकानन्द शिकागो भाषण के शताब्दी समारोह के अवसर पर यह घटना घटी थी यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसी दिन घटी थी। 4 दिसम्बर, 1992 को श्री वाजपेयी जी ने इस सदन में यह वचन दिया था कि वे मस्जिद को ध्वंस नहीं करेंगे पर वहां पर केवल 'पूजा' करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दल के अध्यक्ष श्री आडवाणी और अन्य बड़े नेताओं की उपस्थिति में यह सब कुछ हुआ। ऐसी घटनाओं से देश में असामंजस्ता बढ़ती है।

हमारे दल ने बहुत पहले ही यह अंदाजा लगाया था कि 11वीं लोक सभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। हम जानते थे कि केन्द्र में एक मिली जुली सरकार बनेगी जिसमें देश की राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता, स्थिरता एवं विकास के प्रति वचनबद्ध दल शामिल होंगे। ऐसी सरकार कुशल प्रशासन, विकास, सत्ता के उपयोग के बारे में उचित घोषणा, कल्याणकारी उपाय, स्वच्छ, दक्ष एवं पारदर्शी प्रशासन आदि के प्रति वचनबद्ध होगी।

आज स्वर्गीय एंन.टी. रामा राव जी का जन्म दिन है। श्री नायडू के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश में कई नई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने उत्पीड़ित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने इन लोगों को रोटी कपड़ा मकान, एवं अन्य सुविधाएं दी ताकि उनका उत्थान हो सके। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में क्या हो रहा है? कई बातें कही गई हैं। वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह सरकार के पतन के लिए केवल भाजपा ही जिम्मेदार है। यह केवल मंदिर के मुद्दे के कारण हुआ है। मन्दिर गलियों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होता है। प्रत्येक दिल में एक मन्दिर होता है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि भगवान एक ही है चाहे वह मॉस्जिद में हो, गिरजाघर में हो या फिर मंदिर में हो। हिन्दूओं में भी भगवान कृष्ण, राम, शिव एवं अन्य कई भगवान हैं। धर्म को सड़क पर घसीटा नहीं जा सकता और धर्म के कारण लोगों के मस्तिष्क में संक्षोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस भाजपा सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं।

हम सब जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं में उनकी क्या भूमिका रही है। हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने सरकार को किस प्रकार का समर्थन दिया है और बाद में समर्थन वापस ले लिया। उनके इरादे पूरी तरह स्पष्ट हैं। कुल मतदान में से केवल 22-22.5 प्रतिशत मत मिलने पर उन्होंने सरकार बनायी जबकि संयुक्त मोर्चा को 45 प्रतिशत से भी अधिक मत मिले हैं। अतः संयुक्त मोर्चे को निस्सन्देह, यह कहने का अधिकार है कि वह बिना किसी कठिनाई के सरकार चला सकता है।

श्री जसवंत सिंह ने अभी अभी कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होगा। हममें यह योग्यता है कि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकें, बिजली उत्पादन और परिवहन में सुधार कर सकें। इनमें सुधार लाना होगा परन्तु कर्जा लेकर नहीं जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने सुझाव दिया है। ऐसे कुछ कारक हैं, जिनकी व्यवस्था की जा सकती है। हमें यह देखना होगा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और बेरोजगारी में से हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है। हमें यह देखना होगा। यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। हमारे पास अमरीका जैसे उन्नत देशों की तुलना में काफी प्रतिभावान लोग हैं। हमें उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु निश्चित तौर पर उनकी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। हम अगले पांच वर्षों में नहीं तो अगले एक दशक में सामाजिक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। संयुक्त मोर्चे में विभिन्न दल सम्मिलित हैं। हम आपसी समन्वय के साथ काम करने में सक्षम होंगे।

संयुक्त मोर्चा देश के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि भा.ज.पा. का देश के केवल कुछ ही भागों का प्रतिनिधित्व करती है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व है और विभिन्न बातों के आधार पर, जिनका हम यहां उल्लेख करने जा रहे हैं, हम बेहतर कार्य कर सकेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वर्तमान लोक सभा में हमारे पास मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों के 22 सदस्य हैं। उनके पास 150 से 160 संसद सदस्य हैं इनमें अल्पसंख्यक संप्रदायों के सदस्यों की संख्या कितनी है? इस से स्पष्ट पता लगता है कि उनके पास लोक सभा में अल्पसंख्यक संप्रदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है इससे स्पष्ट पता लगता है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व केवल संयुक्त मोर्चा में ही है।

सभा में हमारा बहुमत है और हम देश के समक्ष यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे अंदर देश के कार्यों का संचालन अधिक कारगर ढंग से करने की योग्यता किसी अन्य की अपेक्षा कहीं अधिक है।

[हिन्दी]

श्री कांशीराम (होशियारपुर) : अध्यक्ष जीं, आपने संख्या के आधार पर टाइम देने का फैसला किया था लेकिन उस आधार पर टाइम नहीं दिया गया। फिर भी मैं आपसे कोआपरेट करूंगा। मैं 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कांशीराम : लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए यह हम आपसे एक्सपैक्ट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री कांशीराम : मैं आपसे कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जो बार-बार इस सदन में कही जा चुकी हो। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल अपने भाषण में जिक्र किया था कि हमें कम्युनलिज्म के बारे में सब कोई कहते हैं, सब कोई बोलते हैं। लेकिन कास्ट के बारे में कोई नहीं बोलता है। तो कास्ट के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। वह लोग बोलना चाहते हैं जो जातिवाद के आधार इस देश में जातिवाद का शिकार बने हैं। वे किसलिये बोलते हैं कि

वे इस देश में जाति को खत्म करना चाहते हैं—बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज से 60 साल पहले 1936 में एक किताब लिखी थी-ए निहिलेशन ऑफ कास्ट्स-जो उन्होंने जाति का बीजनाश करने के लिये लिखी थी। हम लोगों ने 1993 में पूरे साल संघर्ष किया। उस संघर्ष के पीछे हमारा मकसद था - जाति तोड़ो समाज जोड़ो जाति के आधार पर जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनके लिये जाति की बात करना जरूरी हो जाता है। हम लोग जाति को टिकाए ही नहीं रखना चाहते हैं, हम जाति को खत्म करना चाहते हैं। इसलिये जो लोग जाति के रोग से पीड़ित हैं, उस रोग के बारे में बोलना मैं जरूरी समझता हूं। किसी रोग को छिपाने से उसका इलाज नहीं होगा, रोग के बारे में हमें सोचना होगा, उसका इलाज ढूंढना होगा। उस इलाज को ढूंढने के लिये ही हम जाति की बात करते हैं।

जाति की बात करके हम क्या करना चाहते हैं—इस देश से जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं।

दूसरी बात अटल जी ने परिवर्तन की कही थी। मुझे नहीं मालूम की भारतीय जनता पार्टी क्या परिवर्तन लाना चाहती है लेकिन परिवर्तन की बात आजकल हर कोई करने लगा है। जब चार महीने के लिये उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने यह सिद्ध करने के लिये, यह उजागर करने के लिये कि बहुजन समाज पार्टी परिवर्तन लाना चाहती है, लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाया लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने उसका विरोध किया।

परिवर्तन लाने वाले हमारे जो महापुरूष हुए हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, साहूजी महाराज और पेरियार, हम लोगों ने उनके मेले लगाने शुरू किये। जब हमने पेरियार मेला लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका डटकर विरोध किया। जोशी जी इधर बैठे हैं, उन्होंने मुझसे लखनऊ में आकर कहा था कि हमें यह मेला लखनऊ में नहीं लगाना चाहिये, अगर लगाना ही है तो लखनऊ की बजाए दिल्ली में लगाना चाहिये। मैंने उनसे कहा..**(व्यवधान)** मैं 5 मिनट में खत्म करना चाहता हूं।

मैंने उनसे कहा कि आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिये हम लखनऊ में लगा रहे हैं, जब हमारी सरकार दिल्ली में होगी तो दिल्ली में लगाया करेंगे। उसके लिये हम अभी से अपने आपको तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपने बलबूते प, अपने पैरों पर खड़े होकर जाति से मुक्ति हासिल कर सकें और जाति को तोड़कर लोगों को इकट्ठा कर सकें, संगठित कर सकें।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिये सैपरेट इलैक्टोरेट हासिल किया था, लेकिन आज सैपरेट इलैक्टोरेट नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि अपने बलबूते पर मैजोरिटी बना सकें। जाति के आधार पर हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, जाति के आधार पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं और इसीलिये हम बहुजन समाज की बात करते हैं।

यहां परिवर्तन की बात कह गई लेकिन जब हमने लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाया तो उसकी मुखालफत हुई, उसके बाद जब परिवर्तन चाहने वाले महापुरूषों के मेले लगाये तो उसकी मुखालफत हुई, इसलिये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो अच्छी बातें कहती हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे उनमें सुधार हो रहा है, जब काफी सुधार हो जायेगा तो वे हमारे साथ कोआपरेट करके, मिलजुलकर इस देश में परिवर्तन ला सकें लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश मे परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन लाना अत्यंत जरूरी है। इस देश में समाज व्यवस्था के आधार पर जो लोग गिराए गए, अपमानित किये गये, पछाड़े गये, उनके लिये इसकी जरूरत है। इसलिए वे लोग परिवर्तन लाने के लिए जाति की बात करते हैं और लोगों को जाति का नाम लेकर जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है।

परिवर्तन सिर्फ सामाजिक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में हमें लाना होगा। परिवर्तन हमें आर्थिक दिशा में भी लाना होगा। हमारे देश में जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनके पास खेत नहीं है। वे दुखी होकर भूखे मरते हैं और भूखे मरते लोग गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। हमारी सरकार बताती है कि देहात छोड़कर 10 करोड़ लोग शहरों में आ बसे हैं। शहरों में उनकी हालत बहुत बुरी है। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं इसलिए उनकी हालत हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम आर्थिक दिशा में, सामाजिक दिशा में, जिन्दगी के हर पहलू में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसलिए जो भी पार्टी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन आज मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की बात करती है, लेकिन परिवर्तन लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे मनुवाद का समर्थन करते हैं और मैं समझता हूं कि मनुवाद परिवर्तन लाने के लिए नहीं बल्कि रोकने वाली एक विचारधारा है। इसलिए एक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए मैं इस मोशन का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गये विश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे दिए गये अवसर के लिए आपका धन्यवाद।

मेरे दल आर.एस.पी. की और से, मैं इस प्रस्ताव का विराध करता हूं। इसका कारण यह है कि उनकी अल्पमत सरकार है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उनको जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। जनादेश भा.ज.पा. के पक्ष में नहीं गया है, जनादेश भारत में हिन्दू राज्य की स्थापना के पक्ष में नहीं गया है बल्कि जनादेश धर्मनिर्पेक्षता के पक्ष में गया है। इसके अतिरिक्त, जनादेश अवसरवादी सहयोगी दलों के साथ एक पार्टी के शासन के पक्ष में नहीं गया है, बल्कि जनादेश एक सांझा सरकार के

पक्ष में गया है। यह मेरा विचार है और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक धर्मनिरपेक्ष सांझा सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए।

हमारे संसदीय लोकतंत्र में स्थिरता का सवाल है। स्थिरता की परिभाषा केवल संख्या के आधार पर नहीं दी जा सकती है। स्थिरता की अच्छी समझ, सांझा सरकार के सहयोगियों में अच्छे कार्यक्रम के अर्थों में परिभाषा की जा सकती है। जहां तक भा.ज.पा. तथा बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का संबंध है, यह सही है कि भा.ज.पा. देश को एक अच्छी और स्थिर मिली जुली सरकार प्रदान नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि जनादेश के ठीक पश्चात् एक मौलिक परिवर्तन है और वह परिवर्तन एक पार्टी के शासन से संघवाद की दिशा में है। क्षेत्रीय दल आज हमारी राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक तत्व बन गये हैं। जब हम जनादेश के स्वरूप पर विचार करते हैं तो, हम पाते हैं कि केन्द्र में मिली जुली सरकार का एक युग प्रारम्भ हो गया है। इसका अर्थ है कि भा.ज.पा. अपने एकात्मक प्रणाली की ओर अपने झुकाव के साथ, संघवाद के तथ्य से अवगत नहीं हो सकती, हमारे देश के संघीय ढांचे की ओर मौलिक परिवर्तन से अवगत नहीं हो सकती। वे इस तथ्य से अवगत नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय विकास में क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण ताकत बन गई हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इन शब्दों के.साथ, मैं एक मिनट में अपने भाषण को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अंत में, मैं इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं फासीवाद का विरोध करता हूं। लोकतंत्र के लिए अपने प्यार के कारण मैं इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं अपने देश से अधिक प्यार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी.एम. बनातवाला को बोलने के लिए बुलाता हूं। मैं वास्तव में आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूं। कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। अध्यक्ष महोदय, गिनती का समय आ गया है। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मंत्रि परिषद में विश्वास व्यक्त करने में लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि भा.ज.पा. के नेतृत्व में सरकार ने सत्ता संभाली है। यह एक संवैधानिक खतरे के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह एक संवैधानिक खतरे के परिणामस्वरूप हुआ है कि भा.ज.पा. तथा शिवसेना इस समय सत्ता में है। अन्यथा, महोदय, पहले दिन से ही यह बिल्कुल स्पष्ट था कि भा.ज.पा. के पास कोई बहुमत नहीं है और वह इस सभा में कभी भी बहुमत के बारे में नहीं सोच सकती। अतः यह आश्चर्यजनक है कि श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का राष्ट्रपति का नियन्त्रण कैसे स्वीकार किया यह बहुत स्पष्ट है कि दलगत हितों के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का लाभ उठाया गया था। भा.ज.पा. का विश्वास था कि कभी भी शासन न करने की अपेक्षा शासन करके हटना अच्छा है, इस तरह के दृष्टिकोण से वे सत्ता में आये। संवैधानिक प्रक्रिया का इस तरह से लाभ उठाने से वे सत्ता में आये। संवैधानिक प्रक्रिया का यह निंदनीय दोहन है। मुझे पूरा विश्वास है मंत्रिपरिषद में इस विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भा.ज.पा. सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के संबन्ध में लम्बी चौड़ी बातें की जाती है, ये खोखली बाते हैं। यहां हमारे पास भा.ज.पा. और शिव सेना है जो अल्पसंख्यकों की आवधारणा में भी विश्वास नहीं करती हैं। इसी कारण से, जहां कहीं वे राज्यों में सत्ता में आई, वे अल्पसंख्यक आयोग की समाप्त करती रही हैं।

अब गृहमंत्री, प्रत्येक उस व्यक्ति को हिन्दू कहने की सीमा तक चले गये जो हिन्दुस्तान में रह रहा है। परन्तु नेपाल का एक हिन्दू निवासी, जो हिन्दुस्तान का निवासी नहीं है, उसे भी हिन्दू कहा जाता है। किसी अन्य देश का हिन्दू निवासी, जो उस देश में बड़ा हुआ है, ओर उस देश का नागरिक है, और हिन्दुस्तान में नहीं रह रहा है, उसे भी हिन्दू कहा जाता है। अतः, महोदय, इस तरह का भ्रामक प्रचार जारी है और माननीय गृह मंत्री ने मुस्लिम लीग का संदर्भ दिया और मुस्लिम लीग के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को चुनौती दी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वे दर्पण में अपना ही चेहरा देखते हैं। वे अपनी धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतिछाया से भयभीत हो गये हैं और फिर इसे कहीं न कहीं गिराना चाहते हैं। अन्यथा मैं चुनौती देता हूं कि एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया जा सकता जहां मुस्लिम लीग ने कोई गैर धर्मनिरपेक्ष रूख अपनाया हो।

अध्यक्ष महोदय, वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारें में बातें करते हैं। हम उनके पिछले रिकार्ड को जानते हैं।

6 दिसम्बर, 1992 को, इन भा.ज.पा. कैडर और संघ परिवार कैडर ने भा.ज.पा. के नेताओं के सामने और भा.ज.पा. तथा संघ परिवार नेताओं के प्रोत्साहन से संघ परिवार नेताओं की शाबासियों के बीच, बाबरी मस्जिद की शहादत की थी। हम उनका रिकार्ड जानते हैं। हम जानते हैं कि वे अपने अध्यक्ष, अपने नेताओं तथा मंत्रियों का भी सम्मान नहीं करते हैं। गुजरात की शर्मनाक घटनाएं हमारे सामने हैं। इसलिए इस तरह की खोखली बातें किसी का मन नहीं जीतेगी।

प्रधान मंत्री समान नागरिक संहिता और परसनल लॉ के निरसन की आवश्यकता का संदर्भ दिया है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के

लिए समय नहीं है। केवल इतना ही कहूंगा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का कोई भी बलपूर्वक प्रयत्न इसे केवल एक विभाजक ताकत बनायेगा। जहां तक शरीयत का संबंध है, यह एक दैविक कानून है और एक मुसलमान शरीयत से बंधित किए जाने की अपेक्षा अपना जीवन समाप्त करना चाहेगा।

अब राम जेठमलानी साहब भी विधि मंडी है। पहले दिन जब वे अपने कार्यालय गये, तो उन्होंने पर्शनल लॉ और समान नागरिक संहिता से संबंधित सभी फाइलें मंगाई।

समयाभाव के कारण मैं सरकार को केवल वह स्मरण कराना चाहता हूं जो समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था और डा. अम्बेडकर ने कहा था कि वह सरकार पागल सरकार होगी जो अनिच्छुक लोगों पर समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

यह सनकी सरकार का निर्णय था जो सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों को झुकाने के उद्देश्य से लिया गया था। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन आप अधीर हो रहे हैं। मैंने बार-बार आपसे समय मांगा और उस समय भी आप व्यस्त थे। इसलिए मैं अन्य बातों को छोड़ते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। उनके सत्ता में आने की इस राष्ट्रीय त्रासदी का राष्ट्रीय हित में तत्काल उपसंहार हो जाना चाहिए। हम उनकी राज्यव्यवस्था, हिन्दुत्व के दर्शन और हिन्दु राष्ट्र की नीति का विरोध करेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने गुरू गोल्वरकर के विचारों के उन उद्धरणों को पहले ही पढ़ कर सुनाया है जिनसे यह पता चलता है कि उनकी विचारधारा के अनुसार अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी होगी। यही कारण है कि मुस्लिम लीग ने शुरू से ही सोच समझकर फैसला लिया है। हम पूरी ताकत के साथ इस मंत्री परिषद् को हटाने के लिए इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रधान मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दूसरी तरफ श्री शरद पवार जी कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को कलंकित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को कलंकित नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुस्तान की जनता ने जनादेश देकर के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस हाउस में भेजा है, उनके जनादेश का पालन किया है। यदि प्रजातंत्र को कलंकित किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। याद करो कांग्रेस के नेताओं, इस देश में इसी हाउस के अन्दर देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि सांसदों की खरीद-फरोख्त लाबी में हुई हो, वह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तो वह पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कलंकित कैसे कह सकती है। कैसे यह प्रजातंत्र को कलंकित करने की बात कह सकते हैं।

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज वे सब शक्ति इक्ट्ठी हो रही हैं जो आज से पांच छः महीने पहले टेलीफोन घोटाले को लेकर, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधान मंत्री, जो आज विपक्ष के नेता हैं, का विरोध करते थे। ...**(व्यवधान)***

आज वह दूध की धुली हुई कैसे बन गयी।

मैं राष्ट्रीय मोर्चे के साथियों से कहना चाहता हूं कि आज सारे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता की बात करती है। हमारे साथियों में अकाली दल के नेता श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी कह रहे थे, पिछले 15-20 वर्षों से लगातार हरियाणा और पंजाब के दो मामले उलझे पड़े हैं एक तरफ एस.वाई.एल. नहर की खुदाई की बात है और दूसरी तरफ चंडीगढ़ और फाज़िल्का की बात है। हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही लेकिन कांग्रेस पार्टी की यह सोच थी कि हरियाणा और पंजाब का मामला सुलझाया न जा सके। एक-दूसरे को लड़वाने के कोशिश की गई। इससे ज्यादा साम्प्रदायिकता भड़काने का काम और कौन कर सकता है। ... **(व्यवधान)** पिछले दिनों हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं फिर क्यों नहीं इन्होंने फैसला करवाया? ... **(व्यवधान)**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अकालियों से पूछ लें। ... **(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश : 1991 में कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम एस. वाई.एल. नहर का पानी लाकर देंगे। ... **(व्यवधान)** आज सांसदों की जमानत जब्त हुई। मैं अपने साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसे नेता के नेतृत्व में चल रही है ... **(व्यवधान)** यदि आपसे कहा जाए कि अन्तरात्मा की आवाज से वोट दें ... **(व्यवधान)** ये मित्र लोग व्हिप से बंधे हुए हैं वर्ना कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते थे। ... **(व्यवधान)**

मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि आज सारे देश के लोग यह कह रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हम मानते हैं एक तरफ पूर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं, आज वही लोग अपने मतदाता को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या इस राष्ट्रीय मोर्चे को इस देश की जनता माफ करेगी? आज इसकी एक वजह है कि जो लोग चीनी घोटाले को लेकर तत्कालीन प्रधान मंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और प्रधान मंत्री ने अपने एक साथी का टाडा में बन्द करवाने का काम किया था, आज माननीय सदस्य ने कहा कि उस चीनी घोटाले में पूर्व प्रधान मंत्री

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

शामिल हैं। ... **(व्यवधान)** तो आज वे दूध के धुले किस तरह हो सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस देश की जनता के सामने कहें कि क्या वे चीनी घोटाले में शामिल नहीं है? यदि हैं तो वाम मोर्चे के लोगों को ऐसी शक्तियों का समर्थन नहीं लेना चाहिए। ... **(व्यवधान)** हमें चाहे वापिस जनता में जाकर जनादेश लेना पड़े । इसलिए आएं, मिलकर जनादेश हासिल करें। ... **(व्यवधान)** हरयिाणा प्रदेश में चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तथा हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी है। ... **(व्यवधान)**

अन्त में मैं फिर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, ऐवाम में जो ऐहतमात का वोट वाजपेयी साहब ने पेश किया है, मैं उसकी मुखालफत इस बुनियाद पर करता हूं कि ऐहतमात पहले ही हासिल नहीं था लेकिन उसके बाद भी आपने हुकूमत बनाना कबूल किया तो शायद यह मकसद हो कि तारीख में अपना एक नाम लिखा जाए। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है:

बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा।

यही नाम चाहते हैं। दूसरी तरफ मुझे तारीख का वाक्या याद आता है कि बहादूरशाह जफर की हुकूमत खत्म हो रही थी और सल्तनत के वलीहत के लिए जवान बख्त का नाम पेश किया जा रहा था। आज तारीख यही दोहरा रही है कि और एक वक्त आ रहा है और आज के दिन 15 मिनट के बाद चले जाने वाले हैं।

बहरहाल अजीबोगरीब हालात से, अजीबोगरीब दौर से हम गुजर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। फिर इसके बाद यह कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को तब्दील करेंगे। आप अपने मजहब की तो हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन जाओकसी के ऊपर इम्तना, तो मैं कहता हूं कि आप क्यों उसके ऊपर इम्तना लगा रहे है। उसको तो आप बर्खास्त कीजिए, उसके बाद आप यह कीजिए। फिर उसके बाद आप पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो कहीं कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं। आप बताइये कि क्या आपका यही सैकुलरिज्म है, जिसका वाजपेयी जी दावा कर रहे हैं? आप अपने चेहरे पर कितना ही नकाब ओढ़ ले, लेकिन नजरें इतनी तेज़ हैं कि हम आपके चेहरे की झुर्रिया गिनकर बता सकते हैं कि आपके अन्दर कितनी झुर्रियां हैं। अब आप इन तमाम चीजों पर गौर कर लें।

बहरहाल मुझे कहना है कि मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि जाने वाले से हमदर्दी होती है। मोहर्रम का महीना है, आपका भी शायद मातम करते हुए आपको भी रूखसत कर देंगे।

यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। हम लोग सुन रहे हैं और सुनते-सुनते आज उसका अन्त भी हम लोग कर रहे हैं।

मैं झारखण्ड से आता हूं और झारखण्ड की बहुत पुरानी मांग हम लोगों की है। झारखण्ड से हम चुनाव हारे हैं और बी.जे.पी. वालों से हारे हैं। मैं बराबर एक सवाल कहता रहा, आज मैं प्रधान मंत्री से भी सवाल कर रहा हूं कि आप बराबर सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं और इसी आधार बम्बई का जो अंग्रेजी नाम था, उसको आपने मुम्बई किया। झारखण्ड हमारा पौराणिक नाम है, जिसकी श्रद्धा है, जो हमारी जंगल झाड़ की संस्कृति है, उसको इन्होने वनांचल बोल दिया। पहले जहां उत्तराखण्ड बोलते थे, उसको उत्तरांचल बोला तो इसके क्या माने हैं? अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जायेगा तो उसे क्या मिलेगा। हमें कौन सा राज्य चाहिए, कौन सा अलग यह देंगे, यह तो एक बात रही।

अब दूसरी बात की हमारी आदिवासियों की अपनी परम्परा है, आदिवासी जंगलों मे रहते हैं, उनकी अपनी-अपनी जाति है, अपने-अपने नाम हैं, अपने-अपने सरनेम हैं, जो तपो होते हैं, कश्यप होते हैं, उरा होते हैं, उनको यह लोग बोलते हैं कि राम लिखो। उनको यह कहते हैं कि राम लिखो तो इनका क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, हम डर के मारे अपने नाम के अन्त में राम लिखें, इसलिए यह सारी बातें हैं। अगर दुखी समाज को भी दुख देने का नियम बने तो क्या हो सकता है।

अलग राज्य की मांग करते हैं, यह भी अलग राज्य की बात करते हैं तो कैसा अलग राज्य होगा? इसलिए हमें कहना है कि इसको सुधारें और केन्द्र में जो भी सरकार बनती है, यह भी मेरा कहना है कि जब देश के कोने-कोने में, प्रत्येक राज्य में आदिवासियों का वास है और विशेष कर जंगल के इलाके में उनका हिस्सा है, सरकार की जुबान से कहा जाता है कि इनका खाता करना, भला करना, सेवा करना, उनका विकास करना है, लेकिन वह हो नहीं पाता है, उनका नाश ही होता है, उनको बर्बाद ही किया जाता है इसलिए ... **(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, शिबू जी एक मिनट मैं कहना चाहूंगी ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैडम, यदि आप मुझे मजबूर करेंगी तो मैं आपको ही अध्यक्षपीठ पर बैठने के लिए कहूंगा क्योंकि आपका नाम सभापति तालिका में है।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन : आज असम के हमारे सांसदों ने असम की मांग और सारी बातें कही। मैं कहना चाहूंगा की दो लाख से ज्यादा आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, संथाल लोग, बोड़ो लोग आज बेघर

हैं, आइसोलेट हो गये हैं, लेकिन केन्द्र के स्तर से कुछ भी नहीं हुआ। अब वह आदिवासी लोग कहां जायेंगे, उनके घर जल गये हैं। दो लाख से ज्यादा आदमी बेघरबार हो गये हैं। ऊपर से षड्यंत्र चला है, यह सब देखना होगा। हम धर्म-निरपेक्ष राज्य चाहते हैं और देश के साथ रहना चाहते हैं। इस देश को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाना चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अलेमाओं चर्चिल (मारमुगाओ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से विश्वास प्रस्ताव का विरोध करने और मेरी मातृभाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के पश्चात इस सम्माननीय सभा में कोंकणी भाषा में प्रथम भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

*अध्यक्ष महोदय, इस बार गोवा में दोनों लोक सभा स्थान क्षेत्रीय दलों को मिले हैं। मेरी पार्टी, यू.जी.डी.पी. दक्षिणी गोवा में, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी उत्तर में जीती हैं। गोवा के हमारे लोग. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चर्चिल जी, चूंकि आपने इस संबंध में पहले कोई नोटिस नहीं दिया था, इसलिए हम अनुवाद की व्यवस्था नहीं कर सके। यदि आप यह चाहते हैं कि सभा में आपके भाषण को सभी सदस्य समझ सकें तो कृपया आज तो आप अंग्रेजी में बोलें। अगली बार आप अग्रिम सूचना देकर कोंकणी बोल सकते हैं।

श्री अलेमाओं चर्चिल : अध्यक्ष महोदय, जब मुझे पहचान पत्र दिया गया था, तो उस समय मैंने नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह शपथ लेने के लिए था, न कि सभा में वाद-विवाद में बोलने के लिए।

श्री अलेमाओं चर्चिल : अध्यक्ष महोदय, आपको मेरी कठिनाईयां समझनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप बोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मामले को जटिल न बनाइए।

***श्री अलेमाओं चर्चिल** : अध्यक्ष महोदय, मैं गोवा से संसद सदस्य हूं। गोवावासियों का प्रतिनिधि हूं। गोवा एक शान्तिपूर्ण भूमि है। हम कभी भी धर्म को राजनीतिक में नहीं मिलाते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं। हिन्दू-इसाई-मुस्लिम...भाई-भाई की तरह रहते हैं। गोवा के लोगों ने धर्मनिरपेक्षत ताकतों के लिए जनादेश दिया है ताकि हम एक अच्छी सरकार का समर्थन कर सकें। हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम बेरोजगारों को समाप्त करना चाहते हैं। हम गरीब और अन्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना चाहते हैं। हमने गोवा निवासियों को के.आर.सी. में नौकरियां देने का आश्वासन दिया है। ये सभी कार्य करवाने के लिए हमें एक अच्छी सरकार चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सज्जन पुरुष ही नहीं हैं बल्कि एक योग्य नेता भी हैं लेकिन केवल एक अच्छा नेता होना ही पर्याप्त नहीं है। जिस दल का वे नेतृत्व करते हैं, वह भी उतना ही स्वीकार्य होना चाहिए। हम भा.ज.पा. के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसकी कुछ नीतियां बहुत संन्देहात्मक है। लोग उनको सन्देह की नजर से देखते हैं। गोवा की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अल्पसंख्यकों का है। वे अभी भा.ज.पा. की नीतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

आज, सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट हो गई हैं। इसिलए, इस मोर्चे को मैं अपने अटल समर्थन की घोषणा करते हुए, इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री महेन्द्र कर्मा, आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए आपको बधाई दूं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कर्मा (बस्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चलाने के लिए जो आम राय की बात कर रहे हैं। ठीक यही बात यूनाईटेड फ्रन्ट के लिए भी लागू होगी कि आप सरकार चलाने के लिए आम राय की बात न करें बल्कि सरकार बनाने के लिए आम राय की बात करें। नहीं तो जो गलती भा.ज.पा. से हुई है, कहीं ऐसा न हो कि हम इस गलती की पुनरावृत्ति करें।...**(व्यवधान)**...कृपया मेरी बात सुनिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राजनीतिक पार्टी ने जनादेश की अपने पक्ष में व्याख्या करने की कोशिश की है। सच तो यह है कि यह संसद इस बात की गवाह है कि इस राष्ट्र के महान देशवासियों ने किसी भी पार्टी को राजनैतिक जनादेश नहीं दिया है।

इसीलिए यह हम सभी सांसदों का, इस सदन का दायित्व बनता है कि इन चीजों में भावनाओं के अनुरूप आम राय से राष्ट्रीय सरकार

* मूलतः कोंकणी में दिए गए भाषण अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बनाने की जरूरत है और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो यूनाइटेड फ्रन्ट सरकार बनाने के लिए अति उत्साह में है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जो समर्थन देने जा रहे हैं :— वाम मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, एम पी वी सी एवं निर्दलीय, ये सब लोग मिलकर अगर सरकार के अन्दर रहने की बात करें तब तो ठीक है। यह सदन अल्पकालीन और अल्पमत सरकारों के बनने और बिगड़ने की एक्सरासाइज का मंच नहीं होना चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि अगर हम देश की अवाम की तरक्की चाहते हैं तो एक स्थायी सरकार बनाने के बारे में बड़ी गम्भीरता से हमें विचार करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी नये संदर्भ में, नये परिवेश में नये परिवर्तन के साथ एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे।

[अनुवाद]

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी-जिला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखे गये विश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। वाद-विवाद के दौरान तथा सेल के बाहर भी माननीय प्रधान मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने दो सदस्यों से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोत्तरी का वर्णन कराने, मुख्य विपक्षी पार्टी बनने और अब अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनने तथा सरकार बनाने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने इसको वर्धन के रूप में वर्णन किया है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूं कि सभी वर्धन स्वास्थ्यकर नहीं होते हैं, कुछ वर्धन कैंसर कहलाते हैं। अतः राष्ट्रीय राजनैतिक ढांचे में आपका वर्धन कैंसर रूपी वर्धन है तथा राष्ट्र को इससे अवश्य पिण्ड छुड़ाना चाहिये।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती रही है तथा साफ-साफ तौर पर यह कहती रही है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लिए उत्तराखण्ड अथवा उत्तरांचल एक प्रथक राज्य बनाया जाये। यह झारखण्ड अथवा जिसे यह वनांचल का मुद्दा कहती है को भी समर्थन दे रही है। उत्तरांचल के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक सर्वसम्मत से संकल्प पारित किया। यदि हम पिछले 13 दिनों के दौरान सरकार की गतिविधियों का विश्लेषण करें तो हम यह देख सकते हैं कि एनरॉन परियोजना के सम्बन्ध में उसे निर्णय लेने का समय मिल गया है। लेकिन उत्तरांचल के बारे में निर्णय लेना उन्हें उचित नहीं लगा। मैं उनसे इस बात का जवाब देने का आग्रह करता हूं। उन्हें उत्तरांचल मुद्दे पर संकल्प पारित करने का समय नहीं मिल सका जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जनादेश प्राप्त किया था। इन्हें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोगों तथा इस देश के पिछड़े क्षेत्रों के सारे लोगों को जवाब देना है।

अध्यक्ष महोदय : डा. रंगपी, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, प्रायः मैं सभा का अधिक समय नहीं लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार आप और अधिक समय ले सकते हैं।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, मैं केवल कुछेक अन्य मुद्दों का जिक्रभर करना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी एक साम्प्रदायिक दल है। यह एक सुस्थापित तथ्य है। यह साम्प्रदायिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह फासिस्टवादी फासीवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि वे अपने विकास की बात करते हैं तो वे हमेशा यह कहते हुए बिहार का जिक्र करते हैं कि उन्होंने वहां अपने निस्पादन में सुधार किया है। लेकिन किन ताकतों की मदद से? उन्होंने रणवीर सेना की मदद से तरक्की की है। आपने भूपतियों तथा गुण्डों की मदद ली है ... **(व्यवधान)** उन्होंने सांमतीय तत्वों की मदद ली है। अतः वे न केवल साम्प्रदायिक तथा फासीवादी हैं अपितु अपनी सीटे बढ़ाने के लिए रणवीर सेना जैसे समाज विरोधी तथा सामंतीय तत्वों की मदद लेने से भी कभी-नहीं हिचके हैं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक और मुद्दा उठाकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अर्थात् न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु प्रत्येक अन्य बड़ी राजनैतिक दल यह नहीं पहचान पाया है कि विगत तेरह दिनों के दौरान एक लाख तीस हजार लोग बेघर हो गये हैं चूंकि हम लोग यह देखने में लगे रहे हैं कि सरकार कौन बनायेगा। वे असम तथा बंगाल में शरणार्थी कैम्पों में ठहरे हुये हैं 157 से भी ज्यादा मृतक पाये गये हैं। रिपोर्टें ये हैं कि बहुत से मृतकों को सड़ाया जा रहा है। उन्हें संचार सुविधाओं के अभाव के कारण निकाला नहीं जा सका ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अभी से पहले समय दिया है।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तेरह दिनों के दौरान मंत्रिमण्डल के एक भी सदस्य ने उन क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है - फिर अकेले प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री की तो बात ही छोड़ो।

अध्यक्ष महोदय : यही मुद्दे बार-बार उठाये गये हैं। भविष्य में श्री बनातवाला के दृष्टांत का अनुकरण करें।

डा. जयन्त रंगपी : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सैनिक वहां नहीं पहुंचे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर आज सुबह भी चर्चा की गई थी। आप इन सब बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कृपया श्री पी.सी. थॉमस!

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले ही 3.30 बज चुके हैं। कृपया इस सरकार को सत्ता से बेदखल हो जाने दीजिए।

डा. जयन्त रंगपी : राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात मत कीजिए। हम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाईए। मेरी उदारता का लाभ मत उठाईए।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, मैं इस सरकार का और विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुबुतुपुजा) **:** महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विवश हूं। मुझे इसलिए खेद है क्योंकि श्री वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत हैं, जिसकी सभी लोग सराहना करते हैं। परन्तु मुझे इसलिए भी खेद है कि भा.ज.पा. द्वारा जो आश्वासन दिये गये, अपने धर्म निरपेक्ष बने रहने तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की परिक्षा करने का सभी दलों से जो वादा किया गया उस पर पूर्व में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे याद है गत लोक सभा में एक समिति थी जिसमें यहां के कई सदस्य शामिल थे जो अयोध्या गये थे। हमने वहां भा.ज.पा. नेताओं से बातचीत की थी। इस संबंध में रिपोर्ट दी गई थी और हम सबको यह विश्वास था कि कुछ ठोस कार्रवाई होगी क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि धर्म निरपेक्षता की परिरक्षा की जाएगी। मस्जिद को ध्वंस नहीं किया जाएगा। समिति को यह आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय को भी ऐसा आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद को ध्वंस नहीं किया जायेगा। परन्तु मुझे खेद है कि भा.ज.पा. सदन में, उच्चतम न्यायालय को तथा जनता को दिये दिये गये सभी आश्वासनों से मुकर गई। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मुद्दे पर हमेशा अलग रूख अपनाते आये हैं अथवा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों में हमें आशा की कुछ किरणें दिख पड़ी है। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि जहां तक सरकार बनाने का संबंध है इस समय भा.ज.पा. का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है और भा.ज.पा. स्वयं इस बात को जानती है। जहां तक सरकार बनाने का संबंध है मुझे खेद है कि इन अन्तिम क्षणों में जबकि बोलने के लिए केवल आधा मिनट शेष है, मुझे कट्टरता पूर्वक इसका विरोध करना पड़ रहा है और मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते ऐसा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) **:** आज बरनाला जी ने हाउस को बहुस मिस्लीड किया है और मैं उनकी बातों को रिफ्यूट करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)** पंजाब में उग्रवाद अकालियों ने फैलाया है। 5 हजार कांग्रेसियों ने पंजाब में अपनी जानें दी है।.. **(व्यवधान)** ये लोग उग्रवादियों से मिलने गये, इन्होंने उग्रवादियों को पुरस्कार दिये।...**(व्यवधान)** मैंने तीन गोलियां खाई हैं।...**(व्यवधान)** इन्होंने कहा कि अकाली 6 बार सत्ता में आए तो इन्हें कांग्रेसियों ने राज नहीं करने दिया।...**(व्यवधान)** जब ये सत्ता में थे तो आपस में लड़ते थे और जब बाहर होते थे तो हमसे लड़ते थे। यही लोग हैं जिन्होंने उग्रवादियों को पुरस्कार दिये।...**(व्यवधान)** ये बात पंजाब के बी.जे.पी. वालों से पूछिये।...**(व्यवधान)** ये उग्रवादियों के साथी हैं। उनको पुरस्कार देने वाले हैं। ये कन्डेम करने के लायक हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनंदन लाल भाटिया जी, बहुत हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) **:** ये सिंखों के कातिल हैं।..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनंदन लाल भाटिया जी, आप इस सदन के बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभु दयाल कठेरिया जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य सदन को गुमराह करता है तो आप दूसरा उपाय अपना सकते हैं। आप विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। परन्तु इस तरह से कह देना कि तुमने सदन को गुमराह किया है, कोई तरीका नहीं है। आप उचित नोटिस दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखबीर सिंह बादल : पंजाब के आदमियों ने इनके खिलाफ वोट दिया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

शांति से सुनिये। प्लीज शांति से सुनिये।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, इस कोलाहल के बाद अगर सदन मुझे शांति से सुनने के लिये मन बना सके तो मैं बहुत आभारी होउंगा। मेरे प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है, मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सदन शांतिपूर्ण चर्चा के लिये, संयमपूर्ण चर्चा के लिये और तर्कपूर्ण चर्चा के लिये है। कुछ मित्रों का प्रयत्न था कि कोई चर्चा न हो,

तत्काल वोट ले लिया जाये और वे यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जायें।...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : ऐसा ही होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उधर से आवाज आ रही है कि ऐसा ही होगा और आवाज कांग्रेस के बैंचों से आ रही है। हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहें।

अध्यक्ष महोदय, संसद में मैंने 40 साल गुजारे हैं। ऐसे क्षण बार-बार आये हैं। सरकार बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है लेकिन लोकतंत्र...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार की टिप्पणियां मत करिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 40 साल आलोचना की है। आज भी अधिकांश आलोचना सुननी पड़ी है। मराठी में एक कहावत है "निदकाचे घर असावे शेजारी" अर्थात् निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय, निन्दा करने वाले को पास में रखना चाहिये, नहीं तो चापलूस बिगाड़ देंगे। अगर निन्दक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : ऐसा लगता है कि वहां का माइक काम कर रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकंठा)**:** आप कह रहे हैं कि यह माइक काम कर रहा है और वो माइक काम नहीं कर रहा है। कृपया उनकी बात अच्छी तरह से सुनिए। आप यूं खड़े होकर इस तरह क्यों बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह शिकायत कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। समता पार्टी के श्री जार्ज फर्नान्डीज, शिव सेना के श्री सर्पोतदार, अकाली दल के नेता बरनाला जी और हरियाणा विकास पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिन्होंने आलोचना की हैं, मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूंगा, मगर मैं विशेष रूप से श्री मुरोसो मारन का उल्लेख करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

मैं अपने प्रिय मित्र श्री मुरसोली मारन के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हूं...**(व्यवधान)** श्री मारन जी, ने ठीक कहा है कतिपय मुद्दों पर हमारे मतभेद होने के बावजूद, उन्होंने बड़ी उदारता से खरीद फरोख्त के मामले पर स्पष्टता पूर्वक कहा है कि हमने अपनी अल्पमत सरकार को बहुमत में बदलने के लिए सूट-केसों का उपयोग नहीं किया है। वास्तव में इन्होंने कुछ सदस्यों द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए निराधार एवं राजनैतिक रूप से प्रेरित आरोपों का खंडन किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि थिरू मारन ने राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की हमारी वचनबद्धता को सराहा है।

हमारा सदा यह विचार रहा है कि यदि राज्य कमजोर होंगे तो केन्द्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकेगा। थिरू मारन जी हमारे एक राष्ट्र, एक जन, और एक ही संस्कृति की हमारी अवधारणा से विक्षुब्ध हैं। मुझे खुशी है कि एक राष्ट्र की हमारी अवधारणा से वह सहमत हैं। परन्तु, मुझे यहां पर यह कहना होगा कि हमारी एक जन, और एक ही संस्कृति की व्याख्या को उन्होंने पूरी तरह से गलत ढंग से लिया है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि भाजपा एकरूपता के पक्ष में नहीं है। हम प्रख्यात भारत के बहुधर्म, बहुभाषीय एवं बहुजातीय स्वरूप को जानते हैं। यही विचार भारत के महान कवि श्री सुब्रहमण्यम भारती की एक कविता में प्रतिलक्षित होते हैं। उस कविता का शीर्षक है "एन थाई" अर्थात् मेरी मां। मैं उसे तमिल में पढ़ना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि :

"मुप्पधु कोड़ि मुगापुदायात
वयीर मोइमबुरम ओन्डूदायल
इवाल चेप्पोमोली पदी नेटटुदायल
एनिल सिंधनई औन्डूदयाल।"

श्री एन.वी.एन. सोमू : महोदय, तमिल में कविता पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पहली बार नहीं है। मैंने संयुक्त राष्ट्र में भी अपने भाषण में तमिल मैं कुछ पढ़ा था।

[हिन्दी]

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :

"तीस कोटि मुखमंडल वाली है मेरी मां,
एक है उसकी काया और आत्मा
भाषायें वह अठारह बोलती हैं,
किन्तु एक है उसका चिन्तन।"

अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले दस दिन में जो कुछ किया है, वह सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया

था कि मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिये तैयार नहीं हुए। यहां पर श्री शरद पवार जी बैठे हुये हैं। जब मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो श्री शरद पवार यहां नहीं थे। उस समय श्री जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि श्री शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनायी थी। सत्ता के लिये बनायी थी या महाराष्ट्र के भले के लिये बनायी थी यह अलग बात है मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार-बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया कि वाजपेयी तो अच्छा हैं मगर पार्टी ठीक नहीं हैं।

कई माननीय सदस्य : यह सही बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो अच्छे वाजपेयी के लिये क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता।

मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन पार्टी तोड़कर, सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा।

"न भीतो मरणादस्मि केवलम् दूषितो यश।"

भगवान राम ने कहा था कि 'मैं मृत्यु से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं।' चालीस साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों को शपथ विधि होनी चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है क्या उसकी अवज्ञा करता? मैंने जब चर्चा आरंभ की थी तब इसका भी स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? इस बारे में जो और तर्क दिये जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो। जब वह कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख तक जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कौमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेले का नहीं था, फैसला पार्टी का था।

अध्यक्ष महोदय, जब एक बार 31 तारीख शक्ति परीक्षण के लिय तय हो गई और शक्ति परीक्षण संसद में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो इसका तो हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था। सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था। हम तो कई और भी काम रख सकते थे। कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो कर ही सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और मैंने भी संदेह पैदा न हो इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। जल्दी से जल्दी पहला अवसर तय किया और इसलिए 27 तारीख और 28 तारीख को आज फैसला होने जा रहा है। हम बल दे सकते थे कि हमें 31 तक का समय दिया गया है, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे।...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने यह खेल नहीं किया है। मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है। और अब गिनाया जा रहा है कि आपको कितने परसेंट वोट मिले। हमने जो वैस्टमिस्टर की पद्धति अपनाई है, उसमें वोट नहीं गिने जाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा जाता है। उसमें सीटें देखी जाती है। दोनों काम साथ नहीं हो सकते। यहां लिस्ट पद्धति वाला प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन नहीं है और मैं इस पद्धति के दोषों को पहले से ही इंगित करता रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस दल को देश में बहुमत न हो, वह दल अधिक सीटें लेने में सफल हो जाए।

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वोट ज्यादा हों और सीटें कम हों। एक परसेंट वोट के अंतर से केरल में संयुक्त सरकार बनी। दूसरी सरकार हट गई। एक परसेंट वोट का फर्क था। अब इस समय जो सीटों का अंतर है इसको मानकर चलना पड़ेगा। अब इस समय आपके मिलकर कितने वोट है यह गिनाया जा रहा है। तो फिर मैं गिनाता हूं आपके अलग-अलग वोट कितने हैं और वह गिनती आपके लिए घाटे की गिनती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इकट्ठे हो रहे हैं। किसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या देश में स्थिर सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जवाबदेह सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। आपका अभी तक कार्यक्रम नहीं बना है। इस कार्यक्रम को लेकर आप जनता के पास नहीं गये। जिस जनादेश की बात आप कर रहे हैं, परसेंट वोट की बात कह रहे हैं, वह अलग-अलग प्रदेशों में मिला है। अलग-अलग कारणों से मिला है। तमिलनाडु में मेरा तो कोई झगड़ा डी.एम.के. से नहीं था। लड़ाई तो कांग्रेस से थी और यह स्थिति आंध्र में भी हुई। आंध्र में हम तो लड़ाई में कहीं नहीं थे, लड़ाई कांग्रेस के साथ हो रही थी और कहते हैं जनादेश हमारे खिलाफ चला गया है। यह कैसा जनादेश है? आप कहिए, आप कह रह हैं, दबे-दबे कह रहे हैं, साफ-साफ कहिये, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। यह भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वह और भी गलत है। हिटलर का हौवा खड़ा किया जा रहा है इस सदन में, फासिस्टवाद पैदा हो रहा है। यह डर दिखाया जा रहा है। यहां जो पहली बार आये हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वे इस तरह की भाषा बोल रहे है। मैं 40 साल

से पार्लियामेंट में हूं। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : 20 साल से हम भी विधान सभा में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनने का धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हमको मर्यादा सिखायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। अब सब इकट्ठे आ रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। कल मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो फैसला कर सकते है कि भई हमने एक दूसरे को गाली दी होगी। मगर चलो छोड़ो आज जो सबको मिलकर बी.जे.पी. को गाली देना है। अगर यह सामूहिक निर्णय है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा और यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली परम्परा नहीं डालेगा।

आज मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एम.पी. बनूंगा। मैं पत्रकार था और यह राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझ रास नहीं आती।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं तो छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती है। फिर मैं विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधान मंत्री हूं और थोड़ी देर बाद प्रधान मंत्री भी नहीं रहूंगा। प्रधान मंत्री बनते समय मेरा हृदय आनन्द से उछलने लगा हो, ऐसा नहीं हुआ। जब मैं सब कुछ छोड़छाड़ कर चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कुछ मुद्दों को फिर उठाना चाहता हूं।

आज हमारे ऊपर कुछ नये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप नहीं आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है कि आपने पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राम मन्दिर की चर्चा नहीं है, धारा 370 का उल्लेख नहीं है, शादी-ब्याह के संबंध में समान कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं है, आपने तो स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया। ये सारी बातें इस तरह से कही गई जैसे कहने वाले हमारे पास इस दृष्टिकोण से बड़े दुखी है जबकि वे इन बातों की सदा आलोचना करते रहे हैं। हमें इसलिये दोषी ठहराते रहे हैं क्योंकि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, धारा 370 को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, फिर देश की एकता कैसे कायम रखेंगे। यह पूछते हैं शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी हो, मगर आप कैसे कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो देश की एकता को तोड़ने वाले होंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं, यह हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है ...**(व्यवधान)** और इसलिये नहीं है कि हमारे पास अनुभव नहीं है ...**(व्यवधान)**

हम बहुमत के लिये लड़ रहे हैं। आज हमें जो जनमत मिला है, वह सभी कार्यक्रमों को लागू करने लायक नहीं है अगर आपको जनमत ने अस्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब जबकि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले और इसीलिये हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर आपको क्या आपत्ति है।

अभी युनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है...**(व्यवधान)** बन गया है तो अच्छी बात है, अभी उसका कार्यक्रम बनने वाला है...**(व्यवधान)** वह भी बन गया तो क्या मार्कसिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, मार्कसिस्ट पार्टी के जितने कार्यक्रम है क्या उन्हें ज्यों का त्यों पूरे का पूरा उसमें समविष्ट कर लिया गया है। अगर कर लिया गया है तो फिर मार्कसिस्ट पार्टी सरकार से दूर क्यों रह रही है। जब संयुक्त मोर्चा बनता है, अनेक दल निकट आते हैं...**(व्यवधान)**

जब अनेक दल निकट आते हैं तो हरेक को कुछ न कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। 1977 में भी हम धारा 370 को समाप्त करने के समर्थक थे-यहां राम विलास पासवान जी बैठे हैं। 1977 में हम एटम बम बनाने के हक में थे लेकिन जब हमने देखा कि लोकतंत्र पर संकट आया है तो हमने फैसला किया कि बाकी सारी बातें ऐसे समय एक तरफ रखने की जरूरत है और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है- एमरजैंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक जेलखाने में बदल गया था। हमने कहा कि सब मिलकर चलें और आने वाले अधिनायकवाद को रोकें लेकिन उस समय हमें किसी ने नहीं कहा कि आप धारा 370 को कहां छोड़ आए। किसी ने नहीं कहा और ठीक ही नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनायेंगे तो हरेक पार्टी को थोड़ा-थोड़ा अपना छोड़ना पड़ेगा, अपने विचारों को, कार्यक्रमों को थोड़ा अलग-अलग रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने अगर 31 तारीख तक का समय दिया तो इसीलिए दिया क्योंकि राष्ट्रपति को मालूम था कि मेरा बहुमत नहीं है। लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और

31 तारीख तक का समय दिया, और दलों से बात करो, विचार विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। यह और देशों में भी होता है और यह होने लगा था।

श्री बसुदेव आचार्य : यह हुआ क्यों नहीं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टांग अड़ायी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस वास्तविकता पर विचार क्यों नहीं करते कि आप देश में बिल्कुल अलग-थलग हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम अलग-थलग नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, आप अलग-थलग हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे समर्थन में, हमारे साथ कोई नहीं है और अब जब हम कहें कि हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीतकर आया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस विरोधी हैं इसीलिए, वह आपके साथ हैं...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आ सकते?

कई माननीय सदस्य : तो क्या आप कांग्रेस समर्थक हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने सदस्यों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहें। आप यहां चालीस वर्षों से हैं और मैं यहां 25 वर्षों से हूं। मैं भी सम्मान प्राप्त करने का हकदार हूं...**(व्यवधान)** माननीय प्रधान मंत्री हर समय जो बात कह रहे हैं, मेरे विचार में वह यही है कि उन्हें सत्ता में रखना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। कल से हम इसी बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्यगण का बहुमत आपका समर्थन नहीं कर रहा है, तो क्या यह अन्य सदस्यों का दोष है, जो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं? मेरे अपने विचार हैं, अपनी नीतियां और कार्यक्रम हैं। वह हम पर हर समय इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि हम उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं। क्या बहुमत के बिना उनका सत्ता में बने रहना, इससे उचित सिद्ध हो जायेगा? क्या यही तरीका है, जिससे आप अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा सी आलोचना इनसे सहने नहीं हो रही है।...**(व्यवधान)** अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है तो क्या मेरा दोष है? हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे। क्या यह भी हमारा दोष है?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : बहुमत प्राप्त किये बिना ही?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, कृपया उनकी बात में व्यवधान मत पहुंचाइये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल उसका उल्लेख किया था। इनकी किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घटे हैं, वह बात अलग है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन केवल यही एक ऐसी सरकार है जो दो-तिहाई बहुमत के साथ वापिस आई है। कृपया यह बात मत भूलिए। यह पुनः पांचवी बार सत्ता में आई है। यह एक रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, वह ठीक है। कृपया प्रधान मंत्री को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहती क्योंकि प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। लेकिन श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है, उस पर मुझे कुछ आपत्तियां हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे, एक-दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़े थे। वे अब साथ आने के बाद यह कह रहे हैं कि मेंडेट बी.जे.पी. के खिलाफ मिला है और उसके लिए 82 फीसदी लोगों ने वोट दिया है। यह विचित्र तर्क दिया जा रहा है।

श्री बीजू पटनायक : इस तर्क का जवाब है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यूनाइट कर चुके हैं, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री बीजू पटनायक : आपके सामने है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे सामने नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक : क्या मैं श्री वाजपेयी से एक प्रश्न कर सकता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री बीजू, वे आपकी बात नहीं सुनते। आप उनकी सहायता का प्रयास क्यों कर रहे हैं? वे आपकी बात नहीं सुनते।

श्री बीजू पटनायक : आप क्या चाहते हैं? आप इकत्तीस तारीख तक का समय चाहते थे। लेकिन आप क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : थोड़ा धैर्य रखिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इतनी चर्चा चली। पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे और चर्चा चली, तो सदस्यों ने रूचि ली और अच्छी बहस हुई, और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है। इतनी जल्दी सत्ता में जाने की।

मुझे वह दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौ. चरण सिंह जी को साउथ ब्लाक ले गए थे और उनकी कुर्सी के नीचे खड़े होकर,...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक : हमें रिकार्ड ठीक करना चाहिये... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैंने तीन लैटर्स चौ. चरण सिंह के सामने जला दिए। यह बीजू पटनायक ने किया। मैंने जनता पार्टी को नहीं तोड़ा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

आप ये सब कैसे कह सकते हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बीजू पटनायक जी, आप बैठ जाइये। प्रधानमंत्री को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था, मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग-अलग बातें की। कुछ दल हमारे साथ आए हैं। कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण, अगर वोट जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि हर राजनैतिक दल को वोटो की चिन्ता करनी है, लेकिन यह वोटो का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश हित की उपेक्षा कर दी जाएगी? हम अगर मायनारिटी की बात करते हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं, उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है। चर्चा हो सकती है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी हैं वहां आचरण हो रहा है आप हमें केन्द्र में समय देकर देखें, हम सारी बातों का अमल में लाकर दिखा देंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि आज सबसे बड़ी मायनारिटी है, उसकी बात तो सब करते हैं, लेकिन जो दो प्रतिशत है, उसकी कोई चिन्ता नहीं करता। अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा किसी को नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद, मेरा एक भा.ज.पा. का कार्यकर्ता, मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे। उसके केश कटे हुए थे। दाढ़ी कटी हुई थी। मैंने कहा कि तुम वही हो? तुमने यह क्या रूप बनाया है, रात में क्यों आए हो, छिप कर क्यों आए हो, चोरी-छिपे क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता हूं। मैं केश धारण कर के बाहर नहीं निकल सकता हूं। इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है और मैंने दाढ़ी से भी छुटकारा मांग ली है। मैं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा कहने के लिए आया हूं। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी। चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़का कर कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली। हमने ऐसा नहीं किया।...**(व्यवधान)**

श्री एलियास आजमी (शाहबाद) : आप मुसलमान विरोधी भावना भड़का कर यहां पर बैठे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निन्दा नहीं करते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री एलियास आजमी : बिल्कुल करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया कार्यवाही वृतांत पर नजर डालिए।...**(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : हमने अनेक बार यह मामला उठाया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एलियास आजमी : हमने बहुत बार किये हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सारे अपराधी पकड़े नहीं गये हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : सिखों को टाडा में किसने बंद किया। ...**(व्यवधान)** उनको मैंने छुड़वाया है।...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : जो कांग्रेस थे, उन्होंने ही भाजपा बनकर सिखों को लखनऊ से लूटा।...**(व्यवधान)**

श्री एलियास आजमी : मैंने दर्जनों को अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेसी और भाजपाई साथ-साथ थे।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासन काल में किस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो कि दिल्ली में प्रदर्शन करने आना चाहती थी, बलात्कार हुआ, जिसकी पुष्टि कोर्ट ने कर दी। उसके बाद मुलायम सिंह जी कुछ कहने के लायक नहीं रहते...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : यह कितने शर्म की बात है। सूरत, अहमदाबाद, बम्बई...**(व्यवधान)** कानपुर में लड़कियों को नंगा किया गया। यहां पर से सब बैठे हुए हैं।...**(व्यवधान)**

श्री मुख्तार अनीस : प्रधान मंत्री जी आप सूरत की चर्चा करिये। जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमानों की औरतों को नंगा किया है।...**(व्यवधान)**

श्री एलियास आजमी : कांग्रेसी का राज है।...**(व्यवधान)** कांग्रेस के राज में नंगा किया गया।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे।...**(व्यवधान)** अब मेरी बारी आयी है।...**(व्यवधान)** ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं लेकिन यह होने वाला नहीं है। अगर ये संख्या के आधार करने का प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर इस विचारों की लड़ाई की ले जाना पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जिस क्षेत्र में चाहें, जिस मैदान में चाहें, हम तैयार है।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जहां से मैंने आरम्भ किया था वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा हैं और ये संकट हमने पैदा नहीं किये हैं। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की। उस समय के प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष लेने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा। पाकिस्तानी मुझे देखकर चमत्कृत रह गये। उन्होंने कहा कि ये कहां से आये हैं? क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में कभी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वह हर जगह अपनी सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। यह हमारी परम्परा नहीं है, यह हमारी प्रकृति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह परम्परा बनी रहे, यह प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा। सरकारें आयेंगी, जायेंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मगर यह देश रहेगा। इस देश का लोकतंत्र अमर रहेगा। क्या यह आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? यह चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा, उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। यह कटुता बढ़नी नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता युनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नम्बर का नेता चुना है। वे युनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट च्वाइस नहीं थे, वे तो फोर्थ च्वाइस थे। वे उनकी फोर्थ च्वाइस थे मगर अब फर्स्ट च्वाइस होने वाले हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहां घसीटने की कोशिश की गई जो स्वतंत्र संगठन हैं, जो राष्ट्र निर्माण के, चरित्र निर्माण के कामों में लगे हैं। मेरा इशारा मेरा उल्लेख आर.एस.एस. से है। आर.एस.एस. के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है लेकिन आर.एस.एस. पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उस तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों के लोगों के दिलों में भी आर. एस.एस. के रचनात्मक कार्य के लिए आदर है, सहयोग है। अगर वे दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वे जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं तो इसके लिए उनका अभिनन्दन होना चाहिए। इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नाथू राम गोडसे कौन थे?...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : युनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं, देवेगौड़ा जी भी आर.एस.एस. की अच्छाइयों से परिचित हैं और आर.एस.एस. की प्रशंसा कर चुके हैं।...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : अगर ये है तो वाजपेयी जी, उनको आपको समर्थन करना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पटनायक जी, क्या आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इतना ही पर्याप्त है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उनके प्रोवोक करने में क्यों आ रहे हैं। आप टाइम देखिये, क्या होता है। उनको जो बोलना है, बोलने दीजिए, उनके प्रोवोकेशन में मत आइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधान मंत्री नियुक्त हुआ हूं।

राष्ट्रपति के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास मत लेकर आया हूं। अब अगर चर्चा होती है और उसमें बीजू पटनायक जैसे वरिष्ठ नेता मुझे टोकते हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पटनायक जी, आपको हरेक बात पर प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं करनी है। आप देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अन्तःकरण से भारत का भला चाहते हैं और वह आर.एस.एस. के सम्पर्क में आये हैं, वह जानते हैं कि यह संगठन देशहित में के लिए समर्पित है और अभी **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और नाथू राम गोडसे कौन था, उसने देश के हित में क्या काम किया?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू की नेतृत्व में रिपब्लिक डे परेड के दौरान जिन स्वयं सेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के बुलाया गया था उनमें आर.एस.एस. भी था। उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट कहां थे ..**(व्यवधान)** मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, वह भी भारत के प्रधान मंत्री थे, लोकप्रिय प्रधान मंत्री थे, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में ट्रेफ्रिक कंट्रोल करने के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी तो आर.एस.एस. के स्वयंसेवक यहां कंट्रोल करते थे, ट्रेफ्रिक को कंट्रोल करते थे।...**(व्यवधान)**

अभी इमरजेंसी के खिलाफ बैंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको सैकिण्ड फ्रीडम स्ट्रगल की संज्ञा दी गई थी, उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया, उसका अंश मेरे पास है, मैं कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक बेदाग संगठन है। मेरे आरंभ के वर्षों में ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : वह तो हैं नहीं, देवेगौड़ा जी तो यहां हैं नहीं कि वह खण्डन कर सके।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में किसी सदस्य की अनुपस्थिति में...

अध्यक्ष महोदय : आप नियम पुस्तिका लेकर उससे क्यों नहीं पढ़ते?

श्री श्रीकान्त जेना : मैं नियम 376 में अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आज रात को जाकर अपना नेता बदल लेना ..**(व्यवधान)** अपने नेता की प्रशंसा भी नहीं सुनी जा रही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : न्यायविद् लोढा जी, मैंने उन्हें समय दिया है। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं केवल इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सभा में किसी भी सदस्य को कोई दस्तावेज उद्धृत करने का पूरा अधिकार है.. **(व्यवधान)** कृपया एक मिनट रूकिये, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। लेकिन महोदय, बिना किसी दस्तावेज, प्रमाणीकरण और आपकी पूर्वानुमति के बिना और यदि सभा में कोई सदस्य अनुपस्थित हो, उसके बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि उसे इस सभा में उत्तर देने का कोई अवसर नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री श्रीकान्त जेना : वह एक दस्तावेज उद्धृत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत अपना व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : नियम 115 के अंतर्गत। सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से श्री देवगौड़ा के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है। यह बिल्कुल झूठा और काल्पनिक है। वह श्री देव गौड़ा को इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं कि वह संयुक्त मोर्चे में गड़बड़ी उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा यही है और प्रधान मंत्री को ...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : दक्षिण में बंगलौर के एक समाचारपत्र में एक समाचार छपा है, जो श्री देव गौड़ा द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दिये गये वक्तव्य को प्रमाणित करता है।

निष्कलंकम् चरित्रणाम्

मैं आपको **कन्नड़ प्रभा** और **इंडियन एक्सप्रेस** पेश कर सकता हूं और यह प्रमाणित भी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, मैं आपको बुलाऊंगा। क्या आपको सुनाई दे रहा है?

श्री ई. अहमद : जी, हां। मैं सुन रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। मैंने उन्हें पहले बोलने की अनुमति दी है।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपका ध्यान नियम 353 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

353. किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व-सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय को ...**(व्यवधान)**

केवल मंत्रीगण ही नहीं बल्कि सदस्य भी...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अर्थात, अगर आप मंत्री के विरूद्ध कोई आरोप लगाना चाहते हैं...**(व्यवधान)** वह असंगत नियम पढ़ रहे हैं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रूल पता नहीं है, रूल-बुक उठाकर पढ़ रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : आप पढ़िये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, [illegible] याद है। पढ़ लिया। आपसे पहले पढ़ा हुआ है। जबानी याद है बोलिये। एक-एक शब्द बोलती हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, नियम 352 में स्पष्ट रूप में कहा गया है :

बोलते समय कोई सदस्य --

(एक) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय हो;

(दो) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो; **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, नियम 353 के अंतर्गत यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहा गया है:

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने पर्याप्त सूचना...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें न कोई एलीगेशन है न कोई डिफेमेटरी है जिसके बारे में कहा गया है...**(व्यवधान)** लेकिन इन्होंने जो गोलवलकर गुरू जी के बारे में कहा है, वह रिकॉर्ड में से निकलना चाहिये। गोलवलकर गुरू जी, जिनका निधन हो चुका है, जो आज नहीं हैं, जिनके बारे में इन्द्रजीत गुप्त जैसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति जिनसे हमने शपथ ली, ऐसे व्यक्ति ने जो कहा है, वह तो रिकॉर्ड में से निकलना चाहिये। लेकिन देवगौड़ा जी के बारे में जो कहा है, जो उनके कल नेता होने वाले हैं, उन्होंने जो अच्छी बात कही है, वह नियमानुसार है, उसमें गलत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय मैं कौल और शकधर को उद्धृत करना चाहता हूं। पृष्ठ 817 में कहा गया है

> "नियमानुसार जब तक कोई सदस्य अध्यक्ष को [illegible] सूचना नहीं देता तथा उनकी अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह किसी सदस्य के विरूद्ध आपत्तिजनक और आपराधिक आरोप नहीं लगा सकता है।"

महोदय, पृष्ठ 818 पर कौल और शकधर ने नियम समिति की टिप्पणी के बारे में कहा :

"इस नियम का प्रस्ताव करते समय नियम समिति ने टिप्पणी की :

"आपत्तिजनक वक्तव्य आपराधिक आरोप लगाना संसदीय वाद-विवाद के नियमों और गरिमा के खिलाफ हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बीजू पटनायक : सुना कुछ? उन्होंने बोला कि देवेगोड़ा जी ने कहा कि निष्कलंक चरित्र है कौन **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : आर.एस.एस.

श्री बीजू पटनायक : क्या उन्होंने बोला कि बी.जे.पी. निष्कलंक चरित्र है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, नहीं। वह आर.एस.एस. की बात कर रहे हैं। बात ही आर.एस.एस. की हो रही है।

श्री बीजू पटनायक : तुम नहीं हो। वह नहीं है। वह नहीं है।. **..(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक समय एक ही बोलें।

श्री सत्यपाल जैन (चंड़ीगढ़) : महोदय, मैं सभा का ध्यान नियम 349 (दो) की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है :

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई कोई सदस्य किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा।"

सदन के नेता बोल रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री भावी प्रधान मंत्री के भाषण को उद्धृत कर रहे हैं। उन्हें इस बात पर आपत्ति क्यों है? नियम कहता है कि जब प्रधान मंत्री बोल रहे हों तो कोई भी सदस्य बाधा नहीं डालेगा। महोदय मेरा आपसे निवेदन है आप नियम को लागू करें तथा उन्हें सदन के नेता को विचार व्यक्त करने में बाधा न डालने के लिए कहें। वे उनके भाषण का अंश उद्धृत कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मामला सिर्फ इतना ही है कि आर.एस.एस. इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पूज्य हो सकती है और आर.एस.एस. को ...**(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके पक्ष की बात सुन ली है। कृपया इस तरह शोर न मचायें। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। मैंने आपके पक्ष के दो सदस्यों के विचार सुन लिये हैं। मुझे उनके विचार सुनने दो। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। इस तरह बीस सदस्य खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : देवगौड़ा जी का बयान निकला है, वह गलत है। देवगौड़ा जी ने डिनाइ किया है। हम पार्टी के जनरल सैक्रेटरी की हैसियत से यह कहना चाहते हैं, जो प्रधान मंत्री जी ने कहा है देवगौड़ा जी के संबंध में जो अखबार में निकला है, वह सही नहीं है। आर.एस.एस. कम्युनल आर्गेनिजेशन है और इससे देवगौड़ा जी का कोई संबंध नहीं है। आर.एस.एस. इनके लिए पूज्य हो सकती है, हमारे लिए आर.एस.एस. एक कम्युनल आर्गेनिजेशन है और आर.एस.एस. का ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय उन्होंने आर.एस.एस. का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बताता हूं...**(व्यवधान)**

श्री बी.के. गढ़वी (बनासकांठा) : महोदय लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 352 (दो) की ओर ध्यान दें। प्रधान मंत्री का भाषण देवेगौड़ा पर लांछन लगाने वाला है इस नियम के अधीन इसकी अनुमति नहीं है। महोदय, इसलिए उनके भाषण का तात्पर्य समझा। देवेगौड़ा के वक्तव्य को आर.एस.एस. से जोड़ना एक लांछन के समान है जो निषिद्ध है, नियम कहता है,

"सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा...।"

महोदय, वे देवेगौड़ा पर लांछन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, हम मत विभाजन चाहते हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा पटल पर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। इस विशेष मुद्दे पर सभा में बहुत वाद-विवाद हो चुका है कई बार ऐसा हो चुका है। सामान्यतया ऐसे

वक्तव्य की अनुमति दी जाती है। जो आपत्तिजनक न हो या उसमें आरोप न लगाया गया हो

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी अजनबी के विरूद्ध नहीं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री किसी अखबार से उद्धृत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय यह सही नहीं है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। प्रधान मंत्री एक अखबार से उस विशेष व्यक्ति के वक्तव्य को उद्धृत कर रहे हैं जो इस सभा का सदस्य नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो इस सभा में उस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता है। क्या वह वक्तव्य आरोप है या नहीं इसका निर्णय किया जाना है। मैं इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं ले रहा हूं। किंतु यह बेहतर होगा यदि प्रधान मंत्री उस मुद्दे को छोड़ दें।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मुझे खेद है, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं बंगलौर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा हूं। समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवगौड़ा भी उपस्थित थे। वह इमरजेंसी के खिलाफ आयोजित समारोह था। उस समारोह की तारीख 26 जून 1995 थी। अगर श्री देवगौड़ा का बयान गलत होता तो वह उसका खंडन करते। क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता।...**(व्यवधान)**..अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया है। श्री देवगौड़ा अगर बयान को गलत समझते, अगर यह मिस-रिपोर्टिंग हुई थी तो खंडन भेज सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया...**(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : उन्होंने दूसरे ही दिन इस बात का खंडन कर दिया था। यह बात 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी थी, दूसरे दिन उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था। मैं अपनी बात पर अडिग हूं।

गृह मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी : इस वक्तव्य का कभी भी खंडन नहीं किया गया। यह वैसा ही है। हमने इस बात का कभी भी कोई खंडन नहीं पढ़ा। हमारे पास वह वक्तव्य है..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी, श्री जेना अब भी जेना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अब इंद्रजीत गुप्त किताब से पढ़ रहे थे तब किसी ने नहीं टोका..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : हमारे पास उस कार्यक्रम के आडियो और विडियो कैसेट हैं, जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसे सभा के समक्ष रखने को तैयार हूं। वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास उनके भाषण का आडियो और विडियो कैसेट हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, 30 तारीख तक. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, मैं समझता हूं। आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा : उन्होंने जानबूझकर सभा को गुमराह करने की कोशिश की है। वे जानबूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं.. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, अब हम सभा की कार्यवाही चलायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कानून मंत्री जी को बोलने दो।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है हमने पहले ही उसका खंडन किया है। **(व्यवधान)** हम पहले ही उसका खंडन कर चुके हैं, तो उन्हें पढ़ने दीजिये।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यदि प्रधान मंत्री जी दस्तावेज को प्रमाणीकृत करना चाहते हैं, तो ठीक है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यदि प्रधान मंत्री कोई दस्तावेज पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उसकी अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य जो एक विशेष वाक्य को उद्धृत करता है...

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने व्यक्तव्य में संशोधन करता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य, जो उद्धत कर रहा है, वह उस दस्तावेज को प्रमाणीकृत करने का इच्छुक है, तो इसे उद्धत किया जा सकता है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री राम जेठमलानी : क्या आप दो मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे?

श्री सुरेश कलमाडी : हम इसे जारी रखना नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री राम विलास पासवान ने पहले ही कहा है कि उन्होंने इसका खण्डन कर दिया था। उसके पश्चात भी यदि प्रधान मंत्री उद्धत करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : क्या मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि प्रधान मंत्री एक दस्तावेज पढ़ रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री को पहले बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हर सदस्य अखबारों को लेकर आते हैं और दुनिया भर के सवालों की यहां चर्चा की जाती है। कोई अखबार की कतरन लेकर आता है. ... **(व्यवधान)** यह क्या तमाशा चल रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन में बहुत सालों से हैं। ... **(व्यवधान)** इस सदन के सदस्य अखबारों को लाते हैं और पढ़ कर सुनाते हैं कि अखबार में यह छपा है, मुझे जीरो आवर में बहस करनी है। क्या ऐसा रोजाना नहीं चलता है? क्या तमाशा बनाया गया है? किसी को कोई रूल मालूम नहीं है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम जेठ मलानी : आप मेरे बोलने के अधिकार को नहीं छीन सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल भी श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण के संबंध में इस मामले को उठाया गया था और क्योंकि यह निन्दात्मक और आरोप लगाने वाला नहीं था, मैंने उन्हें अनुमति दी है मैं केवल यह कह रहा था कि क्या एक विशेष वाक्य, जो एक ऐसे व्यक्ति का बताया जा रहा था जो सदन का सदस्य नहीं हैं, उस आरोप माना जायेगा अथवा नहीं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। मुझे इसके बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति प्रदान करता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री को इसे उद्धत करने की अनुमति प्रदान की है। प्रधान मंत्री जी, आप इसे उद्धत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री गोलवरकर जी के बारे में जो कहा गया है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : वे इस दस्तावेज को अधिकार के रूप में पढ़ रहे हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे उद्धत करने की अनुमति दी है। प्रधान मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इन व्यवधानों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे खेद है। मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा।

[हिन्दी]

मैं यहां किसी की कृपा से नहीं आया हूं। और किसी की कृपा से नहीं बोलूंगा। इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम मैंने नहीं लिया। इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम कामरेड श्री इन्द्रजीत गुप्त ने लिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जरूर लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने आर.एस.एस. के साथ हमारे संबंधों का भी निरूपण किया। इब आर.एस.एस. के बारे में क्या राय है और अगर श्री देवे गौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है तो उसे महत्व मिलना चाहिए ... **(व्यवधान)**... अभी तक क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय बीच में कहा गया कि यह गलत है और उस समय मैंने निवेदन किया था कि 1977 के बारे में 26.6.96 को आयोजित फंक्शन है. .. **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री को बोलने दीजिए। आपको अपने प्रधान मंत्री में विश्वास होना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति यथोचित सम्मान रखते हुए, हर बार आप "आपके प्रधान मंत्री" कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे प्रधान मंत्री।

श्री प्रमोद महाजन : प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री हैं। आपको 'आपके प्रधान मंत्री' नहीं कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रधान मंत्री।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के बारे में श्री देवे गौड़ा ने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है:

[अनुवाद]

> "आर.एस.एस. एक निस्कलंक संगठन है। चालीस साल के लम्बे राजनैतिक जीवन में मैंने एक बार भी आर.एस.एस. की आलोचना नहीं की।"

मुख्य मंत्री ने कहा कि वे यह अत्यधिक जिम्मेदारी से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान आर.एस.एस. की सक्रिय भूमिका के संबंध में उनकी दो राय नहीं है। श्री गौड़ा ने आगे जो बताया वह निम्न प्रकार है :

> "जो लोग आपातकाल के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ थे, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की थी, जिन्होंने आपातकाल की प्रशंसा की थी, वे आज हमारे साथ है और सत्ता में हैं, लेकिन आर.एस.एस. ही एकमात्र धब्बा रहित संगठन है। अन्य इधर उधर फिसले चले गये हैं।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मैं श्री देवे गौड़ा की निन्दा के लिए नहीं कह रहा हूं। उन्होने आर.एस.एस. का सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं और आप चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा भी इस सदन में न सुनी जायें। किसी एक अखबार में नहीं छपा, तमाम अखबारों में छपा और जैसा मैंने कहा, उस समय किसी ने खंडन नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात इस चर्चा में कही गयी, इसका उत्तर देना चाहूंगा। यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन-समर्थन प्राप्त नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

कऊ बेल्ट का समर्थन है। कऊ बेल्ट जिसे कहा जाता है, उस पूरे क्षेत्र को इस तरह से सदन में उल्लिखित करना, कहां तक उचित है। हरियाणा में हम जीते हैं। हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। यह ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें दस प्रतिशत से थोड़े कम वोट मिले हैं। अगर आप वोट की बात करते हैं तो दस प्रतिशत वोट की बात करिये। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां हैं और वह हमारे खिलाफ जमघट करके हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है। यहां एक व्यक्ति की पार्टी है। एकला चलो रे और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इक्ट्ठे रे। किसलिए इक्ट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए? स्वागत है। हम भी अपने ढग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निःस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे चालीस साल की साधना नहीं होती तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। हमारी पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। यह कोई चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की। हमें सफलता नहीं मिली यह अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिये। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, यह आपको आश्वासन देना चाहता हूं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वह सरकार किसी कार्यक्रम पर बनेगी, वह सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जानता।

जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट्स के टोटल मेम्बर्स 77 हैं। उनमें से 29 बीजेपी के हैं। सीपीआई(एम) के पांच मेम्बर हैं, सीपीआई का 1 मेम्बर है, कांग्रेस के 15 मेम्बर हैं, जनता दल के 7 मेम्बर हैं। सबसे ज्यादा हमारे मेम्बर हैं। एस.टीज के भी कुल सदस्य 41 हैं और बीजेपी के 11 सदस्य हैं। यह मत कहिये कि हमारा जनाधार नहीं है! हमें लोगों का व्यापाक समर्थन प्राप्त नहीं है! अगर आप हमें छोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं और समझते हैं कि वह सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। ... **(व्यवधान)** पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है और यह सरकार अंतर्विरोधों में छिपी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, यह एक प्रश्नवाचक चिह्न है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा कि आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, आज की स्थिति तो मैं नहीं जानता। पहले चर्चा हुई थी कि कुछ शर्तें लगायी जा रही हैं। फिर चर्चा हुई कि कॉबिनेट के स्तर पर कोआर्डिनेटिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। फलोर पर भी हम लोग कोआर्डिनेशन करते हैं। उसके बिना सदन नहीं चलता, आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सिर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, जब तक हम अपना राष्ट्रीय

उद्देश्य पुरा नहीं कर लेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, विश्राम नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा को देखते हुए, विश्वास प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखना निरर्थक हो जाता है और सभा की कार्य सूची में आपके लिए रखे गये किसी अन्य कार्य को भी नहीं किया जा सकता।

इसलिए, मैं सभा को **अनिश्चित काल के** लिए के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 5.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/1/5/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईंट, 615, सुनैजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।